वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2025-26

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100MP2017PTC043863

पंजीकृत कार्यालय: एन.आर.टी. बिजनेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, मकरोनिया चौराहा, सागर-470004, मध्य प्रदेश

ईमेल : info@muktaamilk.com

निदेशक मंडल

1.	श्रीमती रूपवती कुर्मी	:	अध्यक्ष
2.	श्रीमती रानू यादव	:	निदेशक
3.	श्रीमती रबीना घोषी	:	निदेशक
4.	श्रीमती प्राण यादव	:	निदेशक
5.	श्रीमती जयंती	:	निदेशक
6.	श्रीमती नीरज कुमारी	:	निदेशक
7.	श्रीमती कृष्णाबाई तिवारी	:	निदेशक
8.	श्रीमती आरती यादव	:	निदेशक
9.	श्रीमती सोमवती यादव	:	निदेशक
10.	श्रीमती तुलसा यादव	:	निदेशक
11.	श्रीमती सरोज पटेल	:	निदेशक
12	श्री नमो नारायण मौर्य	:	मुख्य कार्यकारी और निदेशक
13.	श्री बसंत चौधरी	:	विशेषज्ञ निदेशक
14.	श्री धर्मेंद्र कुमार	:	विशेषज्ञ निदेशक

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एस एन धवन & कं

एल एल पी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एन. आर. एंड एसोसिएट्स,

चार्टर्ड एकाउंटेंट

कंपनी सचिव

श्रीमती मेघा जैन

बैंकर्स

एच डी एफ सी बैंक , पी एन बी बैंक , आई सी आई सी आई बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पंजीकृत कार्यालय

एन आर टी बिजनेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, मकरोनिया चौराहा, सागर,

मध्य प्रदेश - 470004

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: NRT बिज़नेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, मकरोनिया चौराहा,
सागर, मध्य प्रदेश-470004
ई-मेल: info@muktaamilk.com, **दूरभाष:** 07582298676
CIN: U01100MP2017PTC043863

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों की **10वीं वार्षिक आम बैठक** दिनांक 29 सितंबर 2026 को होटल दीपाली मकरोनिया रेलवे क्रॉसिंग, जबलपुर रोड, सागर, मध्य प्रदेश 470002, सागर, मध्य प्रदेश-470002 में दोपहर **12:30 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा:

1. **31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए अवधि के बैलेंस शीट एवं कंपनी के लाभ एवं हानि खाते के साथ उपलब्ध एवं आवश्यक नोट, निदेशकों तथा लेखा परीक्षक के रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने एवं उसे अपनाने एवं इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए:**

   "**प्रस्ताव पारित किया जाता है कि** 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई अवधि के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाते तथा कैश फ्लो स्टटमेंट एवं उसके अनुलग्नित नोट, शीड्यूल एवं निर्देशकों एवं कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है|"

2. **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को सीमित प्रतिफल (लाभांश) के भुगतान पर विचार एवं सिफारिश करने के लिए एवं इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिए |**

   "**प्रस्ताव पारित किया जाता है कि** 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वर्तमान मुनाफे में से ₹ 7/- प्रति इक्विटी शेयर, 100 रुपये के 2,65,755 इक्विटी शेयरों एवं अवशोषित रु 18,60,285/- लाभांश की घोषणा को स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है । लाभांश उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में उलेखित हैं|"

3. **कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की 5 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन।**

   "**प्रस्ताव पारित किया जाता है कि** मेसर्स पी. जी. आर. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 032347N), को इस 10 वीं वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति से 15वीं वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बोर्ड द्वारा निर्णीत ऐसे पारिश्रमिक पर, एतद्द्वारा नियुक्ति किया जाता है।"

4. **वर्तमान वर्ष के लिए नामांकन समिति की बैठक आयोजित करने से छूट की पुष्टि तथा निदेशक पदों की रिक्तियों को भरने संबंधी निर्णय की पुष्टि हेतु अनुशंसा।**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 9वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में सदस्यों द्वारा अनुमोदित नामांकन समिति के गठन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिसके अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर निदेशक मंडल में रिक्त पदों हेतु पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच एवं समीक्षा की जानी है, तथा कंपनी के प्रस्तावित विलय को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल वर्तमान वर्ष के लिए नामांकन समिति की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता से प्रदान की गई छूट के अनुसमर्थन हेतु 10वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में सदस्यों के अनुमोदन की अनुशंसा करता है तथा उसे अनुमोदित करता है।

"यह भी पारित किया जाता है कि निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30/06/2026 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में घोषित निदेशक मंडल की तीन रिक्तियों, जिनमें श्रेणी 'A' की दो रिक्तियां तथा श्रेणी 'B' की एक रिक्ति शामिल है, को प्रस्तावित विलय तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले निदेशक मंडल के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान चरण में भरने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी– इस संबंध में सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुसमर्थन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा सदस्यों से अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।

"यह भी पारित किया जाता है कि प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए उक्त छूट लागू होगी, जिसके दौरान नामांकन समिति के माध्यम से निदेशक मंडल की रिक्तियों को भरने की सामान्य प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक नहीं है।

"यह भी पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री नमो नारायण मौर्य, को इस संकल्प को प्रभावी करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने, आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने तथा ऐसे सभी कार्य एवं कृत्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इस संबंध में आवश्यक या समीचीन हों, जिसमें 10वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुसमर्थन हेतु उक्त विषय को प्रस्तुत करना भी शामिल है।"

5. **श्रीमती रूपवती कुर्मी (DIN: 08652621) की सेवानिवृत्ति पर विचार एवं अनुमोदन तथा उनके पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र होने के संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों तथा धारा 152 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, श्रीमती रूपवती कुर्मी (DIN: 08652621), जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं, की सेवानिवृत्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा परिणामस्वरूप उत्पन्न पद रिक्त रखा जाएगा।"

6. **श्रीमती राबिना घोषी (DIN: 08925355) की सेवानिवृत्ति पर विचार एवं अनुमोदन तथा उनके पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र होने के संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:**

   "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों तथा धारा 152 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, श्रीमती राबिना घोषी (DIN: **08925355**), जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं, की सेवानिवृत्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा परिणामस्वरूप उत्पन्न पद रिक्त रखा जाएगा।"

7. **श्रीमती रानू यादव (DIN: 09673643) की सेवानिवृत्ति पर विचार एवं अनुमोदन तथा उनके पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र होने के संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:**

   "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों तथा धारा 152 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, श्रीमती रानू यादव (DIN: **09673643**), जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनर्नियुक्ति हेतु अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं, की सेवानिवृत्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा परिणामस्वरूप उत्पन्न पद रिक्त रखा जाएगा।"

8. **वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन एवं निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने हेतु:-**

   "प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 की अवधि के लिए कंपनी के बजट को निर्धारित किया गया, जिसे वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है एवं इसके लिए अनुमोदित है।"

9. **कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित को संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा **378-I, 378ZQ, 378ZR** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और कंपनी के **ज्ञापन एवं एसोसिएशन के अनुच्छेदों** के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के वर्तमान एसोसिएशन के अनुच्छेदों में निम्नलिखित तरीके और सीमा तक एतद्द्वारा संशोधन किया जाता है।"

   (1) (1) वर्तमान अनुच्छेद 4.3 iii. में संशोधन/परिवर्तन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

4.3 iii. कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसे सदस्य के रूप में हटाए जाने के संबंध में कंपनी द्वारा लिखित सूचना दी जाएगी तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को सूचना में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर उक्त सूचना का उत्तर देना होगा। इसके पश्चात, बोर्ड इस मामले में निर्णय लेगा। तथापि, सदस्यों को सूचना भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में छूट दे सकता है।

ऐसी सूचना या दस्तावेज सदस्य को व्यक्तिगत रूप से सौंपकर या साधारण डाक या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर भेजकर प्रदान किया जा सकता है।

डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा भेजी गई सूचना को सामान्य प्रक्रिया में उसकी डिलीवरी के लिए सामान्यतः आवश्यक अवधि की समाप्ति पर सदस्य को विधिवत प्रदान की गई सूचना माना जाएगा।

कंपनी के पास पंजीकृत सदस्य के ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई सूचना को प्रेषण की तारीख को विधिवत प्रदान की गई सूचना माना जाएगा, बशर्ते कि कंपनी को डिलीवरी विफल होने, डिलीवरी न होने या संदेश वापस आने (Bounce-back) की कोई सूचना प्राप्त न हो।

(2) कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 4.4 में निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(i) सम्मिलित किया जाएगा:

4.4(i) किसी सदस्य को बोर्ड में सदस्यों के किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक(निदेशकों) के चुनाव या नियुक्ति में मतदान करने के लिए तभी पात्र माना जाएगा, जब ऐसे सदस्य ने चुनाव या नियुक्ति से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता वर्ग पर लागू सभी मानदंडों को पूरा किया हो।"

(3) वर्तमान अनुच्छेद 4.5 में संशोधन/परिवर्तन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

सदस्यों को भुगतान की जाने वाली कीमत

i) सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए दूध के लिए **बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कीमत का भुगतान किया जाएगा।**

ii) कंपनी अपने सदस्यों को दूध की खरीद के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित मूल्य तथा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी भी मानदंड के आधार पर **अंतर मूल्य** का भुगतान कर सकती है।**कीमत का भुगतान** कर सकती है।

iii) किसी सदस्य को प्रारंभ में समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले **देय एवं भुगतान योग्य मूल्य का एक भाग** प्राप्त हो सकता है तथा **रोक रखी गई राशि (Withheld Price)** का भुगतान बाद में नकद या वस्तु के रूप में अथवा **इक्विटी शेयरों के आवंटन** द्वारा किया जा सकता है। यह भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य द्वारा कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के अनुपात में या अन्यथा, **बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा, तरीके तथा ऐसी शर्तों के अधीन** किया जाएगा।

अन्य भुगतान:

iv) कंपनी सदस्यों को ऐसे प्रोत्साहन (Incentive) का भुगतान कर सकती है, जिसकी प्रकृति, सीमा, भुगतान का तरीका तथा अन्य शर्तें बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं।

(4) मौजूदा अनुच्छेद 9.6 (i) में परिवर्तन/संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

9.6 (i). कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक (AGM) में कुल निर्वाचित निदेशकों का **एक-चौथाई** निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्त होंगे तथा इस प्रकार रिक्त हुए पद को **अनुच्छेद 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए** भरा जाएगा। प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे, जो अपनी पिछली वार्षिक आम बैठक (AGM) में नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय से पद पर हैं। यदि किसी वार्षिक आम बैठक में एक ही समय पर नियुक्त किए गए निदेशकों में से किसी को सेवानिवृत्त किया जाना हो, तो सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक/निदेशकों का निर्धारण **लॉटरी** द्वारा किया जाएगा।

(5) मौजूदा अनुच्छेद 9.16 में परिवर्तन/संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

9.16 कोई निर्वाचित निदेशक, कंपनी का सदस्य न रहने पर अथवा अनुच्छेद 4.4 के अंतर्गत अपने **मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपात्र** हो जाने पर निदेशक के पद पर बने रहने का अधिकार खो देगा। इसके अतिरिक्त, कोई सदस्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा अथवा निम्नलिखित परिस्थितियों में निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा:

(6) निम्नलिखित अनुच्छेद 9.16 (xvi) को मौजूदा अनुच्छेद 9.16 (xv) के तुरंत बाद सम्मिलित किया जाएगा:

9.16 (xvi)

उसका या उसके किसी रिश्तेदार का कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई **आर्थिक संबंध या लेन-देन** रहा हो या वर्तमान में हो (सदस्यता से प्राप्त लाभ को छोड़कर), जिसकी राशि तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के **सकल कारोबार या कुल आय के 2 प्रतिशत**

या उससे अधिक, अथवा **₹25,000/- या बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली इससे अधिक राशि**, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर हो।

10. मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलयकारी कंपनी") का मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलयित कंपनी") में विलय करने पर विचार एवं अनुमोदन।

विचार करने तथा यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्पों को, आवश्यक संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**प्रस्ताव पारित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों, एवं मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन ("MoA") एवं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन ("AoA") के प्रावधानों के अनुसार, और जहाँ भी लागू हो, कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों की मंज़ूरी एवं अन्य ज़रूरी कानूनी एवं रेगुलेटरी मंज़ूरी के अधीन, बोर्ड मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ "मुक्ता" या "मर्ज होने वाली कंपनी" कहा गया है) का मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ "मालव महिला" या "मर्ज हुई कंपनी" कहा गया है) के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी देता है। प्रभावी तारीख (यानी सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के एक महीने बाद या सभी सदस्यों और लेनदारों की सहमति मिलने तक, जो भी पहले हो) से, मर्ज होने वाली कंपनी (अपने सभी कामकाज और पूरे कारोबार सहित) मर्ज हुई कंपनी में विलय हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी एवं उसमें निहित हो जाएगी (या निहित मानी जाएगी)। यह एक चालू कारोबार (गोइंग कंसर्न) के तौर पर होगा, जिसके लिए किसी और काम, दस्तावेज़, डीड या चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बदले में, मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों के पास रिकॉर्ड तारीख को मौजूद हर 1 (एक) पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर (जिसकी फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपये है) के बदले, मर्ज हुई कंपनी का 1 (एक) पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर (जिसकी फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपये है) जारी और अलॉट किया जाएगा (इसे "शेयर एक्सचेंज रेश्यो" कहा गया है), और इसमें (बिना किसी सीमा के) जहाँ लागू हो, ये चीज़ें शामिल होंगी।"

a) संपत्तियां, जिनमें शामिल हैं (i) सभी संपत्तियां और प्रॉपर्टी, चाहे वे चल हों या अचल, वास्तविक हों या व्यक्तिगत, कब्ज़े में हों या भविष्य में मिलने वाली हों, भौतिक हों या अमूर्त, दिखाई देने वाली हों या न दिखाई देने वाली, वर्तमान हों या आकस्मिक, (ii) सभी प्लांट और मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, काम जो अभी चल रहा है (work in progress), करंट एसेट्स, कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण और पेरिफेरल्स, बीमा पॉलिसी और/या उनसे जुड़े कोई भी क्लेम, टेलीफोन और संचार की अन्य सुविधाएं, ऑफिस के उपकरण, इंस्टॉलेशन, यूटिलिटीज और सर्विस कनेक्शन, (iii) रियायतें, छूट, उपाय, सब्सिडी, ग्रांट, प्रोत्साहन, गारंटी, बॉन्ड, अधिकार और लाइसेंस, रिज़र्व, प्रावधान, फंड, लीज़, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, अनुमति, सहमति, मंज़ूरी, जो राज्य, केंद्र, नगरपालिका या किसी अन्य अथॉरिटी से उस समय लागू हों, (iv) किरायेदारी के अधिकार, परिसर, हायर परचेज़, उधार देने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लाभ, सुरक्षा अनुबंध, अनुबंध, डीड, व्यवस्था, समझौता ज्ञापन, टेक्नोलॉजी/तकनीकी समझौते, बॉन्ड, शक्तियां, अथॉरिटी, परमिट, आवंटन, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, लाभ, ईज़मेंट (सुविधा का अधिकार) और सभी अधिकार,

मालिकाना हक, हित, गुडविल, नॉन-कम्पलीट फीस, लाभ और फायदा, (v) निवेश, प्राप्त होने वाली राशि (receivables), बयाना राशि (earnest money), पैसे के बदले भुगतान, प्रोटेस्ट मनी, लोन, डिपॉज़िट (सुरक्षा डिपॉज़िट सहित), और दिए गए एडवांस, जिसमें बिना किसी सीमा के उस पर अर्जित ब्याज या कोई अन्य आय, कैश, बैंक बैलेंस, खाते और अन्य सभी अधिकार, सभी समझौतों के लाभ शामिल हैं, (vi) टैक्स और अन्य क्रेडिट (जिसमें इनकम-टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज़ ड्यूटी, एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, विदेशी टैक्स क्रेडिट, इक्वलाइज़ेशन लेवी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी बुक प्रॉफ़िट पर टैक्स, स्रोत पर काटा गया टैक्स, स्रोत पर वसूला गया टैक्स आदि से संबंधित क्रेडिट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), किसी भी टैक्स, ड्यूटी, सेस या अन्य शुल्क की वापसी (जिसमें रिफंड के रूप में दावा की गई सभी राशियां शामिल हैं, चाहे वे अकाउंट की किताबों में दर्ज हों या नहीं), (vii) मर्ज होने वाली कंपनी की सभी अकाउंट की किताबें, दस्तावेज़ और रिकॉर्ड, चाहे वे किसी भी तरह के हों और कहीं भी स्थित हों, जो कंपनी के हों या उसके कब्ज़े में हों या उसके पक्ष में दिए गए हों या जिनका वह इस्तेमाल करती हो, (जिन्हें यहां "संपत्तियां" कहा गया है);

b) मर्ज होने वाली कंपनी के सभी परमिट, अधिकार, हक, लाइसेंस, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सहमति, मंज़ूरी, ग्रांट, अलॉटमेंट, सिफ़ारिशें, क्लीयरेंस और किरायेदारी के अधिकार, चाहे वे किसी सरकारी अथॉरिटी से हों या किसी व्यक्ति से;

c) मर्ज होने वाली कंपनी के सभी विशेषाधिकार और फ़ायदे, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, खरीद और बिक्री के ऑर्डर, मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग, बोली, टेंडर, एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट, लेटर ऑफ़ इंटेंट, कमिटमेंट, अंडरटेकिंग, डीड, बॉन्ड, किसी भी तरह की व्यवस्था और किसी भी प्रकार या विवरण के अन्य डॉक्यूमेंट (चाहे लिखित, मौखिक या अन्यथा) से या उनके तहत मिलते हों; और अन्य सभी अधिकार, जिनमें बिना किसी सीमा के लीज़ के अधिकार, लाइसेंस और हर तरह की सुविधाएँ शामिल हैं;

d) किसी भी ऐसे क्लेम का अधिकार जो मर्ज होने वाली कंपनी ने टैक्स, ड्यूटी, सेस या अन्य शुल्क के रिफ़ंड के संबंध में नहीं किया है (जिसमें कंपनी द्वारा किया गया कोई भी ग़लत या ज़्यादा पेमेंट और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल है), जो केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, एक्ट, नियम या प्रस्ताव से संबंधित हो; और IT एक्ट या अन्य देशों के टैक्स कानूनों के तहत, या उक्त कानूनों या किसी अन्य कानून के तहत सेट-ऑफ़, अनएब्ज़ॉर्ब्ड लॉस और/या अनएब्ज़ॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आगे ले जाने (कैरी फ़ॉरवर्ड), डेफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कटौती, छूट, रिबेट, अलाउंस, अमॉर्टाइज़ेशन फ़ायदा आदि के संबंध में अधिकार;

e) सभी कर्ज़ (सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड), देनदारियां (जिनमें आकस्मिक देनदारियां भी शामिल हैं), शुल्क, मर्ज होने वाली कंपनी के लीज़, एक्सपोर्ट से जुड़ी ज़िम्मेदारियां और किसी भी तरह की, किसी भी प्रकृति या विवरण वाली अन्य सभी ज़िम्मेदारियां। बशर्ते कि, मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा किए गए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स या व्यवस्थाओं में किसी भी संदर्भ का अर्थ केवल मर्ज होने वाली कंपनी के उस उपक्रम

(अंडरटेकिंग) से जुड़ी संपत्तियों या प्रॉपर्टीज़ के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा, जो प्रस्ताव के आधार पर मर्ज की गई कंपनी में निहित (vested) हो गई हैं; और प्रस्ताव का असर मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा लिए गए किसी लोन, डिपॉज़िट या सुविधा के लिए सिक्योरिटी को बढ़ाने वाला नहीं होगा, जो मर्जर के आधार पर मर्ज की गई कंपनी में निहित हो गई हैं, और मर्ज की गई कंपनी मर्जर के प्रभावी होने के बाद इसके लिए कोई और या अतिरिक्त सिक्योरिटी बनाने के लिए बाध्य नहीं होगी;

f) किसी भी तरह की अन्य सभी ज़िम्मेदारियां, जिनमें मर्ज होने वाली कंपनी की देनदारियां भी शामिल हैं;

g) मर्ज होने वाली कंपनी से जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाही, जिनमें टैक्स, अपीलीय, अर्ध-न्यायिक, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही शामिल हैं, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों; और

h) प्रभावी तिथि (Effective Date) पर, मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियुक्त सभी कर्मचारी (जिनमें ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों में मर्ज होने वाली कंपनी का योगदान भी शामिल है)।

ऊपर बताई गई बातों को सीमित किए बिना, इस प्रस्ताव और नीचे दी गई जानकारी के अनुसार, इस विलय से विलय होने वाली कंपनी की सभी संपत्तियों, एसेट्स, अधिकारों, ग्रांट्स, दावों, कर्तव्यों, दायित्वों, हकदारियों, बौद्धिक संपदा अधिकारों, फायदों, इंसेंटिव्स, कर्मचारियों, देनदारियों आदि को विलय के बाद बनने वाली कंपनी में ।

1. संपत्ति का ट्रांसफर

1.1 ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, (i) मर्ज होने वाली कंपनी की ऐसी संपत्तियां जो चल (movable) हैं या अमूर्त (incorporeal) हैं या जिन्हें हाथ से या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी (constructive delivery) या एंडोर्समेंट और डिलीवरी के ज़रिए ट्रांसफर किया जा सकता है, उन्हें मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा और ट्रांसफर के बाद वे मर्ज की गई कंपनी की संपत्ति का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी, (ii) मर्ज होने वाली कंपनी की सभी अचल संपत्तियां (ज़मीन, इमारत और कोई अन्य अचल संपत्ति सहित), चाहे वे फ्रीहोल्ड हों या लीज़होल्ड, और उनसे जुड़े टाइटल के दस्तावेज़, अधिकार और ईज़मेंट (easements), मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित (vested) हो जाएंगे, या ऐसा माना जाएगा कि वे ट्रांसफर और निहित हो गए हैं, और ट्रांसफर के बाद वे मर्ज की गई कंपनी की संपत्ति का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी, और (iii) ऊपर बताई गई संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां, जिनमें विविध देनदार (sundry debtors), निवेश, बकाया लोन, डिपॉज़िट और एडवांस (अगर कोई हों) शामिल हैं, जिन्हें कैश या वस्तु के रूप में या मूल्य के बदले वसूला जा सकता है, और बैंक बैलेंस (अगर कोई हों) जो सरकार, स्थानीय और अन्य अधिकारियों और निकायों, ग्राहकों, सप्लायरों या अन्य लोगों के पास हैं, वे मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित हो जाएंगे या ऐसा माना जाएगा कि वे ट्रांसफर और निहित हो गए हैं; इसके लिए किसी और काम, दस्तावेज़ या डीड की ज़रूरत नहीं होगी और यह प्रस्ताव लागू होने पर ऐसा माना जाएगा।

1.2 एक्ट की धारा 378ZN के तहत पास किए गए प्रस्ताव को लागू करने के मकसद से, ऐसी संपत्तियों, प्रॉपर्टी और अधिकारों (अगर कोई हों) के मामले में जिनके लिए किसी कानून या अन्य तरीके से अलग-अलग डॉक्यूमेंट, डीड या ट्रांसफर एग्रीमेंट (जैसे अटॉर्नमेंट या एंडोर्समेंट के डॉक्यूमेंट) की ज़रूरत होती है, मर्ज हुई कंपनी ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार करेगी ताकि म्यूटेशन आसानी से पूरा हो सके और यह इस प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा होगा।

1.3 असरदार तारीख से, मर्ज होने वाली कंपनी की अचल संपत्तियों (अगर कोई हों) का मालिकाना हक मर्ज हुई कंपनी का माना जाएगा और म्यूटेशन हो चुका माना जाएगा; और इस प्रस्ताव को सही रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना ही ऐसी अचल संपत्तियों पर मर्ज हुई कंपनी के मालिकाना हक के रिकॉर्ड के तौर पर काफी होगा।

1.4 'इफेक्टिव डेट' (प्रभावी तिथि) पर 'मर्जिंग कंपनी' (विलय होने वाली कंपनी) की सभी संपत्तियां - चाहे वे 'मर्जिंग कंपनी' की बुक्स (रिकॉर्ड) में शामिल हों या नहीं - बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या डीड के, 'मर्ज्ड कंपनी' (विलय के बाद बनी कंपनी) को ट्रांसफर और उनमें निहित (vested) मानी जाएंगी। यह तब होगा जब एक्ट की धारा 378ZN के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव (resolution) लागू हो जाएगा। हालांकि, शर्त यह है कि प्रस्ताव दाखिल करने की तारीख के बाद, 'मर्ज्ड कंपनी' के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना 'मर्जिंग कंपनी' द्वारा कोई भी 'ओनरस एसेट' (भारी देनदारी वाली या बोझिल संपत्ति) हासिल नहीं की गई हो।

1.5 सभी ग्रांट्स (चाहे वे एक बार मिलने वाले हों या बार-बार मिलने वाले; केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, या किसी अन्य विभाग, संस्था, उपक्रम, एजेंसी, फाउंडेशन, संगठन आदि द्वारा दिए गए हों; साथ ही सभी किश्तें, ट्रेंच, ड्रॉडाउन, भुगतान, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक; चाहे मंज़ूर किए गए हों, आवेदन किया गया हो, दावा किया गया हो, प्राप्त हुए हों आदि) जिनके लिए 'मर्जिंग कंपनी' 'इफेक्टिव डेट' पर या भविष्य में किसी निर्धारित मानदंड या पैरामीटर को पूरा करने पर पात्र थी या है, वे 'मर्ज्ड कंपनी' को ट्रांसफर हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे। ये ग्रांट्स 'मर्ज्ड कंपनी' के साथ उसी तरह और उसी प्रभाव से जारी रहेंगे, और उन पर वही नियम और शर्तें लागू होंगी जो 'मर्जिंग कंपनी' पर लागू होतीं यदि यह विलय नहीं हुआ होता; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या डीड की आवश्यकता नहीं होगी।

2. देनदारियों का ट्रांसफर

2.1 इफेक्टिव डेट से, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी देनदारियां - जिनमें सभी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कर्ज, विविध लेनदार, देनदारियां (कंटिंजेंट देनदारियां और डेफर्ड टैक्स देनदारी सहित), शुल्क, गारंटी, क्षतिपूर्ति और दायित्व (किसी भी रूप में कंटिंजेंट देनदारी पैदा करने वाली कोई भी गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट या व्यवस्था सहित) शामिल हैं, चाहे वे मर्ज होने वाली कंपनी की अकाउंट्स की किताबों में दर्ज हों या नहीं, और चाहे वे किसी भी प्रकार,

प्रकृति या विवरण की हों और कैसे भी उत्पन्न हुई हों, उठाई गई हों या उसके बिजनेस गतिविधियों और ऑपरेशन्स के लिए इस्तेमाल की गई हों - वे सभी, सेक्शन 378ZN और एक्ट के अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों) के तहत इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, बिना किसी अतिरिक्त कार्य, इंस्ट्रूमेंट, डीड, मामले या चीज़ के, मर्ज की गई कंपनी को ट्रांसफर और निहित हो जाएंगी (या मानी जाएंगी कि ट्रांसफर और निहित हो गई हैं), साथ ही उन पर कोई भी चार्ज, एनकंब्रेंस, मॉर्गेज, लीन, हाइपोथेकेशन या सिक्योरिटी भी ट्रांसफर होगी। मर्ज की गई कंपनी इफेक्टिव डेट पर बकाया देनदारियों को उसी तरह स्वीकार करेगी जैसे वे मर्ज होने वाली कंपनी पर लागू थीं, और मर्ज की गई कंपनी उनकी शर्तों के अनुसार उन्हें पूरा करेगी और चुकाएगी, बिना इस बात के कि मर्जर प्रभावी होने के बाद उसे उनके लिए कोई और या अतिरिक्त सिक्योरिटी बनानी पड़े। इसके अलावा, इस पैरा 2.1 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति की सहमति लेना ज़रूरी नहीं होगा जो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या व्यवस्था का हिस्सा है जिसके कारण ऐसी देनदारियां उत्पन्न हुई हैं।

हालांकि, 'इफेक्टिव डेट' (प्रभावी तिथि) के बाद, अगर किसी कानून या अन्य वजह से ज़रूरत हो, तो 'मर्ज्ड कंपनी' (विलय के बाद बनी कंपनी) लेनदारों या उधार देने वालों (जैसा भी मामला हो) के पक्ष में, या उस कॉन्ट्रैक्ट या व्यवस्था से जुड़े किसी अन्य पक्ष के पक्ष में—जिसमें 'मर्जिंग कंपनी' (विलय होने वाली कंपनी) शामिल है—पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ (deeds of confirmation) या कोई भी ज़रूरी लिखित दस्तावेज़ तैयार और निष्पादित कर सकती है, ताकि यहाँ बताई गई शर्तों को औपचारिक रूप से लागू किया जा सके। प्रस्ताव की शर्तों के तहत, 'मर्ज्ड कंपनी' को 'मर्जिंग कंपनी' की ओर से ऐसे दस्तावेज़ तैयार करने और ऊपर बताई गई सभी औपचारिकताओं और नियमों का पालन करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

2.2 मर्जर करने वाली कंपनी और मर्ज होने वाली कंपनी के बीच कोई भी लोन, एडवांस और अन्य देनदारियां (जिनमें कोई भी गारंटी, लेटर ऑफ़ क्रेडिट, लेटर ऑफ़ कम्फर्ट या कोई अन्य ऐसा इंस्ट्रूमेंट या व्यवस्था शामिल है जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक देनदारी (contingent liability) पैदा हो सकती है) अगर हों, तो वे अपने-आप खत्म हो जाएंगी और इस संबंध में किसी भी पक्ष पर कोई देनदारी नहीं रहेगी; साथ ही, मर्ज होने वाली कंपनी की अकाउंट्स की किताबों और रिकॉर्ड्स में इसका उचित असर दिखाया जाएगा।

3. कानूनी कार्यवाही

3.1. अगर 'मर्ज होने वाली कंपनी' (Merging Company) से जुड़े या उससे संबंधित किसी भी तरह के कानूनी रूप से मान्य, कार्रवाई-योग्य और लागू करने योग्य मुकदमे, कार्रवाई और कार्यवाही (जिन्हें यहाँ "कार्यवाही" कहा गया है) 'प्रभावी तारीख' (Effective Date) पर लंबित हैं, तो वे इस प्रस्ताव या प्रस्ताव में शामिल किसी भी बात के कारण खत्म या बंद नहीं होंगे और न ही उन पर कोई बुरा असर पड़ेगा; बल्कि, ये कार्यवाहियाँ 'मर्ज हुई कंपनी' (Merged Company) द्वारा या उसके

खिलाफ उसी तरह, उसी हद तक और उतनी ही प्रभावशीलता के साथ जारी रखी और लागू की जाएंगी, जैसे कि इस प्रस्ताव के बिना 'मर्ज होने वाली कंपनी' द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखी और लागू की जातीं।

4. कर्मचारी और अन्य कर्मी

4.1 मर्जर वाली कंपनी (Merging Company) के सभी कर्मचारी (जिनमें सेक्रेटरी और मैनेजर भी शामिल हैं), जो 'प्रभावी तारीख' (Effective Date) पर नौकरी में हैं, वे 'प्रभावी तारीख' से ही मर्ज हो चुकी कंपनी (Merged Company) के कर्मचारी बन जाएंगे। उनकी सेवा की शर्तें और नियम 'प्रभावी तारीख' पर लागू शर्तों और नियमों से कमतर नहीं होंगे।

4.2. 'प्रभावी तारीख' से, कर्मचारियों की सेवा को बिना किसी ब्रेक, रुकावट या व्यवधान के लगातार माना जाएगा। यह विभिन्न फंडों (जिनकी परिभाषा नीचे दी गई है) की सदस्यता और उनके नियमों या उप-नियमों को लागू करने के मकसद से किया जाएगा।

4.3 साफ़ तौर पर यह तय किया गया है कि 'इफेक्टिव डेट' (लागू होने की तारीख) पर, 'मर्जिंग कंपनी' (मिलने वाली कंपनी) के कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए बनाए गए या मौजूद प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, लीव बैलेंस या कोई अन्य स्पेशल फंड या ट्रस्ट (जिन्हें यहाँ "फंड" कहा गया है), उन कर्मचारियों के सभी योगदानों (ब्याज/निवेश सहित, जो ट्रांसफ़र किए गए कर्मचारियों से जुड़े और उनके हिस्से के हैं) के साथ, 'मर्ज्ड कंपनी' (जिसमें विलय हुआ है) के संबंधित फंड में ट्रांसफ़र और मर्ज कर दिए जाएँगे। ये शर्तें और नियम, विलय से ठीक पहले 'मर्जिंग कंपनी' के उन कर्मचारियों पर लागू शर्तों और नियमों से कम फ़ायदेमंद नहीं होंगे। यह सब लागू कानून (यानी कोई भी कानून, जिसमें गाइडलाइंस, फ़ैसले, नोटिफ़िकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, नियम, रेगुलेशन आदि शामिल हैं, जो किसी व्यक्ति पर लागू या बाध्यकारी हों, चाहे वह भारत में हो या बाहर) के तहत सभी रेगुलेटरी/कानूनी ज़रूरतों/मंजूरियों का पालन करते हुए किया जाएगा, और इसके लिए किसी अतिरिक्त काम, दस्तावेज़ या डीड की ज़रूरत नहीं होगी।

4.4. मर्ज होने वाली कंपनी (Merged Company) की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह संबंधित ट्रस्ट डीड (अगर कोई हो) में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार उन फंड्स में योगदान करे। इसका मकसद यह है कि ऐसे फंड या फंड्स के संबंध में मर्ज करने वाली कंपनी (Merging Company) के सभी अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और दायित्व मर्ज होने वाली कंपनी के हो जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि फंड्स के मकसद से कर्मचारियों की सेवाओं को लगातार माना जाएगा और इसलिए, मर्ज होने वाली कंपनी के साथ ऐसे कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को मर्ज होने वाली कंपनी द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। मर्ज करने वाली कंपनी और मर्ज होने वाली कंपनी के संबंधित बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने की तारीख से, मर्ज करने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों और नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगी, सिवाय सामान्य कामकाज के दौरान। ऊपर दी गई बातों के बावजूद, मर्ज होने वाली कंपनी का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, अगर उसे सही

लगे और लागू कानूनों के अधीन, मर्ज करने वाली कंपनी के पुराने फंड(ड्स) के लिए मर्ज होने वाली कंपनी के भीतर अलग-अलग ट्रस्ट बनाए रखने का हकदार होगा।

5. परमिट

5.1. सभी सरकारी मंज़ूरियां और अन्य सहमतियां, अनुमतियां, कोटा, अधिकार, ऑथराइज़ेशन, हक, आवंटन, रियायतें, छूट, रजिस्ट्रेशन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र और लाइसेंस - जिनमें पर्यावरण मंज़ूरी, किरायेदारी, विशेषाधिकार, शक्तियां और हर तरह की सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे मर्ज होने वाली कंपनी जुड़ी है या जिनका फ़ायदा उठाने की वह हकदार है और जिनकी ज़रूरत मर्ज होने वाली कंपनी के कामकाज को चलाने के लिए हो सकती है, और जो 'इफ़ेक्टिव डेट' (अमल में आने की तारीख) से ठीक पहले लागू या चालू हैं - वे सभी मर्ज होने वाली कंपनी के पक्ष में पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे और उन्हें उसी तरह पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा जैसे कि मर्ज होने वाली कंपनी ही उनकी पार्टी, लाभार्थी या उनसे जुड़ी पक्षकार रही हो; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या विलेख (deed) की ज़रूरत नहीं होगी।

5.2. प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी (Merged Company) अपने-आप मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) का बिज़नेस करने का अधिकार हासिल कर लेगी। इसमें लागू कानून के तहत ज़रूरी सभी मंज़ूरी, सहमति, परमिशन, कोटा, अधिकार, ऑथराइज़ेशन, हक, अलॉटमेंट, रियायत, छूट, नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, विशेषाधिकार, शक्तियां और हर तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। इसके लिए मर्ज हुई कंपनी के नाम पर किसी और एप्लीकेशन या दोबारा मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी।

6. टैक्सेशन

6.1. यह प्रस्ताव इनकम टैक्स एक्ट, 2025 ("IT एक्ट") की धारा 2(6) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत "अमलगमेशन" (विलय) से जुड़ी शर्तों का पूरी तरह से पालन करेगा, जिसके तहत:

a) अमलगमेशन से ठीक पहले, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी संपत्तियां, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी की संपत्तियां बन जाएंगी;

b) अमलगमेशन से ठीक पहले, मर्ज होने वाली कंपनी की सभी देनदारियां, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी की देनदारियां बन जाएंगी; और,

c) मर्ज होने वाली कंपनी में कम से कम तीन-चौथाई मूल्य के शेयर रखने वाले सदस्य, अमलगमेशन के कारण मर्ज हुई कंपनी के सदस्य बन जाएंगे।

6.2. अगर बाद में कभी भी (चाहे कानून में बदलाव की वजह से हो या किसी और वजह से) इस प्रस्ताव की कोई भी शर्त या प्रावधान IT एक्ट की धारा 2(6) और 70 के प्रावधानों के साथ मेल नहीं खाते हैं या उनका अर्थ ऐसा निकाला जाता है, तो उस धारा के प्रावधान ही मान्य होंगे। पार्टियां इस प्रस्ताव में ऐसे बदलाव करने के लिए ईमानदारी से बातचीत करेंगी जो दोनों पक्षों को मंज़ूर हों और जिनसे यह पक्का हो सके कि प्रस्ताव उन प्रावधानों का पालन करता है। साथ ही, उन प्रावधानों का पालन

करने के लिए ज़रूरी हद तक इस प्रस्ताव में बदलाव माना जाएगा। हालाँकि, ऐसे बदलाव का असर प्रस्ताव के बाकी हिस्सों पर नहीं पड़ेगा।

6.3. प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी को साफ़ तौर पर यह इजाज़त होगी कि वे अपने-अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिटर्न के साथ-साथ IT एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 और दूसरे टैक्स कानूनों के तहत तय फ़ॉर्म, फाइलिंग और एनेक्ज़र में बदलाव कर सकें। साथ ही, वे प्रस्ताव के प्रावधानों को लागू करने के लिए ज़रूरी होने पर, चुकाए गए टैक्स (जैसे TDS, TCS वगैरह) के लिए रिफंड और/या क्रेडिट का दावा कर सकें और उससे जुड़े मामलों पर कार्रवाई कर सकें।

6.4. ऊपर बताई गई बातों पर असर डाले बिना, इस प्रस्ताव के लागू होने पर, लागू कानूनों के तहत मर्जर करने वाली कंपनी (Merging Company) को मिलने वाले सभी फायदे, इंसेंटिव, नुकसान और क्रेडिट (जैसे इनकम टैक्स, TDS, TCS, GST वगैरह) मर्जर के बाद बनी कंपनी (Merged Company) को मिलेंगे और उसके अधिकार में आ जाएंगे। यह साफ़ तौर पर बताया जाता है कि प्रभावी तारीख (Effective Date) से, मर्जर करने वाली कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले सभी टैक्स, मर्जर के बाद बनी कंपनी की टैक्स देनदारी माने जाएंगे। प्रभावी तारीख को या उसके बाद मर्जर करने वाली कंपनियों द्वारा लागू कानूनों के तहत किए गए सभी अनुपालन (compliances), मर्जर के बाद बनी कंपनी द्वारा किए गए माने जाएंगे।

6.5. इसके अलावा, मर्जर करने वाली कंपनी को मिलने वाली सभी कटौतियां और छूट (जैसे असल भुगतान पर, सही टैक्स काटने पर, या TDS जमा करने पर मिलने वाली छूट) IT एक्ट के तहत लागू शर्तों को पूरा करने पर मर्जर के बाद बनी कंपनी को भी मिलेंगी।

7. समझौते, अनुबंध और विलेख (Deeds)

7.1. प्रभावी तिथि से और इस प्रस्ताव में शामिल अन्य प्रावधानों के अधीन, विलय होने वाली कंपनी (Merging Company) से जुड़े या उसके लाभ वाले सभी अनुबंध, विलेख, बॉन्ड, समझौते, व्यवस्थाएं, आश्वासन और किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेज, जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले लागू या प्रभावी थे, वे विलय के बाद बनी कंपनी (Merged Company) के लिए या उसके पक्ष में पूरी तरह से लागू और प्रभावी होंगे। ये विलय के बाद बनी कंपनी पर उसी तरह पूरी तरह और प्रभावी ढंग से बाध्यकारी होंगे और लागू किए जाएंगे, मानो विलय होने वाली कंपनी के बजाय विलय के बाद बनी कंपनी ही उनकी पक्षकार रही हो; इसके लिए किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख की आवश्यकता नहीं होगी।

7.4. मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) से जुड़े सभी मामले, चाहे वे नियमों के पालन से संबंधित हों या एक्ट और उसके तहत बने नियमों और रेगुलेशन के तहत हों, मर्ज की गई कंपनी (Merged Company) के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। यह माना जाएगा कि मर्ज की गई कंपनी ने सभी ज़रूरी कॉर्पोरेट मंज़ूरियाँ ले ली हैं और नियमों का पालन कर लिया है।

7.5. मर्ज की गई कंपनी उन सभी इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा उठाने की हक़दार होगी जो मर्ज होने वाली कंपनी के लिए जारी की गई थीं। इन पॉलिसी में "बीमित" (Insured) के तौर पर मर्ज की गई कंपनी का नाम दर्ज किया जाएगा, मानो मर्ज की गई कंपनी शुरू से ही उस पॉलिसी का हिस्सा रही हो।

7.6. मर्जर लागू होने के बाद, मर्ज की गई कंपनी का बोर्ड मुख्य गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करता रहेगा और उसके पास सभी अधिकार, कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ बनी रहेंगी। वहीं, मर्ज होने वाली कंपनी का बोर्ड बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के अपने-आप भंग हो जाएगा, क्योंकि विलय के बाद मर्ज होने वाली कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मर्ज होने वाली कंपनी के बोर्ड के पास पहले से मौजूद सभी अधिकार, दायित्व और शक्तियाँ मर्ज की गई कंपनी के बोर्ड को ट्रांसफर हो जाएँगी और वही उनका इस्तेमाल करेगा।

7.7. इस प्रस्ताव को पास करने की तारीख से तीन महीने पहले, मर्ज होने वाली कंपनी या मर्ज हो चुकी कंपनी द्वारा या उनके खिलाफ किसी संपत्ति के संबंध में किए गए किसी ट्रांसफर, सामान की डिलीवरी, पेमेंट, निष्पादन या किसी अन्य काम को रद्द करने का कोई मामला सामने नहीं आया है; अगर ऐसा कोई काम किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया होता, तो उसके दिवालिया होने की स्थिति में उसे धोखाधड़ी से दी गई प्राथमिकता (fraudulent preference) माना जाता।

8. प्रतिफल (CONSIDERATION)

8.1. प्रस्ताव के लागू होने पर और मर्ज होने वाली कंपनी (Merging Company) के मर्ज हो चुकी कंपनी (Merged Company) में विलय के प्रतिफल के तौर पर, मर्ज हो चुकी कंपनी बिना किसी अतिरिक्त आवेदन, कार्रवाई, दस्तावेज़, सहमति या इंस्ट्रूमेंट के, मर्ज होने वाली कंपनी के उन सदस्यों को इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करेगी जिनके पास मर्ज होने वाली कंपनी के पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर हैं और जिनके नाम रिकॉर्ड डेट (यानी प्रभावी तिथि) पर मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, या शेयर एक्सचेंज अनुपात के अनुसार मर्ज होने वाली कंपनी / मर्ज हो चुकी कंपनी के बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त उनके संबंधित वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों या हक के अन्य उत्तराधिकारियों को शेयर जारी और आवंटित करेगी। ये शेयर पूरी तरह से पेड-अप माने जाएंगे और नीचे बताई गई मात्रा में होंगे।

8.2. ऊपर बताए गए शेयर एक्सचेंज अनुपात को दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने रिकॉर्ड पर लिया है और मंज़ूरी दी है। यह मंज़ूरी शेयर एक्सचेंज अनुपात तय करने के लिए प्राप्त वैल्यूएशन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दी गई है।

8.3. मर्ज हुई कंपनी के इक्विटी शेयरों का जारी किया जाना, मर्ज हुई कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन (समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों सहित) के प्रावधानों के अधीन होगा। ये शेयर सभी मामलों में मर्ज हुई कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर (pari passu) होंगे, जिसमें डिविडेंड, बोनस, वोटिंग अधिकार और मर्ज हुई कंपनी के इक्विटी शेयरों से जुड़े अन्य कॉर्पोरेट लाभ शामिल हैं।

8.4. मर्ज हुई कंपनी के सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को मंज़ूरी देने का मतलब यह माना जाएगा कि मर्ज हुई कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर जारी करने और अलॉट करने, तथा इस प्रस्ताव में बताए अनुसार मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में बदलाव करने के लिए एक्ट की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य संबंधित और लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों का उचित पालन किया गया है। इसके बाद, मर्ज हुई कंपनी को धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा एक्ट के अन्य लागू प्रावधानों और उनके तहत बने नियमों के तहत कोई और प्रस्ताव पारित करने या कोई और कार्रवाई (किसी भी प्रक्रियात्मक ज़रूरत को पूरा करने सहित) करने की ज़रूरत नहीं होगी।

8.5. ऊपर पैरा 8.1 में बताए गए प्रतिफल के अलावा, मर्ज हुई कंपनी कोई अन्य शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ या किसी अन्य प्रकार का प्रतिफल जारी, आवंटित या निर्धारित नहीं करेगी।

9. असहमति रखने वाले सदस्यों या लेनदारों के लिए तरीका

9.1. एक्ट की धारा 378ZN(5) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सदस्य या लेनदार जो प्रस्तावित प्रस्ताव से सहमत नहीं है, शेयरधारकों को नोटिस मिलने की तारीख से एक महीने के भीतर निम्नलिखित विकल्प चुन सकता है –

(a) सदस्य के मामले में – बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मंज़ूरी से अपने शेयर किसी सक्रिय सदस्य को ट्रांसफर करना और इस तरह कंपनी के सदस्य के तौर पर बने न रहना; और

(b) लेनदार के मामले में – अपनी जमा राशि या लोन या एडवांस (जैसा भी मामला हो) को वापस लेना।

9.2. अगर ऊपर बताए गए 9.1(a) के तहत, कोई सक्रिय सदस्य नहीं है जो असहमति रखने वाले सदस्य से शेयर खरीदना चाहता हो, तो कंपनी खुद उन शेयरों को खरीदने का इंतज़ाम करेगी और रद्द या सरेंडर किए गए हर शेयर के लिए 100 रुपये की फेस वैल्यू का भुगतान करेगी। अगर कंपनी कोई शेयर खरीदती है, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल उतनी ही कम हो जाएगी।

9.3. असहमति रखने वाले सदस्य के शेयर खरीदने के लिए किसी सक्रिय सदस्य को खोजने की प्रक्रिया, और यदि कोई सक्रिय सदस्य शेयर नहीं खरीदना चाहता है तो कंपनी द्वारा स्वयं शेयर खरीदने की प्रक्रिया, इस प्रस्ताव की प्रभावी तिथि से पहले पूरी कर ली जाएगी ताकि ये लेनदेन उस तिथि से पहले हो सकें।

9.4. अधिनियम की धारा 378ZN(6) के अनुसार, यदि कोई सदस्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने शेयर ट्रांसफर करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो उस सदस्य को प्रस्तावित विलय के लिए सहमत माना जाएगा।

9.5. कंपनी, उसके निदेशक मंडल और अन्य अधिकारियों को ऊपर बताई गई प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक कदम और कार्रवाई करनी होगी।

10. भविष्य में मर्ज हुई कंपनी के कामकाज का संचालन

मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी, दोनों ही मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने के एक ही

बिज़नेस में शामिल हैं। दोनों कंपनियों के बिज़नेस ऑपरेशन भी मोटे तौर पर एक जैसे हैं, जो इस प्रकार हैं:

- कंपनी तय किए गए मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (MPPs) पर सदस्यों से दूध इकट्ठा करने के लिए एक सहायक (सहायक) नियुक्त करती है।
- एक इनवर्ड ट्रांसपोर्टर कच्चे दूध को MPPs से मिल्क कलेक्शन सेंटर्स (MCCs) या बल्क मिल्क कूलर्स (BMCs) तक ठंडा करने और स्टोर करने के लिए ले जाता है।
- इसके बाद ठंडे किए गए दूध को आउटवर्ड ट्रांसपोर्टर मिल्क टैंकरों का इस्तेमाल करके NDS तक पहुँचाया जाता है।

मर्जर के बाद, कंपनी की बिज़नेस गतिविधियाँ मौजूदा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क और स्थापित तौर-तरीकों के अनुसार ही चलती रहेंगी। कंपनी की मुख्य बिज़नेस गतिविधियों के स्वरूप या दायरे में कोई बदलाव नहीं होगा। खरीद, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और वितरण से जुड़े सभी काम बिना किसी बदलाव के, बिज़नेस के सामान्य कामकाज के तहत ही किए जाएँगे। साथ ही, कंपनी की मौजूदा खरीद या बिक्री नीतियों में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मर्जर का कंपनी के चल रहे कामकाज, कमर्शियल रिश्तों या सर्विस देने के तरीकों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

11. मर्जर के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट

रिज़ॉल्यूशन के लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी अपने अकाउंट्स की किताबों में मर्जर का हिसाब-किताब उस अकाउंटिंग तरीके से करेगी जो एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिफ़ाई किए गए लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक्ट के अन्य संबंधित प्रावधानों (साथ ही उनके तहत बने नियम और भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांत) में बताया गया है।

11.1. <u>मर्जर करने वाली कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट:</u>

चूंकि मर्जर का प्रस्ताव लागू होने पर मर्जर करने वाली कंपनी बिना वाइंड-अप हुए ही खत्म हो जाएगी, इसलिए इस प्रस्ताव के तहत मर्जर करने वाली कंपनी की बुक्स में किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का निर्देश नहीं दिया गया है।

11.2. <u>विलयित कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:</u>

प्रस्ताव में किसी अन्य बात के होते हुए भी, विलयित कंपनी, विलय करने वाली कंपनी के विलय का लेखांकन, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों ("एएस") में निर्धारित हित एकीकरण पद्धति के अनुसार, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत, समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार, अपनी पुस्तकों में इस प्रकार करेगी कि:

(a) दो स्वतंत्र कंपनियों के विलय के पूरा होने के बाद, विलय होने वाली कंपनी (Merging Company) की जो भी संपत्ति और देनदारियां इस प्रस्ताव के तहत विलय के बाद बनी कंपनी (Merged Company) को मिलेंगी, उन्हें विलय होने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाई गई 'कैरिंग वैल्यू' (लेखा-पुस्तक मूल्य) पर ही दर्ज किया जाएगा।

(b) विलय होने वाली कंपनी के रिज़र्व (संचय) की पहचान बनाए रखी जाएगी और विलय के बाद बनी कंपनी, विलय होने वाली कंपनी के रिज़र्व को उसी रूप और उसी 'कैरिंग अमाउंट' (लेखा-पुस्तक राशि) पर दर्ज करेगी जैसा कि विलय होने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है।

(c) विलय होने वाली कंपनी और विलय के बाद बनी कंपनी के विलय के परिणामस्वरूप, विलय के बाद बनी कंपनी की बही-खातों (बुक्स) में दिखाई देने वाले सभी अंतर-कंपनी लेनदेन और अंतर-कंपनी बैलेंस (यदि कोई हों) रद्द माने जाएंगे और इस संबंध में आगे कोई दायित्व नहीं होगा।

(d) पैरा 7.6 के तहत मर्ज होने वाली कंपनी के सदस्यों को जारी किए गए मर्ज हो चुकी कंपनी के इक्विटी शेयरों की फेस वैल्यू को मर्ज हो चुकी कंपनी की बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे इक्विटी शेयरों को जारी करने पर मिलने वाले शेयर प्रीमियम को मर्ज हो चुकी कंपनी की बुक्स में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा (अगर कोई हो)।

(e) पैरा 11.2(a) से 11.2(d) का असर लागू करने के बाद अगर कोई कमी (डेफिसिट) आती है, तो उसे मर्ज हो चुकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 'कैपिटल रिज़र्व' अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। पैरा 11.2(a) से 11.2(d) का असर लागू करने के बाद अगर कोई सरप्लस (अतिरिक्त राशि) बचती है, तो उसे उपलब्ध बैलेंस की सीमा तक 'सिक्योरिटीज़ प्रीमियम' अकाउंट के खिलाफ एडजस्ट किया जाएगा, और अगर कोई बाकी बैलेंस बचता है, तो उसे मर्ज हो चुकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफ़िट और लॉस के जमा बैलेंस के खिलाफ एडजस्ट किया जाएगा।

(f) मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हो चुकी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरह के अंतर के मामले में, मर्ज हो चुकी कंपनी द्वारा अपनाई गई अकाउंटिंग पॉलिसी ही लागू होगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी के आधार पर फाइनेंशियल स्थिति को दिखाएं।

12. विलय होने वाली कंपनी का समापन

प्रस्ताव के लागू होने पर, मर्ज होने वाली कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई, दस्तावेज़ या विलेख के, बिना वाइंड-अप हुए ही भंग हो जाएगी।

13. अधिकृत शेयर पूंजी का हस्तांतरण और समेकन

रिज़ॉल्यूशन के एक ज़रूरी हिस्से के तौर पर और 'इफेक्टिव डेट' (प्रभावी तिथि) पर रिज़ॉल्यूशन के लागू होने के बाद, 'मर्जिंग कंपनी' की ₹5,00,00,000 की अधिकृत शेयर पूंजी—जिसमें ₹100 (एक सौ भारतीय रुपये) फेस वैल्यू वाले 5,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं—को 'मर्ज्ड कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मिला दिया जाएगा और उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ऊपर बताए अनुसार 'मर्जिंग कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी को 'मर्ज्ड कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मिलाने के बाद, 'मर्ज्ड कंपनी' की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर ₹15,00,00,000 (भारतीय रुपये पंद्रह करोड़) हो जाएगी, जिसमें ₹100 (एक सौ भारतीय रुपये) फेस वैल्यू वाले 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयर शामिल होंगे।

इसके लिए 'मर्ज्ड कंपनी' को किसी और काम, दस्तावेज़ या डीड की ज़रूरत नहीं होगी; 'मर्जिंग कंपनी' द्वारा अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर चुकाई गई फीस को 'मर्ज्ड कंपनी' द्वारा मर्जर के बाद अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर देय किसी भी फीस के खिलाफ एडजस्ट (सेट-ऑफ) किया जाएगा; और ऐसी बढ़ोतरी के संबंध में किसी भी अतिरिक्त फीस या स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए 'मर्ज्ड कंपनी' की देनदारी (i) रिज़ॉल्यूशन के लागू होने के बाद 'मर्ज्ड कंपनी' द्वारा अपनी बढ़ी हुई अधिकृत शेयर पूंजी पर देय फीस या स्टाम्प ड्यूटी, और (ii) 'मर्जिंग कंपनी' द्वारा समय-समय पर अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर चुकाई गई फीस या स्टाम्प ड्यूटी (यदि कोई हो), के बीच के अंतर तक सीमित होगी; और MOA के क्लॉज़ VI में अधिकृत शेयर पूंजी वाला क्लॉज़ संशोधित हो जाएगा और इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15,00,00,000 रुपये (भारतीय रुपये पंद्रह करोड़) है, जिसमें 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रुपये (एक सौ रुपये) है।"

13.2. एक्ट की धारा 378ZN और उससे जुड़े नियमों और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत, हर पार्टी के बोर्ड और सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने पर, यह माना जाएगा कि मर्ज होने वाली कंपनी और मर्ज हुई कंपनी के बोर्ड और सदस्यों ने भी एक्ट की धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या किसी अन्य लागू प्रावधानों और नियमों के तहत अपनी सहमति दे दी है। यह सहमति मर्ज हुई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में रीक्लासिफिकेशन, संशोधन और बढ़ोतरी को लागू करने के लिए ज़रूरी होगी। इसके बाद, मर्ज होने वाली कंपनी या मर्ज हुई कंपनी को एक्ट की धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या किसी अन्य लागू प्रावधानों, नियमों और आर्टिकल्स के तहत कोई और प्रस्ताव पास करने या कोई और कार्रवाई (जैसे किसी प्रक्रियात्मक ज़रूरत को पूरा करना) करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह प्रस्ताव लागू होने पर, मर्ज हुई कंपनी, अगर ज़रूरत हो, तो एक्ट और उससे जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ या किसी अन्य लागू सरकारी अथॉरिटी के पास, मर्ज हुई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में रीक्लासिफिकेशन, संशोधन और बढ़ोतरी से जुड़े सभी ज़रूरी दस्तावेज़/सूचनाएं इस प्रस्ताव में बताए गए तरीके से जमा करेगी।

14. प्रस्ताव की अन्य शर्तें

14.1. इस प्रस्ताव को, या इसमें किए गए किसी भी बदलाव, संशोधन या अतिरिक्त चीज़ों को लागू करने के मकसद से, विलय करने वाली कंपनी और विलय होने वाली कंपनी के अधिकृत व्यक्ति ऐसे सभी निर्देश दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो ज़रूरी हों। इसमें किसी भी सवाल, संदेह या मुश्किल को सुलझाने या दूर करने के निर्देश भी शामिल हैं। ऐसे निर्णय या निर्देश, जैसा भी मामला हो, सभी पक्षों पर उसी तरह बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे विशेष रूप से इस प्रस्ताव में शामिल किए गए हों।

14.2 विलीन होने वाली कंपनी के सभी पुस्तकें, अभिलेख, फाइलें, कागजात, डेटाबेस, कैटलॉग, यदि कोई हों, वर्तमान एवं पूर्व ग्राहकों की सूचियां तथा अन्य सभी पुस्तकें एवं अभिलेख, चाहे भौतिक अथवा

इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, लागू विधियों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, विलीन होने वाली कंपनी द्वारा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को सौंपे जाएंगे।

14.3 उपरोक्त विलीन होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का अंतरण, विधिक कार्यवाहियों की निरंतरता तथा करार, संविदाओं एवं विलेखों की प्रभावशीलता, प्रभावी तिथि को अथवा उससे पूर्व विलीन होने वाली कंपनी द्वारा पहले ही संपन्न किसी भी लेनदेन अथवा कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगी, इस आशय एवं उद्देश्य से कि विलय प्राप्त करने वाली कंपनी विलीन होने वाली कंपनी द्वारा उस संबंध में किए गए एवं निष्पादित सभी कार्यों, विलेखों एवं बातों को इस प्रकार स्वीकार एवं अंगीकार करती है मानो वे इसकी ओर से किए एवं निष्पादित किए गए हों।

14.4 विलीन होने वाली कंपनी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी, यथालागू, अधिनियम की धारा 378ZN एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ("आरओसी") को प्रभावी विलय बताते हुए संयुक्त अथवा पृथक सूचना देंगी, ताकि रजिस्टर से विलीन होने वाली कंपनी का नाम हटाया जा सके, विलीन होने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का विलय प्राप्त करने वाली कंपनी में संयोजन हो सके तथा यदि आवश्यक हो तो अन्य कोई मामले सुलझाए जा सकें।

14.5 विलीन होने वाली कंपनी के प्रस्ताव, यदि कोई हों, जो प्रभावी तिथि को वैध एवं विद्यमान हैं, वैध एवं विद्यमान बने रहेंगे तथा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी के प्रस्तावो के रूप में माने जाएंगे तथा यदि ऐसे किसी प्रस्ताव पर अधिनियम अथवा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऊपरी मौद्रिक अथवा अन्य सीमा लागू की गई हो, तो उक्त सीमाएं जोड़ी जाएंगी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी में उक्त सीमाओं का समग्र गठन करेंगी।

14.6 अधिनियम की लागू धारा के अनुसार विलय प्राप्त करने वाली कंपनी की उधार सीमा, बिना किसी अतिरिक्त कार्य अथवा विलेख के, विलीन होने वाली कंपनी के उन कुल दायित्वों, यदि कोई हों, की राशि से स्वतः बढ़ जाएगी, जो इस प्रस्ताव के अनुसरण में विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को अंतरित किए जा रहे हैं तथा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी को इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

14.7 विलीन होने वाली कंपनी एवं विलय प्राप्त करने वाली कंपनी ने सामान्य व्यावसायिक क्रम में अपने सभी कर एवं बकाया विधिवत भुगतान किए हैं। जैसा कि उपरोक्त पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, यह प्रस्ताव आईटी अधिनियम की धारा 2(6) एवं 70 के अनुपालन में है, तथा इस प्रस्ताव के अनुसार विलय के परिणामस्वरूप विलीन होने वाली कंपनी अथवा विलय प्राप्त करने वाली कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं होगा। प्रस्ताव तक पहुंचने वाली बातचीत से संबंधित अथवा जुड़े किसी भी विलेख, दस्तावेज़, लिखत के संबंध में स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क सहित सभी लागत, प्रभार, कर एवं व्यय तथा इस प्रस्ताव के नियमों एवं प्रावधानों को क्रियान्वित एवं लागू करने से जुड़े तथा इस प्रस्ताव के अनुसरण में व्यवस्था की पूर्णता से संबंधित व्यय, विलय प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा वहन एवं भुगतान किए जाएंगे।

14.8 विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी के सदस्यों की, यथालागू अधिनियम के अनुसार, प्रस्ताव हेतु सहमति, इस प्रस्ताव में निर्धारित सभी कार्रवाइयों को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु पर्याप्त मानी जाएगी तथा कंपनियों की कोई अतिरिक्त कार्रवाई अलग से आवश्यक नहीं होगी।

14.9 यदि इस प्रस्ताव का कोई भाग किसी भी कारण से अमान्य, अप्रवर्तनीय अथवा अकार्यशील पाया जाता है अथवा सदस्यों, ऋणदाताओं, सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों से आवश्यक स्वीकृति के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से जिसे बोर्ड उचित समझे, तो यह, संबंधित पक्षों के बोर्डों के निर्णय के अधीन, प्रस्ताव के अन्य भागों और/अथवा प्रावधानों की वैधता अथवा क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव के ऐसे भाग(भागों) को अलग करने एवं ऐसे संशोधन के साथ शेष प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु सहमति देने की स्वतंत्रता होगी।"

"आगे पारित किया जाता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने तथा इन संकल्पों में निहित व्यवस्था को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक, वांछनीय, उचित अथवा आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य, विलेख, मामले एवं बातें करें, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित एवं समुचित समझे, बिना कंपनी के शेयरधारकों अथवा सदस्यों की किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता के, इस आशय एवं उद्देश्य से कि शेयरधारक अथवा सदस्य उक्त एवं इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्राधिकार द्वारा अपनी स्वीकृति स्पष्ट रूप से प्रदान की हुई मानी जाएंगी तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे अतिरिक्त विलेख, दस्तावेज़ एवं लेखन निष्पादित करें जो आवश्यक समझे जाएं, आवश्यक फाइलिंग करें तथा इन संकल्पों को प्रभावी करने एवं व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु कोई अथवा सभी गतिविधियां संपन्न करें।"

"आगे पारित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन संकल्पों को प्रभावी करने हेतु, यदि आवश्यक हो, अपनी यहां प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को कंपनी के किसी निदेशक(निदेशकों) एवं/अथवा अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित कर सकता है, जैसा वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित, आवश्यक अथवा वांछनीय समझे, बिना कंपनी के शेयरधारकों अथवा सदस्यों से किसी अतिरिक्त स्वीकृति के।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

Sd/-

स्थान: सागर

दिनांक: 25-08-2026

मेघा जैन

कंपनी सचिव

नोट्स

1. वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने के हकदार सदस्य को हाथ उठाकर तथा मतदान (पोल) दोनों में स्वयं के स्थान पर मतदान हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य ही होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्त करने का लिखत, प्रभावी होने हेतु, विधिवत पूर्ण, स्टांप युक्त एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा बैठक के नियत समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।।
2. प्रत्येक सदस्य को उसकी शेयरधारिता अथवा कंपनी में संरक्षण (पैट्रोनेज) के बावजूद केवल एक मत (हाथ उठाकर तथा मतदान दोनों में) प्राप्त होगा।
3. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:
   - 26.09.2025 को आयोजित पिछली एजीएम का कार्यवृत्त
   - 31 मार्च, 2026 तक की ऑडिटेड बैलेंस शीट और 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के साथ-साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।
   - वित्तीय वर्ष-2026-2027 का बजट भी संलग्न है।
4. जिस सदस्य को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो, उसे बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को भेजने का अनुरोध किया जाता है।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने फोलिओ नंबर एवं सदस्य कोड को उनके सभी पत्राचार में उद्धृत करें ।
6. व्याख्यात्मक विवरण में मद संख्या 9 तथा 10 के संबंध में सभी भौतिक तथ्य बताए गए हैं। संलग्न नोटिस इसके साथ संलग्न है।
7. संबंधित सूचना में संदर्भित दस्तावेज, सामान्य व्यावसायिक समय (11:00 से 16:00 बजे) के दौरान, शनिवार एवं रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।
8. बोर्ड द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च 2026 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दिखाई देंगे।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत कंपनी को सूचित करें।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तारीख से सात साल के भीतर संलग्न/दावा नहीं किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। (आईईपीएफ)। उक्त राशि को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के बाद, इस संबंध में आईईपीएफ या कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी पहचान के लिए एजीएम स्थल पर कंपनी द्वारा जारी अपना आईडी कार्ड लेकर आएं।
12. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।
13. इस सूचना के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति या विरोधाभास की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य माना जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण प्रस्ताव क्रमांक 09

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 को धारा 378-I के साथ पढ़े जाने के अंतर्गत)

कंपनी की **अंतर्नियमावली (Articles of Association - AoA)** की समीक्षा कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं, शासन संबंधी प्रथाओं तथा **कंपनी अधिनियम, 2013** के अंतर्गत उत्पादक कंपनियों से संबंधित लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इस समीक्षा के आधार पर, कंपनी की अंतर्नियमावली के **अनुच्छेद 4.3.(iii), 4.4, 4.5, 9.6 (i) तथा 9.16** में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि **शासन ढाँचे को सुदृढ़** किया जा सके और **प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार** किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य **नोटिस की तामील से संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना तथा अतिरिक्त शासन संबंधी आवश्यकताओं को सम्मिलित करके निदेशकों की पात्रता एवं अपात्रता के मानदंडों को सुदृढ़ करना** है।

इन संशोधनों का उद्देश्य **बेहतर शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना, अंतर्नियमावली में स्पष्टता लाना, दोहराव को समाप्त करना, वैधानिक प्रावधानों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना तथा कंपनी के कुशल संचालन को सुगम बनाना** है, साथ ही इसके उत्पादक सदस्यों के हितों की रक्षा करना भी है।

ज्ञापन एवं अंतर्नियमावली (Memorandum and Articles of Association) की एक प्रति, प्रस्तावित संशोधनों सहित, सदस्यों के निरीक्षण हेतु कंपनी के **पंजीकृत कार्यालय** में आज की तारीख से बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में **प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक** उपलब्ध रहेगी।

निदेशक मंडल साथ संलग्न सूचना के **मद संख्या 09** में उल्लिखित **विशेष प्रस्ताव** को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुमोदित करने की अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (Key Managerial Personnel) या उनके रिश्तेदार का इस प्रस्ताव में कोई वित्तीय या अन्यथा कोई हित या सरोकार नहीं है, सिवाय इसके कि कंपनी में उनकी कोई शेयरधारिता हो तो उस सीमा तक उनका हित माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

Sd/-

स्थान: सागर **मेघा जैन**

दिनांक: 25-08-2026 **कंपनी सचिव**

व्याख्यात्मक विवरण प्रस्ताव क्रमांक 10

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलीन होने वाली कंपनी") का मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय प्राप्त करने वाली कंपनी") में विलय

1. मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("मुक्ता") के बारे में

a. मुक्ता एक उत्पादक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत 01 अगस्त 2017 को निगमित हुई। यह मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण तथा "मरुधरा" ब्रांड नाम के अंतर्गत उसके विपणन के व्यवसाय में संलग्न है तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में लगी है।

b. मुक्ता का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01100MP2017PTC043863 है।

c. मुक्ता का पंजीकृत कार्यालय एन.आर.टी. बिजनेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, मकरोनिया चौराहा, सागर-470004, मध्य प्रदेश में स्थित है।

d. मुक्ता के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, मुक्ता के मुख्य उद्देश्य हैं:

(1) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यवसाय करना तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।

(2) सदस्यों के लाभ हेतु दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन, चारा/फीड, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना अथवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

(3) सदस्यों के मध्य पारस्परिकता एवं परस्पर सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां प्रदान करना।

(4) सदस्यों एवं अन्य से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना।

(5) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी खाद्य तेल, फल एवं सब्जियों सहित (परंतु इन तक सीमित नहीं) प्राथमिक उपज एवं इसके व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) के क्रय, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना एवं तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।

(6) सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।

e. मुक्ता के **ज्ञापन एवं संघ के अंतर्नियम** के क्रमशः खंड 11 एवं खंड 14 में वार्षिक आम बैठक में संकल्प पारित करके कंपनी के समामेलन, विलय अथवा विभाजन का प्रावधान किया गया है।

f. 31 मार्च 2026 को यथास्थिति मुक्ता की अधिकृत, निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है: ।

विवरण	**राशि रुपए में**
अधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 5,00,000 इक्विटी शेयर	रु.5,00,00,000
कुल	**रु.5,00,00,000**
निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 2,65,755 इक्विटी शेयर	रु. 2,65,75500
कुल	**रु.** 2,65,75500

मुक्ता की चुकता शेयर पूंजी में परिवर्तन हुए हैं। दिनांक 25 अगस्त 2026 को मुक्ता की अधिकृत, निर्गमित एवं चुकता शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

Particulars	**INR**
Authorised Share Capital	
5,00,000 equity shares of INR 100 each	5,00,00,000
Total	**5,00,00,000**
Issued and Paid-up Share Capital	
2,62,688equity shares of INR 100 each	2,62,68,800
Total	2,62,68,800

2. मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("मालव महिला") के बारे में

a. मालव महिला एक उत्पादक कंपनी है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 18 अगस्त 2017 को निगमित हुई। मालव महिला मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण तथा उसके विपणन के व्यवसाय में संलग्न है तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में लगी है।

b. मालव महिला का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01114MP2017PTC043970 है।

c. मालव महिला का पंजीकृत कार्यालय ओल्ड ए.बी. रोड, प्रभात ब्रेड फैक्ट्री के पास, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश – 465 674, भारत में स्थित है।

d. मालव महिला के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, मालव महिला के मुख्य उद्देश्य मुक्ता के समान ही हैं

(1) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण एवं विपणन का व्यवसाय करना तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।

(2) सदस्यों के लाभ हेतु दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रजनन, चारा/फीड, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना अथवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

(3) सदस्यों के मध्य पारस्परिकता एवं परस्पर सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियां प्रदान करना।

(4) सदस्यों एवं अन्य से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करना।

(5) मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी खाद्य तेल, फल एवं सब्जियों सहित (परंतु इन तक सीमित नहीं) प्राथमिक उपज एवं इसके व्युत्पादों (डेरिवेटिव्स) के क्रय, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना एवं तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्न होना।

(6) सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।

e. मालव महिला के **ज्ञापन एवं संघ के अंतर्नियम** के क्रमशः खंड 11 एवं खंड 14 में वार्षिक आम बैठक में संकल्प पारित करके कंपनी के समामेलन, विलय अथवा विभाजन का प्रावधान किया गया है।

f. 31 मार्च 2026 को यथास्थिति मालव महिला की अधिकृत, निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	**राशि रुपए में**
अधिकृत शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 10,00,000 इक्विटी शेयर	रु.10,00,00,000
कुल	**रु.10,00,00,000**
निर्गमित एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	
प्रत्येक रु.100 अंकित मूल्य के 4,48,187 इक्विटी शेयर	रु. 4,48,18,700/-
कुल	**रु.** 4,48,18,700/-

मालव की चुकता शेयर पूंजी में परिवर्तन हुए हैं। दिनांक 26 अगस्त 2026 को मालव की अधिकृत, निर्गमित एवं चुकता शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

Particulars	**INR**
Authorised Share Capital	
10,00,000 equity shares of INR 100 each	10,00,00,000
Total	**10,00,00,000**
Issued and Paid-up Share Capital	
4,79,281 equity shares of INR 100 each	4,79,28,100
Total	4,79,28,100

3. प्रस्तावित विलय हेतु तर्काधार (रैशनल)

a. मुक्ता एवं मालव महिला दोनों अधिनियम के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक कंपनियां हैं। दोनों कंपनियां समान व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, अर्थात मुख्य रूप से सदस्यों तथा अन्य के भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों का संग्रहण, क्रय एवं प्रसंस्करण, उसका विपणन तथा तत्संबंधी अनुषंगी गतिविधियों में संलग्नता। दोनों कंपनियों के व्यापक व्यावसायिक परिचालन में उत्पादकता बढ़ाने हेतु सदस्यों को पशु आहार, खनिज मिश्रण, साइलेज एवं कैल्शियम की आपूर्ति तथा बेहतर प्रजनन प्रथाओं एवं समग्र पशु

स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने हेतु सदस्यों को कृत्रिम गर्भाधान (एआई) एवं पशु चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।

b. मुक्ता का मालव महिला में विलय मालव महिला के व्यावसायिक परिचालन के विस्तार हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मालव महिला को अधिक दूध खरीद मात्रा, सदस्य आधार एवं समग्र परिचालन पैमाना प्राप्त होगा, साथ ही व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में इसकी उपस्थिति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण होगा। पाली, सिरोही, जालोर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, सांचोर, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर के क्षेत्र, जहां मालव महिला की अभी तक दूध संग्रहण नेटवर्क स्थापित नहीं है परंतु मुक्ताकी पहले से उपस्थिति है, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़ के वर्तमान क्षेत्रों के साथ मालव महिला के परिचालन में जुड़ जाएंगे, जिससे उसका राजस्व बढ़ेगा तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों की आय भी बढ़ेगी। यह विलय परिचालन नकदी प्रवाह के अधिक कुशल प्रबंधन में सहायता करेगा।

c. आगे, मुक्ताने 7 (सात) मिल्क चिलिंग सेंटर्स (एमसीसी) एवं 3 (तीन) बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) से युक्त एक सुदृढ़ खरीद एवं अवसंरचना नेटवर्क स्थापित किया है। विलय पर, यह अवसंरचना मालव महिला के विद्यमान 4 (चार) मिल्क चिलिंग सेंटर्स (एमसीसी) एवं 4 (चार) बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) के नेटवर्क के साथ एकीकृत होगी, जिससे एक बहुत बड़ा एवं अधिक कुशल परिचालन मंच सृजित होगा। संयुक्त नेटवर्क केंद्रीकृत एवं सुव्यवस्थित परिचालन को सुगम बनाएगा तथा विलय की गई संस्था की दूध हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स एवं प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार करेगा।

d. दोनों कंपनियों के प्रबंधन ने दोनों कंपनियों के पूर्व एवं वर्तमान व्यावसायिक कार्यों एवं परिचालनों की स्थिति का मूल्यांकन किया है तथा उनका मत है कि सुविधाओं के पूर्ण एकीकरण के माध्यम से विलय के जरिए दोनों कंपनियों के व्यवसाय के समेकन से तालमेल (सिनर्जी) एवं लाभ प्राप्त होंगे।

e. संयुक्त व्यावसायिक परिचालन हेतु मालव महिला की अवसंरचना का उपयोग किया जा सकता है, जिससे बेहतर दूध शीतलन एवं भंडारण दक्षता प्राप्त हो सकेगी, जिससे संसाधनों की दोहराव कम होगी तथा दोनों कंपनियों के सदस्यों एवं हितधारकों को लाभ होगा।

f. यद्यपि मुक्ता का परिचालन दायरा व्यापक है, बोर्ड ने निर्धारित किया है कि मुक्ता का मालव महिला में विलय भविष्य की वृद्धि हेतु एक अधिक उपयुक्त मंच प्रदान करता है, निम्नलिखित कारणों से:

   1. प्रस्तावित विलय दोनों कंपनियों की बाज़ार उपस्थिति को समेकित करेगा, जो समान क्षेत्र एवं आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करती हैं। वर्तमान में विखंडित परिचालनों को एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत मिलाकर, विलय की गई संस्था कार्यों की दोहराव समाप्त करेगी, विनियामक एवं परिचालन अनुपालनों को सुव्यवस्थित करेगी तथा प्रशासनिक एवं अनुपालन लागतों को कम करेगी। यह समेकन बड़े पैमाने की मितव्ययिता, सुदृढ़ बाज़ार स्थिति एवं बेहतर समग्र परिचालन दक्षता में भी परिणत होगा।

   2. प्रस्तावित विलय विलय की गई संस्था के सदस्य आधार में महत्वपूर्ण विस्तार करेगा। मुक्ता के व्यापक परिचालन दायरे एवं विशाल सदस्यता नेटवर्क को देखते हुए, इसके सदस्यों का मालव महिला में एकीकरण

एक व्यापक एवं सुदृढ़ सामूहिक मंच सृजित करेगा, जिससे बड़े पैमाने की मितव्ययिता तथा सभी सदस्यों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।

3. मुक्ता ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कई प्रमुख बैंकों तथा विभिन्न सरकारी अनुदान एजेंसियों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं। वर्षों में विकसित ये संस्थागत संबंध महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मूल्य दर्शाते हैं तथा विलय के प्रभावी होने पर, ऋण सुविधाओं, सरकारी डेयरी विकास योजनाओं एवं अन्य विकासात्मक वित्तपोषण अवसरों तक मालव महिला की पहुंच को सुदृढ़ करेंगे।

g. तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तथा अपने किसी भी ऋणदाता एवं सदस्यों के प्रति दोनों कंपनियों के दायित्वों एवं देयताओं में कोई कमी न होने के दृष्टिगत, दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अधिनियम की धारा 378ZN एवं तत्संबंधी अन्य लागू प्रावधानों तथा तत्संबंधी नियमों के अनुसार मुक्ता का मालव महिला में विलय करने का निर्णय लिया है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मानना है कि प्रस्तावित विलय प्रस्ताव सभी हितधारकों को लाभ सुनिश्चित करेगा तथा सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य वृद्धि करेगा।

4. विलय को नियंत्रित करने वाले विनियामक प्रावधान

a. मुक्ता एवं मालव महिला "प्राथमिक उत्पादकों" के इक्विटी अंशदान से निगमित उत्पादक कंपनियां हैं तथा यह उन्हीं तक सीमित है, अर्थात उत्पादक कंपनियों में कोई सरकारी अथवा निजी इक्विटी भागीदारी नहीं हो सकती तथा सदस्य की इक्विटी का व्यापार नहीं किया जा सकता, केवल किसी अन्य पात्र उत्पादक को अंतरित किया जा सकता है।

b. अधिनियम की धारा 378जी यह प्रावधान करती है कि उत्पादक कंपनी की सदस्यता स्वैच्छिक है तथा सभी पात्र व्यक्तियों हेतु उपलब्ध है, जो उत्पादक कंपनी की सुविधाओं अथवा सेवाओं में भाग लेने अथवा उनका लाभ उठाने के हकदार हैं तथा सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने हेतु इच्छुक हैं तथा इन कंपनियों के सदस्य महिला डेयरी किसान हैं, जिनमें बहुसंख्य लघु एवं सीमांत किसान हैं जिनकी वहनीयता के साधन सीमित हैं।

c. उत्पादक कंपनियों को अधिनियम में उत्पादक कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु प्रस्तुत विशिष्ट अध्याय XXIA द्वारा एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, जिसका प्रचलित समय में लागू किसी भी अन्य अधिनियम के प्रावधानों अथवा विधि पर अध्यारोही प्रभाव है (अधिनियम की धारा 378ZQ)।

d. अधिनियम की धारा 378ZN में दो अथवा अधिक उत्पादक कंपनियों के विलय अथवा समामेलन हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जो इसकी साधारण सभा में विलय के विस्तृत प्रावधानों वाले प्रस्ताव के पारित होने का प्रावधान करती है। उक्त प्रस्ताव एक अभिहस्तांतरण (कन्वेयंस) के रूप में कार्य करता है, जो परिसंपत्तियों, दायित्वों, करारों, कर्मचारियों आदि को मालव महिला में निहित करता है।

e. अधिनियम की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसरण में, इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ मुक्ताका नाम हटा देगा।

5. दोनों कंपनियों के बोर्ड ने अपनी संबंधित बोर्ड बैठक में, जो 25 अगस्त 2026 और 26 अगस्त 2026 को आयोजित हुई, मुक्ता के मालव महिला में विलय के संबंध में प्रस्ताव पारित किया।

6. संलग्न सूचना एवं व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज़, सूचना प्रेषण की तिथि से बैठक की तिथि तक, सभी कार्यदिवसों (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

7. कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके संबंधियों में से कोई भी उपरोक्त प्रस्ताव में वित्तीय अथवा अन्य किसी रूप से चिंतित अथवा हितबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

Sd/-

स्थान: सागर

दिनांक: 25-08-2026

मेघा जैन

कंपनी सचिव

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting) की कार्यवाही, जो गुरुवार, 25 सितंबर 2025 को होटल दीपाली, मकरोनिया रेलवे क्रॉसिंग, जबलपुर रोड, सागर, मध्य प्रदेश-470002 में आयोजित हुई। बैठक दोपहर 12:00 बजे प्रारंभ हुई और दोपहर 12:38 बजे समाप्त हुई।

उपस्थित:

श्रीमती रूपवती कुर्मी :	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
श्रीमती लक्ष्मी लोधी :	निदेशक एवं शेयरधारक
श्रीमती राजकुमारी यादव :	निदेशक एवं शेयरधारक
श्रीमती रबीना घोसी :	निदेशक एवं शेयरधारक
श्रीमती प्राण यादव :	निदेशक एवं शेयरधारक
श्रीमती रानू यादव :	निदेशक एवं शेयरधारक
श्रीमती जयंती :	अतिरिक्त निदेशक एवं शेयरधारक
श्रीमती नीरज कुमारी :	अतिरिक्त निदेशक एवं शेयरधारक
श्री धर्मेंद्र कुमार :	विशेषज्ञ निदेशक
श्री नमो नारायण मौर्य :	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
श्रीमती मेघा जैन :	कंपनी सचिव

A. श्रीमती रूपवती कुर्मी ने अध्यक्षता ग्रहण की और कंपनी सचिव से बैठक प्रारंभ करने हेतु आवश्यक उपस्थिति एवं कोरम की पुष्टि करने को कहा।

B. श्री बसंत चौधरी, कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक, पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

C. तत्पश्चात श्रीमती मेघा जैन, कंपनी सचिव ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 1,781 शेयर रखने वाले 37 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 1,36,262 शेयर रखने वाले 4,440 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(9) को एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के साथ पढ़े जाने पर आवश्यक कोरम 3,766 सदस्य है।

D. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात घोषणा की कि आवश्यक कोरम उपस्थित है।

E. कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा अन्य वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण हेतु उपलब्ध एवं खुले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या योग्यता नहीं है, अतः लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

F. अध्यक्ष ने कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, मिशन एवं विजन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की।

G. बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से 9वीं वार्षिक आम सभा की सूचना, जो पहले ही सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी थी, को पढ़ा हुआ मान लिया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष की सलाह पर कंपनी सचिव ने बैठक के एजेंडा मदों को लिया।

1. दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की बैलेंस शीट (Balance Sheet) तथा उस दिनांक को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि खाते (Profit and Loss Account) को, उनसे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित प्राप्त करने, विचार करने एवं अंगीकृत करने तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) पारित करने हेतु:

1.1 सुश्री मेघा जैन, कंपनी सचिव ने खातों पर **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)** को पढ़कर सुनाया।

1.2 इसके पश्चात, सदस्यों ने **31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के खातों** पर विचार-विमर्श किया।

प्रस्ताव संख्या 01/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26

"प्रस्तावित किया गया कि दिनांक **31 मार्च 2025** को कंपनी की **लेखापरीक्षित बैलेंस शीट**, उक्त दिनांक को समाप्त अवधि के लिए **लाभ एवं हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement)**, उनसे संबंधित अनुसूचियों एवं टिप्पणियों सहित तथा कंपनी के **निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट** को एतद्द्वारा **अनुमोदित एवं अंगीकृत किया जाता है।"**

सुश्री **रानी यादव (फोलियो संख्या: 0024411)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

2. सुश्री जयन्ती (DIN: 10919044) को **निदेशक (Director) के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना एवं नियुक्त करना।**

2.1 सुश्री **शकी यदव (फोलियो संख्या: 0021655)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

"प्रस्तावित किया गया कि सुश्री **जयन्ती (DIN: 10919044)**, जिन्हें दिनांक **24-01-2025** से कंपनी के निदेशक मंडल में **अतिरिक्त निदेशक (Additional Director)** के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस **वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting)** की तिथि तक अपने पद पर बनी हुई हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के **निदेशक (Director)** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति (retirement by rotation)** के अधीन होगा।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **तुलसा बाई (फोलियो संख्या: 0004605)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

3. सुश्री नीरज कुमारी (DIN: 10903631) को **निदेशक (Director) के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना एवं नियुक्त करना।**

3.1 सुश्री **रीना लोधी (DIN: 0002359)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 03/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"प्रस्तावित किया गया कि सुश्री **नीरज कुमारी (DIN: 10903631)**, जिन्हें दिनांक **11-01-2025** से कंपनी के निदेशक मंडल में **अतिरिक्त निदेशक (Additional Director)** के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस **वार्षिक आम बैठक** की तिथि तक अपने पद पर बनी हुई हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के **निदेशक (Director)** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति (Retirement by Rotation)** के अधीन होगा।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **फूल रानी (फोलियो संख्या: 0028909)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

4. सुश्री राजकुमारी यादव (DIN: 08927054), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त (retires by rotation) हो रही हैं, की सेवानिवृत्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को अंगीकृत करना:

4.1 सुश्री **अर्चना लोधी (फोलियो संख्या: 0028907)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 04/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"प्रस्तावित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XXIA**, धारा **152** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, सुश्री **राजकुमारी यादव (DIN: 08927054)**, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी** हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र न होने के कारण स्वयं को **पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत नहीं करती हैं**, उनकी सेवानिवृत्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **उषा रानी (फोलियो संख्या: 0028902)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

5. सुश्री लक्ष्मी लोधी (DIN: 08927053), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त (retires by rotation) हो रही हैं, की सेवानिवृत्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को अंगीकृत करना।

5.1 सुश्री **दशोदा लोधी (फोलियो संख्या: 0028901)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 05/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"प्रस्तावित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XXIA**, धारा **152** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, सुश्री **लक्ष्मी लोधी (DIN: 08927053)**, जो इस

वार्षिक आम बैठक में **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी** हैं तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र न होने के कारण स्वयं को **पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तुत नहीं करती हैं**, उनकी सेवानिवृत्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **जानकी सेन (फोलियो संख्या: 0019609)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

6. सुश्री तुलसा यादव (DIN: 11271843) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

6.1 सुश्री **संजना लोधी (फोलियो संख्या: 0028904)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 06/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"**प्रस्तावित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XXIA**, धारा **152** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, सुश्री **तुलसा यादव (DIN: 11271843)** को एतद्द्वारा कंपनी के **निदेशक (Director)** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति (Retirement by Rotation)** के अधीन होगा।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **गुलाब बाई (फोलियो संख्या: 0010622)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

7. सुश्री सरोज पटेल (DIN: 11271858) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

7.1 सुश्री **शिखारानी यादव (फोलियो संख्या: 0023622)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 07/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"**प्रस्तावित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XXIA**, धारा **152** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, सुश्री **सरोज पटेल (DIN: 11271858)** को एतद्द्वारा कंपनी के **निदेशक (Director)** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति (Retirement by Rotation)** के अधीन होगा।"

"**प्रस्तावित किया गया कि आगे** कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **विनीता (फोलियो संख्या: 0010625)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

8. सुश्री कृष्णाबाई तिवारी (DIN: 11271852) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

8.1 सुश्री **सविता (फोलियो संख्या: 0011423)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 08/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"**प्रस्तावित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XXIA**, धारा **152** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, सुश्री **कृष्णाबाई तिवारी (DIN: 11271852)** को एतद्द्वारा कंपनी के **निदेशक (Director)** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति (Retirement by Rotation)** के अधीन होगा।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **धनबाई यादव (फोलियो संख्या: 0018606)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

9. सुश्री आरती यादव (DIN: 11271854) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

9.1 सुश्री **प्रियंका (फोलियो संख्या: 0010616)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 09/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"प्रस्तावित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XXIA**, धारा **152** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, सुश्री **आरती यादव (DIN: 11271854)** को एतद्द्वारा कंपनी के **निदेशक (Director)** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति (Retirement by Rotation)** के अधीन होगा।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **आशा रानी (फोलियो संख्या: 0014527)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

10. सुश्री सोमवती यादव (DIN: 11271838) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

10.1 सुश्री **कौशिल्या बाई यादव (फोलियो संख्या: 0028744)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 10/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"**प्रस्तावित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के **अध्याय XXIA**, धारा **152** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, सुश्री **सोमवती यादव (DIN: 11271838)** को एतद्द्वारा कंपनी के **निदेशक (Director)** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल **रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति (Retirement by Rotation)** के अधीन होगा।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित सभी कदम उठाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **नीमा लोधी (फोलियो संख्या: 0016599)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

11. कंपनी की शेयर पूंजी (Share Capital) पर सीमित प्रतिफल (Limited Return) [लाभांश (Dividend)] पर विचार करना एवं उसे घोषित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

11.1 सुश्री **नीता बाई लोधी (फोलियो संख्या: 0002312)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या 11/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26

"**प्रस्तावित किया गया कि** 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के **चालू लाभ (Current Profits)** में से, कंपनी की **281,284 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों**, जिनका अंकित मूल्य **₹100/- प्रति शेयर** है, पर **₹7/- प्रति इक्विटी शेयर** की दर से **सीमित प्रतिफल (Limited Return) [लाभांश (Dividend)]**, जिसकी कुल राशि **₹19,68,988/-** है, वित्तीय वर्ष **2024-25** के लिए एतद्द्वारा **अनुमोदित एवं पुष्टि** की जाती है तथा उक्त राशि का भुगतान उन **इक्विटी शेयरधारकों** को किया जाए, जिनके नाम **31 मार्च 2025** को सदस्यों के रजिस्टर (Register of Members) में दर्ज थे।"

सुश्री **माया रानी पटेल (फोलियो संख्या: 0030665)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

12. सदस्यों को उनके पैट्रनेज (Patronage) के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड (Revised Criteria) पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

12.1 सुश्री **कुंतीबाई लोधी (फोलियो संख्या: 0014381)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या 12/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26

"प्रस्तावित किया गया कि दिनांक **26.10.2017** को आयोजित कंपनी की **प्रथम वार्षिक आम बैठक (First Annual General Meeting)** में पारित प्रस्ताव के अधिक्रमण में, कंपनी के **अंतर्नियम (Articles of Association)** के अनुच्छेद **9.4** के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों की **व्यावसायिक सहभागिता (अर्थात् पैट्रनेज/Patronage)** के आधार पर सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए **संशोधित मानदंड (Revised Criteria)** निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं:"

क्र. सं.	मापदंड (Parameter)	श्रेणी - A	श्रेणी – B	श्रेणी – C
1	एक वर्ष में MPC को दूध आपूर्ति किए गए दिनों की संख्या	>= 330 दिन	>=270 दिन	>=200 दिन
2	MPC को वार्षिक रूप से आपूर्ति की गई दूध की मात्रा (लीटर में)	>=6000	>=2000	>=500
3	फ्लश अवधि (अर्थात नवंबर से फरवरी) और लीन अवधि (अर्थात अप्रैल से जुलाई) के दौरान दूध आपूर्ति का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए।	फ्लश से लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।	फ्लश से लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।	फ्लश से लीन अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।
4	MPC के न्यूनतम सदस्यता शेयर (अंश पूंजी में योगदान) की संख्या	60 शेयर	20 शेयर	5 शेयर

नोट -

a) श्रेणी निर्धारित करने के उद्देश्य से **वास्तविक शेयर अंशदान अथवा वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई दूध की मात्रा, इनमें से जो भी कम हो,** उसे आधार माना जाएगा।

b) पैट्रनेज (Patronage) की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा:

i. वे सदस्य, जिन्हें **पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल किया गया है** और जिनकी सदस्यता को अभी **365 दिन पूरे नहीं हुए हैं**, लेकिन उन्होंने निर्धारित **न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी** की सदस्यता ले ली है, उन्हें संबंधित श्रेणी में शामिल माना जाएगा।

ii. कोई भी सदस्य यदि **श्रेणी A या श्रेणी B** के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो वह उस **उपयुक्त निम्न श्रेणी** में आ सकता है, जिसके मानदंड वह पूरा करता है। हालांकि, ऐसे सदस्य उस वर्ष **निदेशक मंडल (Board of Directors) के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।**

iii. वे सदस्य जो कम से कम **'श्रेणी C'** में बने रहने के लिए निर्धारित आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें कंपनी के **अंतर्नियम (Articles of Association)** के **अनुच्छेद 4.3 को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े जाने पर** लागू प्रावधानों के अनुसार **सदस्यता रद्द करने हेतु नोटिस** जारी किया जाएगा।

उपरोक्त संशोधित मानदंडों को **वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी** करने हेतु एतद्द्वारा **अनुमोदित एवं अंगीकृत** किया जाता है।"

सुश्री **स्वाति लोधी (फोलियो संख्या: 0002076)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

13. NDDB द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहु-राज्य सहकारी समिति (Multi-State Cooperative) की शेयर पूंजी की सदस्यता लेने पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) के रूप में पारित करना:

13.1 सुश्री **जमना बाई यादव (फोलियो संख्या: 0004904)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **विशेष प्रस्ताव (Special Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 13/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"प्रस्तावित किया गया कि कंपनी के **ज्ञापन एवं अंतर्नियम (Memorandum and Articles of Association)** के प्रावधानों तथा **कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA**, एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हों (जिसमें समय-समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन को शामिल किया गया है), के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि कंपनी **सामान्य आरक्षित निधि (General Reserves)** के अधिकतम **30%** की सीमा तक **बहु-राज्य सहकारी समिति (Multi-State Cooperative Society)** के शेयरों की सदस्यता ले सकती है तथा **NDDB द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति** की सदस्य बन सकती है।

प्रस्तावित किया गया कि आगे कंपनी के **अध्यक्ष (Chairman)** एवं **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive)** को पृथक-पृथक रूप से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही शुरू करने तथा आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

सुश्री **पार्वती लोधी (फोलियो संख्या: 0008123)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

14. बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की निर्धारित मानदंडों के आधार पर जांच/छंटनी करने हेतु 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for Constitution of Nominating Committee)' पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

14.1 सुश्री **सरोज बाई यादव (फोलियो संख्या: 0023060)** ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या 14/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26

"प्रस्तावित किया गया कि कंपनी अधिनियम के **भाग XXI-A**, विशेष रूप से **धारा 378-I एवं धारा 14** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें उसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसार, कंपनी के **शेयरधारकों की सहमति** एतद्द्वारा **नामांकन समिति (Nominating Committee) के गठन के लिए दिशा-निर्देशों** को अपनाने एवं अनुमोदित करने हेतु प्रदान की जाती है।

(i) मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के **तीन माह के भीतर**, एक **"नामांकन समिति (Nominating Committee)" (NC)** का गठन करेगा, जो कंपनी के निदेशक मंडल में **रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक (Producer-Member Director) के पद** के लिए **संभावित उम्मीदवार** के नाम का सुझाव निदेशक मंडल को देगी।

(ii) निदेशक मंडल में **उत्पादक निदेशकों (Producer Directors)** के रिक्त पदों (श्रेणी **A, B अथवा C** के अंतर्गत) की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार किए जाने हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने वाली सूचना, बोर्ड में जितने पद रिक्त हैं उतने पदों को भरने के उद्देश्य से, कंपनी के **सूचना-पट्ट (Notice Board)** पर और/या कंपनी की **वेबसाइट**, यदि कोई हो, पर प्रकाशित की जाएगी तथा/या पात्र सदस्यों को **साधारण डाक** द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी में पंजीकृत उनके **ई-मेल आईडी** पर भेजकर और/या किसी अन्य **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/तरीके** से, संबंधित रिक्ति वाली श्रेणी/श्रेणियों के सभी पात्र सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

(iii) बोर्ड एक ऐसी प्रक्रिया तैयार करेगा, जिसका पालन **नामांकन समिति (Nominating Committee)** द्वारा इस अनुच्छेद में संदर्भित **संभावित सदस्यों की पहचान** करने के लिए किया जाएगा।

(IV)नामांकन समिति (Nominating Committee) पात्र आवेदकों के लिए प्रत्येक मापदंड के आधार पर दिए जाने वाले **'आवेदक की पात्रता स्कोर (Applicant's Eligibility Scores)'** को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:"

आवेदक की पात्रता स्कोर के लिए मापदंड	अधिकतम अंक
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दूध आपूर्ति किए गए दिनों की संख्या। अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे: 95% या उससे अधिक दिन - 30 अंक; 85% से 95% से कम - 20 अंक; 75% से 85% से कम - 15 अंक; 65% से 75% से कम - 10 अंक; 55% से 65% से कम - 5 अंक; 55% से कम - 0 अंक।	30
संबंधित अवधि के दौरान अपना पूरा अधिशेष दूध कंपनी को आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य पक्ष/प्रतियोगी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की हो)। यह **स्व-घोषणा (Self-Declaration)** तथा कंपनी द्वारा बाद में किए जाने वाले सत्यापन के आधार पर होगा।.	5
पिछले **5 वर्षों** के दौरान किसी एक सदस्य श्रेणी **(A, B या C)** को बनाए रखने के लिए **प्रत्येक वर्ष 6 अंक**।	30
12वीं उत्तीर्ण - 5 अंक; स्नातक (Graduate) – 10 अंक; स्नातकोत्तर (Post Graduate) – 15 अंक।	15
प्रशिक्षण में भागीदारी: सदस्य प्रशिक्षण (Member Training) – **5 अंक**; VCG/MRG प्रशिक्षण - **5 अंक**; LDP (Leadership Development Programme)/निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Board of Directors' Training Programme) – **10 अंक**।	20
कुल (TOTAL)	100

(v) बोर्ड द्वारा गठित **नामांकन समिति (Nominating Committee)** में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:–

(i) उस सदस्य श्रेणी से संबंधित **उत्पादक-सदस्य निदेशक (Producer-Member Director)**, जिस श्रेणी में रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि उक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक आगामी **वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक** न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य इस मानदंड को पूरा करते हैं, तो आपसी सहमति न होने की स्थिति में तथा आपस में किसी समझौते के अधीन, **लॉटरी/पर्ची द्वारा (Draw of Lots)** नामांकन समिति के एक सदस्य की पहचान की जाएगी। यदि संबंधित श्रेणी से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो उपस्थित सभी निदेशकों की **आपसी सहमति** से अथवा **लॉटरी/पर्ची द्वारा** किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी।

(ii) कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल **एक विशेषज्ञ निदेशक (Expert Director)**; तथा

(iii) किसी प्रतिष्ठित **प्रबंधन संस्थान (Management Institute)** अथवा ऐसी संस्था से **एक विशेषज्ञ**, जिसने उत्पादक-स्वामित्व वाले उद्यमों (Producer-Owned Enterprises) के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी के **कंपनी सचिव (Company Secretary)** नामांकन समिति की सहायता करेंगे तथा नामांकन समिति से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, जिसमें **नामांकन समिति की बैठक की कार्यवाही (Minutes of the Meeting)** भी शामिल है, के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iv) नामांकन समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से लेकर उस तारीख तक रहेगा, जिस दिन समिति कंपनी के बोर्ड को अपनी **सिफारिश (Recommendation)** प्रस्तुत कर देगी।

(v) बोर्ड, नामांकन समिति द्वारा ऐसे **संभावित सदस्यों की पहचान** करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

"प्रस्तावित किया गया कि आगे, इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के **निदेशक मंडल** को अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक एवं उचित समझे जाने वाले सभी कदम उठाने तथा सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं कार्यवाहियां करने और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी **प्रश्न, कठिनाई या संदेह** का समाधान करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

सुश्री **जानकी बाई लोधी (फोलियो संख्या: 0015547)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

15. कंपनी के अंतर्नियम (Articles of Association) में संशोधन करने पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के विशेष प्रस्ताव (Special Resolution) के रूप में पारित करना:

15.1 सुश्री रानी लोधी (फोलियो संख्या: 0026105) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **विशेष प्रस्ताव (Special Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 15/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"प्रस्तावित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के **भाग XXI-A**, विशेष रूप से **धारा 378-I एवं धारा 14** तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें उसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसार तथा कंपनी के वर्तमान **अंतर्नियम (Articles of Association)** के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा कंपनी के **अंतर्नियमों में निम्नलिखित तरीके एवं सीमा तक संशोधन** करने हेतु प्रदान की जाती है:**

1. वर्तमान अनुच्छेद 9.5(i) में संशोधन कर इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

*"निदेशक मंडल में प्रत्येक सदस्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहां तक संभव हो, संबंधित श्रेणी के **पैट्रनेज (Patronage)** के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह प्रावधान कंपनी की **9वीं वार्षिक आम बैठक के समापन** से प्रभावी होगा।"*

2. वर्तमान अनुच्छेद 9.6(ii) में संशोधन कर इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"निदेशक मंडल में किसी भी रिक्त पद को वार्षिक आम बैठक में भरने के लिए, बोर्ड द्वारा नियुक्त ***नामांकन समिति*** ***(Nominating Committee)*** *की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। यह प्रावधान कंपनी की* ***9वीं वार्षिक आम बैठक के समापन*** *से प्रभावी होगा।"*

3. वर्तमान अनुच्छेद 9.7(ii) में संशोधन कर इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"निदेशक मंडल में रिक्त पद/पदों को भरने अथवा अन्यथा, बोर्ड ***अतिरिक्त निदेशक*** ***(Additional Director(s))*** *या* ***निदेशक*** ***(Director)*** *को सहयोजित (Co-opt) कर सकता है, ताकि आकस्मिक रिक्ति (Casual Vacancy) को भरा जा सके, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य ने कम से कम* ***पिछले दो वित्तीय वर्षों*** *के लिए सदस्यता जारी रखने संबंधी मानदंड (Membership Continuation Criteria) को पूरा किया हो। इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली* ***वार्षिक आम बैठक*** *तक अथवा उससे कम अवधि तक, यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय करता है, पद पर बना रहेगा। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को इसके बाद के* ***दो लगातार वर्षों में*** *निदेशक मंडल में रिक्त पद को भरने के लिए पुनः सहयोजित (Co-opt) नहीं किया जा सकेगा।*

"इसके अतिरिक्त, 'कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता जारी रखने संबंधी मानदंड' की आवश्यकता कंपनी की ***9वीं वार्षिक आम बैठक के समापन*** *से प्रभावी होगी।"*

"प्रस्तावित किया गया कि आगे उपर्युक्त संशोधनों से पूर्व कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्यवाहियां, कृत्य एवं अन्य कार्य एतद्द्वारा **अनुमोदित** किए जाते हैं।

प्रस्तावित किया गया कि आगे यह प्रस्ताव **सभी पूर्व व्यवस्थाओं का अधिक्रमण (Supersede)** करेगा।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि कोई भी निदेशक अथवा **कंपनी सचिव (Company Secretary)** इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं कार्यवाहियां करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत है।"

सुश्री **रागिनी (फोलियो संख्या: 0028769)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

16. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना एवं उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन सहित अथवा बिना किसी संशोधन के साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना:

16.1 सुश्री बर्षा लोधी (फोलियो संख्या: 0030051) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को **साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution)** के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>प्रस्ताव संख्या 16/9वीं एजीएम: 25.09.2025/2025-26</u>

"**प्रस्तावित किया गया कि** वित्तीय वर्ष **2025-26** के लिए कंपनी का **राजस्व एवं पूंजीगत बजट (Revenue & Capital Budget)** एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो कंपनी की **9वीं वार्षिक आम बैठक में आवश्यक अनुसमर्थन/अनुमोदन (Ratification/Approval)** के अधीन होगा।"

सुश्री **कमलेश बाई (फोलियो संख्या: 0026104)** ने उपर्युक्त प्रस्ताव का **समर्थन (Seconded)** किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और **हाथ उठाकर मतदान** कराया गया। अध्यक्ष ने घोषित किया कि उक्त प्रस्ताव **सर्वसम्मति से पारित** किया गया।

17.बैठक में विचारार्थ कोई अन्य कार्य शेष न होने के कारण, अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

Sd/-

दिनांक: 30/10/2025 **अध्यक्ष**

वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड					
राजस्व बजट					
क्र. सं.	**विवरण**	**माप की इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 का वास्तविक**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रस्तावित बजट**
(I)	दूध खरीद मात्रा	(KGPD)	65,427	41,628	74,503
(II)	दूध परिचालन से राजस्व	(रु. लाख में)	14,365.72	9,536.60	16,872.67
(III)	उत्पादक मूल्य	(रु. लाख में)	12,358.49	8,169.33	14,553.25
(IV)	सहायकों का मार्जिन	(रु. लाख में)	259.22	36.72	249.48
(V)	लॉजिस्टिक लागत	(रु. लाख में)	1,010.12	651.19	1,051.46
(VI)	अन्य दूध खरीद लागत	(रु. लाख में)	457.82	378.74	667.00
(VII)	स्थिर लागत	(रु. लाख में)	298.73	277.27	365.51
(VIII)	**अनुदान सहायता से पूर्व दूध परिचालन से लाभ/(हानि)**	**(रु. लाख में)**	**(18.67)**	**23.35**	**(14.04)**

(IX)	अनुदान सहायता - दूध परिचालन	(रु. लाख में)	-	-	-
(X)	**अनुदान सहायता के पश्चात दूध परिचालन से लाभ/(हानि)**	**(रु. लाख में)**	**(18.67)**	**23.35**	**(14.04)**
(XI)	PES गतिविधियों के लिए राजस्व व्यय	(रु. लाख में)	28.02	16.01	23.74
(XII)	(घाटा) - PES परिचालन	(रु. लाख में)	(28.02)	(16.01)	(23.74)
(XIII)	अनुदान सहायता - PES परिचालन	(रु. लाख में)	-	-	-
(XIV)	PES परिचालन से लाभ/(हानि)	(रु. लाख में)	(28.02)	(16.01)	(23.74)
(XV)	अन्य आय	(रु. लाख में)	52.56	52.07	59.20
(XVII)	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	(रु. लाख में)	**5.87**	**59.41**	**21.43**

पूंजीगत व्यय बजट					
क्र. सं.	**विवरण**	**माप की इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 का वास्तविक**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रस्तावित बजट**
A	**दूध परिचालन (Milk Operation)**				
(I)	MPP स्थापना लागत	**(रु. लाख में)**	-		-
(II)	कैन (CANS)	**(रु. लाख में)**	-		60.00
(III)	BMC	**(रु. लाख में)**	-		90.00
(IV)	HO स्थापना	**(रु. लाख में)**	-		-
(V)	ICT	**(रु. लाख में)**	0.45	0.52	7.00
(VI)	DPMCU	**(रु. लाख में)**	-	35.27	490.00
(VII)	BMC सहायक उपकरण	**(रु. लाख में)**	-		-

(VIII)	AMCU	**(रु. लाख में)**	-		-
(IX)	BMC स्थापना लागत	**(रु. लाख में)**	10.69	10.49	29.39
(X)	ETP	**(रु. लाख में)**	-		-
(XI)	क्लस्टर अधिकारी स्थापना	**(रु. लाख में)**	-		-
	दूध परिचालन हेतु पूंजीगत व्यय (Capex – Milk Operations)	**(रु. लाख में)**	**11.14**	**46.28**	**676.39**
(XII)	दूध परिचालन हेतु पूंजीगत अनुदान सहायता	**(रु. लाख में)**	-	-	-
	स्वयं के निधियों से पूंजीगत व्यय (Capex from Own Funds)	**(रु. लाख में)**	**11.14**	**46.28**	**676.39**
B	**PES परिचालन (PES Operation)**				
(I)	कंटेनर	**(रु. लाख में)**	-	-	-
(II)	LN साइलो	**(रु. लाख में)**	-	-	-
(III)	हैंडहेल्ड डिवाइस/टैबलेट	**(रु. लाख में)**	-	-	-
(IV)	लैपटॉप	**(रु. लाख में)**	-	-	-
(V)	PES केंद्र स्थापना	**(रु. लाख में)**	-	-	-
	PES परिचालन हेतु पूंजीगत व्यय (Capex – PES Operations)	**(रु. लाख में)**	**-**	**-**	**-**
(VI)	PES परिचालन हेतु पूंजीगत अनुदान सहायता	**(रु. लाख में)**	-	-	-
	स्वयं के निधियों से पूंजीगत व्यय	**(रु. लाख में)**	**-**	**-**	**-**

	(Capex from Own Funds)				

I	कुल पूंजीगत व्यय (Total Capex)	(रु. लाख में)	11.14	46.28	676.39
II	कुल पूंजीगत अनुदान (Total Capex Grant)	(रु. लाख में)	-	-	-
III	स्वयं के निधियों से पूंजीगत व्यय (Capex from Own Funds)	(रु. लाख में)	11.14	46.28	676.39

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
शेयरधारकों के लिए 10वीं निदेशक रिपोर्ट

निदेशकगण कंपनी के संचालन पर अपनी 10वीं वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

वित्तीय परिणाम

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं:

(रु. हजार में)

विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024
कुल राजस्व	10,08,679/-	10,15,678/-	10,21,525/-
व्यय सहित कुल लागत	10,02,738/-	10,12,681/-	10,21,067/-
कर पूर्व लाभ / (हानि)	5,941/-	2,997/-	458/-
कर व्यय			
(1) चालू कर	1,736/-	786/-	131/-
(2) आस्थगित कर	(37.00)	(4.00)	(95/-)
(3) MAT क्रेडिट का अधिकार	(809.00)	(318)	-

(4) पूर्व वर्षों से संबंधित कर	4.00/-	91.0/-	-
शुद्ध कर व्यय	894/-	555/-	36/-
कर पश्चात लाभ / (हानि)	5047/-	2442/-	422/-

बोर्ड को सूचित किया गया कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 108.67 करोड़ का कारोबार प्राप्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल राजस्व रु. 108.67 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 101.56 करोड़ था, इस प्रकार 15% की वृद्धि दर्ज की गई। व्यय सहित कुल लागत घटकर रु. 100.27 करोड़ रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह रु. 101.26 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ (PBT) रु. 59.41 लाख और कर पश्चात शुद्ध लाभ (PAT) रु. 50.47 लाख रहा। रु. 100/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर आय (EPS), रु. 265.75 लाख की कुल इक्विटी पूंजी को ध्यान में रखते हुए, रु. 18.75/- है।

सीमित प्रतिफल (लाभांश)

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्यों को शेयर पूंजी पर लाभांश घोषित करने का निरंतर रिकॉर्ड रहा है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को देखते हुए, 20 अगस्त, 2026 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशकों ने रु. 265.75 लाख की इक्विटी शेयर पूंजी पर प्रति शेयर रु. 7/- के लाभांश की सिफारिश की। आगामी 10वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन, लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 31.03.2026 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर रु. 7/- का लाभांश कुल रु. 18,60,285/- होगा।

सामान्य रिज़र्व में अंतरण

बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के कर पश्चात लाभ में से रु. 31,86,715/- को कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के संबंधित प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Zl के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है।

संचालन का अवलोकन

दूध खरीद:

कंपनी ने सागर एवं छतरपुर जिलों के 13 स्थानों में अपना संचालन किया और 13 BMC स्थानों (बल्क मिल्क कूलर) के माध्यम से 565 MPP स्थापित कर 565 गांवों को कवर किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने 150.39 लाख किलोग्राम कच्चे दूध की खरीद की।

वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के 15497 सदस्य थे। इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कार्यप्रणाली में अपना विश्वास प्रदर्शित किया है। यह सकारात्मक संकेतक कंपनी की विकास यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है, जो अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और समर्थन से आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।

खरीद मूल्यों के संबंध में, कंपनी अपने सदस्यों द्वारा आपूर्ति किए गए दूध के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य देना जारी रखती है।

कंपनी दक्षता बढ़ाकर तथा लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच और बेहतर लॉजिस्टिक्स नियंत्रण आदि जैसे लागत-कमी उपाय अपनाकर "दूध बढ़ाओ, आय बढ़ाओ", "राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम" एवं "पशु बांझपन अभियान" के माध्यम से अपने सदस्यों से दूध खरीद को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

<u>भविष्य की योजना</u>

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने व्यवसाय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसी के तहत कंपनी के संचालन का विस्तार टीकमगढ़, निवाड़ी और नरसिंहपुर जैसे नए जिलों में किया गया है। इन क्षेत्रों में मुक्ता लगभग 350 गांवों तक विस्तार करेगी, 6,000 नए सदस्यों को जोड़ेगी और प्रतिदिन औसतन 25,000 लीटर दूध की खरीद करेगी।

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के लगभग 950 गांव, 35,000 सदस्य और औसतन 65,000 लीटर दूध की दैनिक खरीद होने की उम्मीद है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में संगठन के व्यवसाय में अनुमानित 60% वृद्धि होगी।

आने वाले समय में मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिलों में भी अपने दूध व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके साथ संगठन मध्य प्रदेश के कुल 08 जिलों में विस्तारित हो जाएगा, रु. 300 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनी बनेगा और मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में उभरेगा।

<u>उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ: -</u>

1. **कृत्रिम गर्भाधान**

कंपनी प्रशिक्षित एवं योग्य AI तकनीशियनों के माध्यम से किसानों के घर तक उच्च गुणवत्ता वाली आनुवंशिकी का उपयोग करते हुए कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं प्रदान कर रही है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दूध उत्पादन की लागत में कमी और पशुओं की नस्ल सुधार के माध्यम से किसानों की आय को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी स्थानीय युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता देती है और उन्हें NDDB के प्रशिक्षण केंद्र में कठोर प्रशिक्षण प्रदान करती है। गर्भाधान के 21 दिनों बाद पुनः हीट की जांच, 90 दिनों बाद गर्भावस्था निदान तथा प्रसव के बाद फॉलो-अप रिकॉर्ड रखा जाता है।

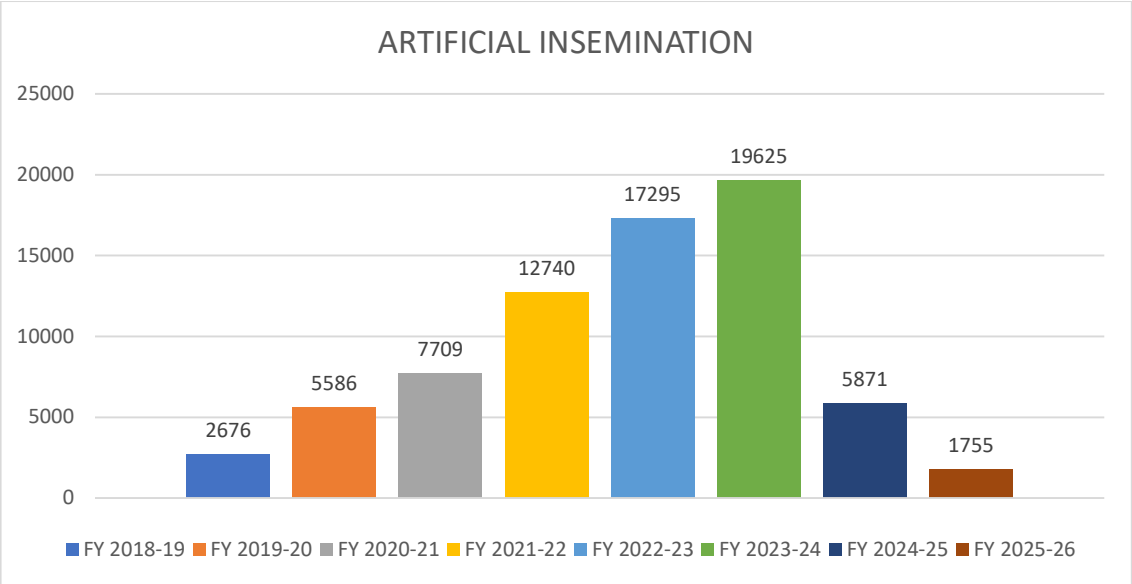

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 1755 कृत्रिम गर्भाधान (AI) किए। जो पिछले वर्ष की तुलना में **70% की कमी** दर्शाता है।

2. पशु आहार

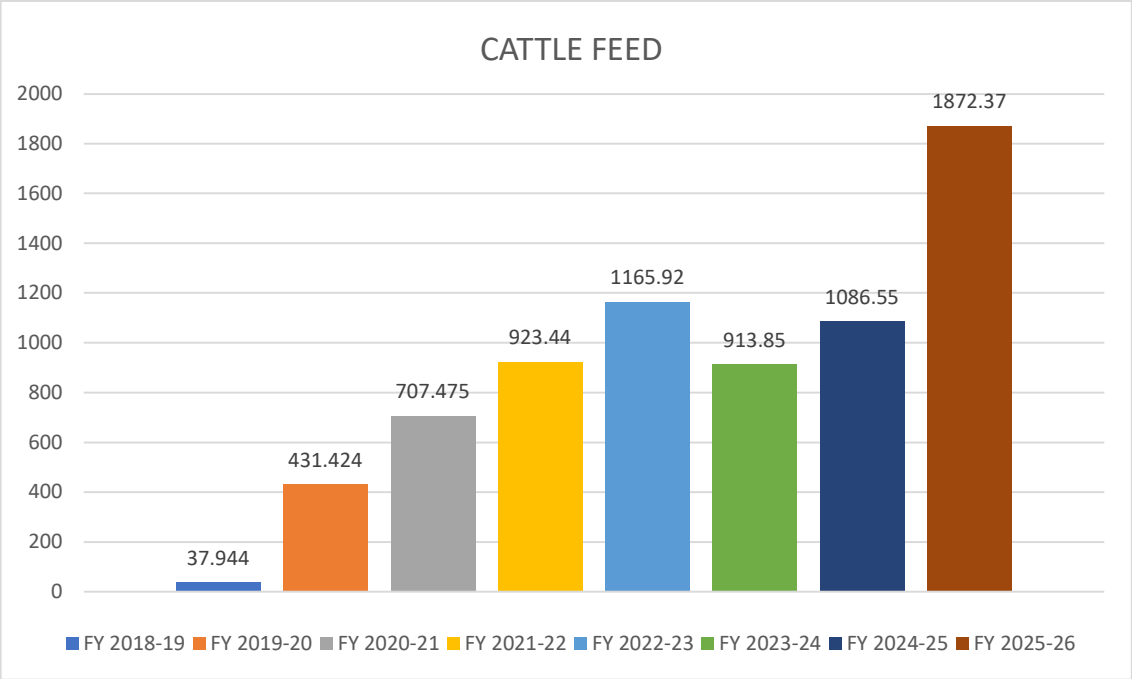

कंपनी ने अधिकतम संख्या में सदस्यों को उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वर्ष के दौरान 1872.37 MT पशु आहार बेचा, जबकि पिछले वर्ष यह 1086.55 MT था।

3. खनिज मिश्रण

कंपनी ने अपने संचालन क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और पशुओं की आहार आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम से खनिज मिश्रण विकसित किया है और दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन एवं प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने 2137 किलोग्राम खनिज मिश्रण बेचा।

4. कैल्शियम आहार पूरक

मुक्ता मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने कैल्शियम युक्त अतिरिक्त आहार पूरक शुरू किया है, जिससे दुधारू पशुओं की दूध उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

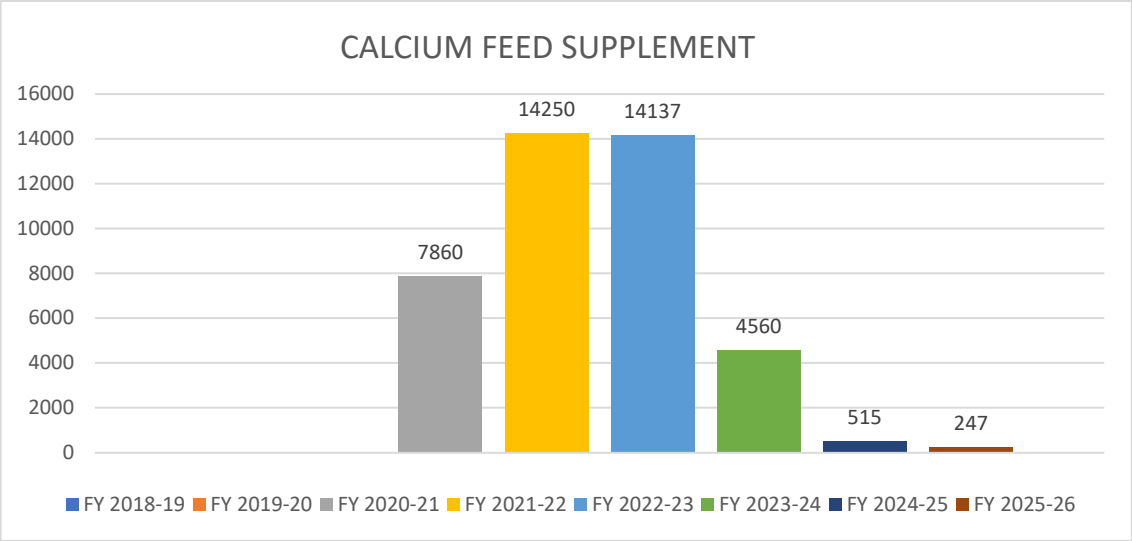

5. ***चारा बीज***

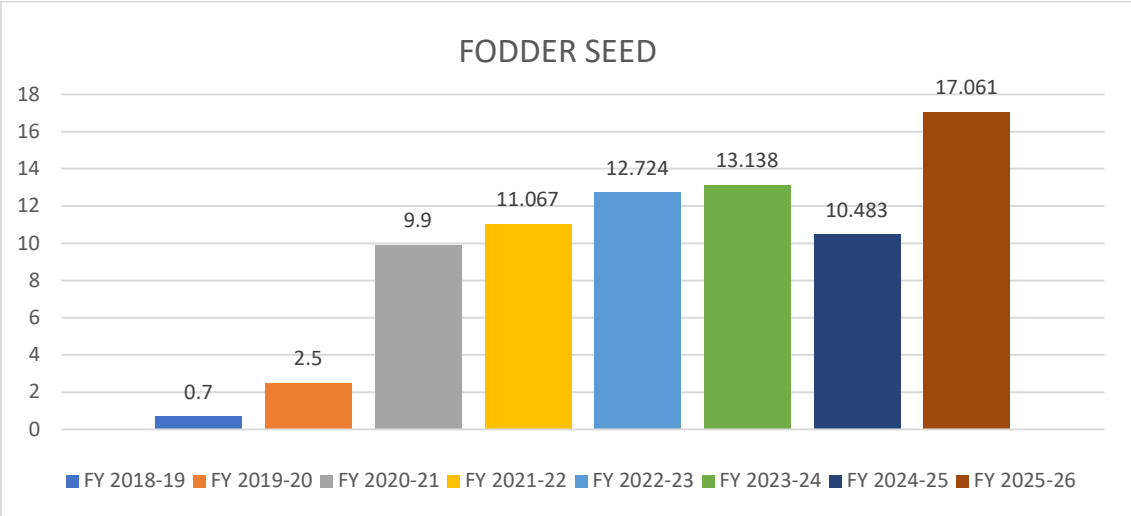

2025-26 में मुक्ता के किसानों द्वारा 17.061 MT उपज देने वाले हरे चारे के बीज खरीदे गए हैं। यह किसानों को बहु-कटाई वाले हरे चारे की उपलब्धता के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने में सहायता करता है।

6. कृमिनाशक टैबलेट

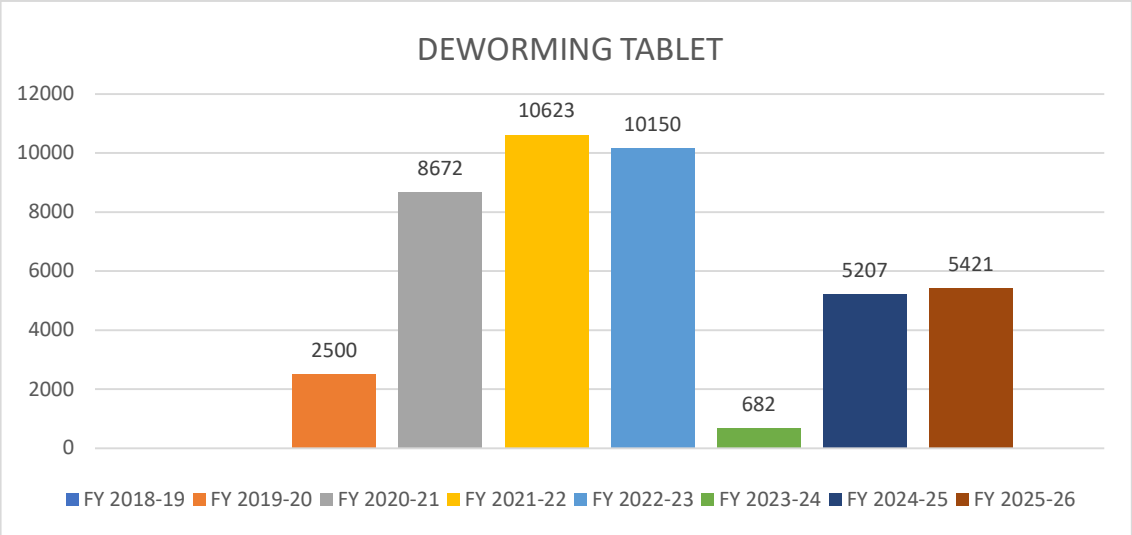

कंपनी भैंस एवं मवेशियों के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार के लिए पशुओं के लिए कृमिनाशक टैबलेट घर-घर उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों को 5421 कृमिनाशक टैबलेट बेचीं, जबकि पिछले वर्ष 5207 टैबलेट बेची गई थीं।

7. दूध बढ़ाओ-आय बढ़ाओ शिविर

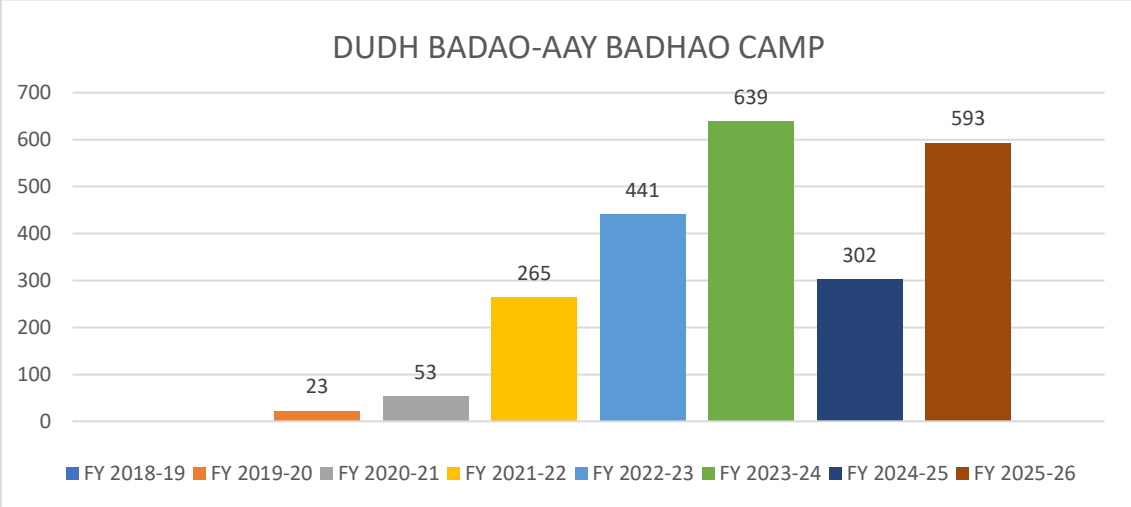

आधुनिक डेयरी फार्मिंग के बारे में शिक्षित करने और विभिन्न प्रश्नों पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए मुक्ता MPC क्षेत्र में समर्पित रूप से कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न गांवों में कुल 593 शिविर आयोजित किए गए।

- उपरोक्त उत्पादकता वृद्धि सेवाओं (PES) के अतिरिक्त, मुक्ता निम्नलिखित अतिरिक्त सेवाओं के लिए भी प्रयासरत है:

(a) हाइब्रिड नेपियर जड़ का वितरण,

(b) चारा काटने की मशीन,

(c) दुग्ध दोहन मशीन,

(d) लीवर टॉनिक,

(e) राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम,

(f) बांझपन शिविर आदि।

गुणवत्ता पहल:

उपयोग में आने वाले बल्क मिल्क कूलर (BMC) कच्चे दूध की गुणवत्ता जांच के लिए आवश्यक मूलभूत परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं। कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित एवं बनाए रखने के लिए कंपनी संबंधित सभी व्यक्तियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिसमें स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाता है क्योंकि यह सीधे दूध की गुणवत्ता से जुड़ी है। फार्म स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए गांव स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उत्पादक संस्था निर्माण (PIB):

PIB बेहतर शासन और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करता है। प्रयास कंपनी के व्यवसाय में सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में किए जाते हैं, जिससे बेहतर पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त होती है। नियमित VCG एवं MRG बैठकें सदस्यों के बीच स्पष्टता और विश्वास को मजबूत करती हैं।

PIB गतिविधियां मुख्यतः अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन प्रणालियों तथा सदस्यों द्वारा उनके संरक्षण/व्यवसायिक भागीदारी के अनुपात में इक्विटी में योगदान के माध्यम से उत्पादक कंपनी को डेयरी क्षेत्र के अन्य संगठनों से अलग करती हैं।

MPC के मूल डिज़ाइन सिद्धांत:

मूल डिज़ाइन सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया गया। व्यावसायिक लेन-देन केवल महिला सदस्यों तक सीमित रखा गया। सदस्य शिक्षा एवं जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय सदस्यता तथा व्यवसाय और शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान निर्धारित समानुपाती शेयर पूंजी योगदान पूरा किया।

सदस्य संचार एवं शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गांव स्तर पर सदस्यों के अनौपचारिक समूह गठित किए जा रहे हैं। ये समूह समय-समय पर बैठक कर

सदस्यों और कंपनी के बीच द्विपक्षीय संवाद स्थापित करते हैं और सदस्य शिकायतों का समाधान करते हैं। कर्मचारियों को भी व्यवसाय संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने तथा शीघ्र व्यवहार्यता एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु व्यवहारिक एवं प्रेरक प्रशिक्षण दिया जाता है।

<u>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम:</u>

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। समय-समय पर सदस्यों, संभावित सदस्यों, बोर्ड सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित थे:

S. No.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1	डेयरी खरीद तकनीक प्रशिक्षण	09-04-2025	11
2	FES संचालन तकनीक प्रशिक्षण	28-06-2025	16
3	फील्ड सर्वे एवं सहायक चयन तकनीक प्रशिक्षण	**06-10-2025**	9
4	डेयरी संचालन संबंधी स्टाफ प्रशिक्षण	07-10-2025	16
5	दूध खरीद एवं संग्रहण तकनीक प्रशिक्षण	03-11-2025	10
6	PES संचालन एवं खरीद तकनीक प्रशिक्षण	**04-12-2025**	15

<u>व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

<u>महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ</u>

ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हों और जो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद हुई हों जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

हालांकि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी ने मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के साथ प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित विलय का उद्देश्य संचालन को समेकित करना, संसाधनों और अवसंरचना के उपयोग को

अनुकूलित करना, परिचालन एवं प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, समग्र दूध खरीद एवं सदस्य आधार को मजबूत करना तथा अधिक टिकाऊ और वित्तीय रूप से कुशल संगठन बनाना है।

प्रस्तावित विलय निदेशक मंडल, सदस्यों, लेनदारों, वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों तथा लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक अन्य स्वीकृतियों के अधीन है। प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है और इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रस्तावित विलय से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है।

पूंजी संरचना एवं शेयर जारी करना तथा सदस्यता

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 31 मार्च, 2026 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 5 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष के दौरान रु. 100/- प्रत्येक के 45043 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। अतः 31 मार्च, 2026 को कंपनी की अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी रु. 2,65,75,500/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख पचहत्तर हजार पांच सौ मात्र) थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी ने सदस्यता के समर्पण/रद्दीकरण के कारण 3996 सदस्यों के 60572 शेयर रद्द किए और वर्ष के दौरान उक्त समर्पित/रद्द शेयरों को नए एवं मौजूदा सदस्यों को पुनः जारी किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर या वरीयता शेयर अथवा ऐसी कोई प्रतिभूति जारी नहीं की है जिसमें उन प्रतिभूतियों को शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार या विकल्प हो।

31 मार्च, 2026 को कंपनी की कुल सदस्यता 15497 सदस्य थी। 31 मार्च, 2026 के बाद कंपनी ने 18 नए सदस्यों को शामिल किया है और 208 सदस्यों की सदस्यता समर्पित/रद्द की गई है। अतः इस रिपोर्ट की तारीख को सदस्यों की कुल संख्या 15307 है।

मतदान अधिकार एवं AGM में उपस्थिति

तारीख को कुल 15307 सदस्यों में से 31 मार्च, 2026 के बाद शामिल किए गए नए सदस्य 10वीं AGM में मतदान के अधिकार के पात्र नहीं होंगे।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) की आवश्यकता के अनुसार कोई भी अवैतनिक/दावारहित लाभांश राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं था।

बोर्ड बैठकें

कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए बोर्ड समय-समय पर बैठक करता है और विचाराधीन वर्ष के दौरान निम्नानुसार आठ बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
52	19.05.2025	08	08
53	09.07.2025	08	08
54	25.08.2025	08	08
55	04.09.2025	08	08
56	30.10.2025	11	11
57	18.12.2025	11	11
58	06.02.2025	11	11
59	31.03.2025	11	11

समिति

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति

पारिश्रमिक समिति से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

नामांकन समिति: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378(U) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में बोर्ड सदस्य के पद के लिए संभावित उम्मीदवार का सुझाव देने हेतु 30.06.2026 को आयोजित 60वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा नामांकन समिति का गठन किया गया। वर्तमान में समिति में निम्न सदस्य हैं:

1. Smt. Aarti Yadav/Smt. Tulsa Yadav, एक उत्पादक निदेशक

2. Shri. Ravi Ranjan, NDS से एक विशेषज्ञ; and

3. Shri. Basant Choudhary, कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक

लेखा परीक्षा समिति: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378(U) की आवश्यकता के अनुसार, वित्तीय संबंधी कार्यों के कुशल निर्वहन में बोर्ड की सहायता के लिए 24.12.2024 को आयोजित 49वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया। वर्तमान में समिति में निम्न सदस्य हैं:

1. Shri Basant Chaudhary/Shri Dharmendra Kumar - अध्यक्ष
2. Shri Roopvati Kurmi- सदस्य

3. Smt. Jaynti - सदस्य

<u>हितधारक संबंध समिति: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए 27.01.2021 को आयोजित 21वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया। वर्तमान में समिति में निम्न सदस्य हैं:</u>

1. Smt. Roopvati Kurmi - अध्यक्ष
2. Smt. Neeraj - निदेशक,
3. Shri Namo Narayan Maurya - मुख्य कार्यकारी

<u>निदेशक पद में परिवर्तन</u>

a) 25 सितंबर, 2025 को आयोजित 9वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/सेवानिवृत्ति-

Smt. Laxmi Lodhi (DIN: 08927053) and Smt. Rajkumari (DIN: 08927054) 9वीं वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हुईं।

b) 25 सितंबर, 2025 को आयोजित 9वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/सेवानिवृत्ति-

1) Smt. Tulsa Yadav (DIN: 11271843), Smt. Saroj Patel (DIN: 11271858), Smt. Krishnabai Tiwari (DIN: 11271852), Smt. Aarti Yadav (DIN: 11271854), Smt. Somvati Yadav (DIN: 11271838) 10वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्त की गई हैं।

2) दो नए विशेषज्ञ निदेशक Shri Basant Choudhary and Shri Dharmendra Kumar को कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में क्रमशः प्रभावी तिथि से नियुक्त किया गया। 09/07/2025 and 25/07/2025 respectively.

<u>स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा</u>

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा के संबंध में धारा 149 की उप-धारा (6) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

<u>निदेशक मंडल की संरचना एवं आगामी AGM में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति</u>

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों को उनके व्यवसायिक संरक्षण के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने तथा जहां तक संभव हो, ऐसे सदस्य वर्गों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के मानदंड का प्रावधान है।

क्रम सं.	नाम	DIN	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	Smt. Roopvati Kurmi	08652621	27.12.2019	-
2	Smt. Rajkumari Yadav	08927054	01.08.2019	25.09.2025
3	Smt. Lakshmi Lodhi	08927053	20.10.2020	25.09.2025
4	Smt. Rabina Ghosi	08925355	19.10.2020	-
5	Smt. Ranu Yadav	09673643	14.07.2022	-
6	Smt. Pran Yadav	10171703	20.05.2023	-
7	Smt. Alok Kumar Gupta	03159741	24.07.2019	25.07.2025
8	Shri Sanjaykumar Maganlal Govani	08814861	12.07.2023	28.04.2025
9	Smt. Neeraj Kumari	10903631	11.01.2025	-
10	Smt. Jaynti	10919044	24.01.2025	-
11	Smt. Aarti Yadav	11271854	25-09-2025	-
12	Smt. Kirshnabai Tiwari	11271852	25-09-2025	-
13	Smt. Somvati Yadav	11271838	25-09-2025	-
14	Smt. Tulsa Yadav	11271843	25-09-2025	-
15	Smt. Saroj Patel	11271858	25-09-2025	-
16	Shri Namo Narayan Maurya	10656422	04-09-2025	-
17	Shri Basant Chaudhary	08277954	09.07.2025	-
18	Shri Dharmendra Choudhary	07563916	25.07.2025	-

निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि-

- 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों को तैयार करते समय अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ है।

- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत हो।

- निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान सुनिश्चित की जा सके।

  निदेशकों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे **'सतत व्यवसाय' (Going Concern)** के आधार पर तैयार किए हैं।.

- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में उचित एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी परिसंपत्तियां सुरक्षित एवं संरक्षित रहें तथा लेन-देन अधिकृत, सही रूप से दर्ज और रिपोर्ट किए जाएं। वर्ष के दौरान इन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और उनके डिजाइन या संचालन में रिपोर्ट करने योग्य कोई महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पाई गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए M/s N.R. & Associates, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है, जिन्होंने आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और मूल्य की दृष्टि से अधिकांश लेन-देन का समवर्ती ऑडिट किया है।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(vii) के अनुसार सभी कंपनियों की निदेशक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का विवरण देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(e) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल ICFR की प्रणाली स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

ICFR की प्रणाली स्थापित करने के लिए M/s N.R. & Associates, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी के लिए ICFR प्रणाली स्थापित करने हेतु नियुक्त किया गया है।

होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आने वाली जमाओं के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई जमा नहीं था।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के अर्थ में कोई ऋण नहीं दिया है, न कोई गारंटी या प्रतिभूति दी है और न ही कोई निवेश किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेन-देन स्वतंत्र पक्षों के आधार पर और व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए थे। इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया गया। अतः Form AOC-2 में प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। हालांकि, वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण, लेखांकन मानक-18 (AS-18) **संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (Related Party Disclosures)** के अनुसार, 31 मार्च 2026 को तैयार की गई बैलेंस शीट के **नोट संख्या 34** में दिया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन जोखिमों की पहचान, आकलन और प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया है, जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और/या प्रभाव को कम करने, निगरानी करने और नियंत्रित/शमन करने अथवा अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। कंपनी ने प्रमुख जोखिमों की पहचान की है और व्यवसाय, वित्तीय, मानव संसाधन तथा वैधानिक अनुपालन आदि क्षेत्रों में उनके शमन की प्रक्रिया/उपाय तैयार किए हैं।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति विकसित एवं लागू की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

i) ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के प्रावधानों के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में अपेक्षित विवरण कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किए गए हैं। कंपनी स्वचालन अपनाने, नई प्रौद्योगिकियों के विकास

एवं संशोधन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा सौर ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है।

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कंपनी की सभी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग-विशिष्ट सभी कानूनों और विनियमों का बिना किसी ढिलाई के पालन करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

कंपनी-विशिष्ट और उत्पाद-विशिष्ट कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन के अतिरिक्त, मुक्ता EPR गतिविधि के एक भाग के रूप में उपभोक्ता प्लास्टिक कचरे का संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान कर रही है।

ii) विदेशी मुद्रा से आय एवं व्यय

आय - शून्य;

व्यय - शून्य।

कंपनी में सामान्य कार्यालय एवं प्रकाश व्यवस्था तथा दूध को ठंडा करने के प्रयोजनों के अतिरिक्त बिजली की कोई खपत नहीं है।

सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

नियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेशों का विवरण

नियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की निरंतरता की स्थिति और संचालन को प्रभावित करता हो।

सचिवीय मानक:

कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का पालन करती है।

लेखा परीक्षक

M/s P.G.R & Co., चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली कंपनी की आगामी 10वीं वार्षिक आम बैठक में 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में M/s P.G.R & Co. की सहमति प्राप्त हो गई है।

लागत अभिलेख

धारा 148 के अनुसार लागत लेखा परीक्षा का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां, जब खातों से संबंधित टिप्पणियों और लेखा नीतियों के साथ पढ़ी जाती हैं, स्वयं स्पष्ट हैं और किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन संबंधी प्रावधानों का पालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रयोज्यता

कंपनी, एक प्रोड्यूसर कंपनी होने के नाते, दिनांक 10 फरवरी 2021 तक कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के प्रावधानों द्वारा शासित थी। इसके पश्चात, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रोड्यूसर कंपनियों से संबंधित अध्याय XXIA को दिनांक 11 फरवरी 2021 से प्रभावी करते हुए अधिसूचित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात, कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय XXIA प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए लागू प्रमुख कानून बन गया। फलस्वरूप, कंपनी ने तब से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रारंभ कर दिया।

वार्षिक रिटर्न:

31 मार्च, 2026 को कंपनी का वार्षिक रिटर्न, अधिनियम की धारा 92(3), धारा 134(3)(a) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट www.muktaamilk.com पर उपलब्ध है।

आभार एवं प्रशंसा

निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान सदस्यों और व्यावसायिक सहयोगियों के समर्थन एवं योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। निदेशक कंपनी को निरंतर समर्थन देने के लिए कर्मचारियों, बैंकरों तथा आंतरिक और वैधानिक दोनों लेखा परीक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं।

हम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, NDDB डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के वर्ष के दौरान सहयोग और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और उसके लिए

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

Sd/-

रूपवती कुर्मी

अध्यक्ष एवं निदेशक

DIN: 08652621

पता: ग्राम हिन्नोद, डाकघर बरौदा,

सागर, मध्य प्रदेश-470001

स्थान: सागर

दिनांक: 25/08/2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय (Opinion)

हमने **मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** ("कंपनी") के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में Companies Act, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी निर्धारित तरीके से दी गई है तथा ये वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित Accounting Standards (AS) तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और 31 मार्च 2026 को कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और नकदी प्रवाह का सच्चा एवं निष्पक्ष चित्र (True and Fair View) प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार (Basis for Opinion)

हमने वित्तीय विवरणों का अपना ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट Standards on Auditing (SAs) के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन हमारी रिपोर्ट के **"**वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ**"** अनुभाग में किया गया है।

हम कंपनी से Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) द्वारा जारी Code of Ethics के अनुसार स्वतंत्र हैं तथा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार वित्तीय विवरणों के ऑडिट से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है। हमने ICAI के Code of Ethics के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों एवं उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में **Board's Report** में शामिल जानकारी आती है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इस अन्य जानकारी पर लागू नहीं होती और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण दिखाई देता है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सच्चा

एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट Accounting Standards शामिल हैं, के अनुरूप हों।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना एवं उनका पता लगाना शामिल है।

इसमें उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनका प्रयोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमानों का निर्धारण तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है, जो लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, ताकि वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त रहें।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन एवं निदेशक मंडल कंपनी की going concern के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं। जहाँ लागू हो, उन्हें going concern से संबंधित मामलों का खुलासा करना तथा going concern आधार पर लेखांकन करना होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या उसका संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो अथवा ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त होने के संबंध में उचित आश्वासन (Reasonable Assurance) प्राप्त करना और ऐसी लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो।

Reasonable assurance उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगा लेगा।

गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की उचित संभावना हो।

SAs के अनुसार ऑडिट करते समय हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह की भावना बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, उन जोखिमों के अनुरूप ऑडिट प्रक्रियाएँ तैयार एवं लागू करते हैं तथा पर्याप्त एवं उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं।
- धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न चल पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर जानकारी छिपाना, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रणों को प्रबंधन द्वारा दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

- ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उचित ऑडिट प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें।
- अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत यह राय भी व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं तथा वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित खुलासों की उचितता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन एवं निदेशक मंडल द्वारा going concern आधार पर लेखांकन किए जाने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं।
- ऑडिट साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की going concern के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है।
- यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी Auditor's Report में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होता है।
- हमारे निष्कर्ष ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी के going concern के रूप में जारी रहने को प्रभावित कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री, जिसमें disclosures शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं तथा यह देखते हैं कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं या नहीं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त हो।

हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ ऑडिट के नियोजित दायरे एवं समय, महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में पहचानी गई किसी महत्वपूर्ण कमी सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं जिनसे हमारी स्वतंत्रता प्रभावित होने की उचित संभावना हो सकती है तथा जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1.Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("Order") के अनुसार, जिसे केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत जारी किया है, हम **Annexure A** में Order के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहाँ तक लागू हो, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2.अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, जहाँ तक लागू है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(a) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

(b) हमारी राय में, कानून के अनुसार आवश्यक उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जहाँ तक हमारी जाँच से प्रतीत होता है, सिवाय उस मामले के जिसका उल्लेख नीचे पैराग्राफ 2(i)(vi) में Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 के Rule 11(g) के अंतर्गत किया गया है।

(c) इस रिपोर्ट में वर्णित Balance Sheet, Statement of Profit and Loss तथा Cash Flow Statement कंपनी की लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

(d) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट Accounting Standards के अनुरूप हैं।

(e) 31 मार्च 2026 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2026 को निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(f) लेखा पुस्तकों के रखरखाव एवं उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित संशोधन/टिप्पणियाँ उपर्युक्त पैराग्राफ 2(b) तथा नीचे पैराग्राफ 2(i)(vi) में दी गई हैं।

(g) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में **Annexure B** में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(h) अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक Private Company होने के कारण अधिनियम की धारा 197, जो managerial remuneration से संबंधित है, कंपनी पर लागू नहीं होती।

(i) Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 के Rule 11 के अंतर्गत अन्य मामले

(i) कंपनी ने अपनी standalone financial statements में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों के **Note 25** का संदर्भ लें।

(ii) कंपनी के पास कोई दीर्घकालीन अनुबंध, जिसमें derivative contracts भी शामिल हैं, नहीं था जिसके संबंध में कोई material foreseeable loss हो।

(iii) कंपनी द्वारा Investor Education and Protection Fund में हस्तांतरित किए जाने योग्य कोई राशि नहीं थी।

(iv) (a) प्रबंधन ने यह प्रतिनिधित्व किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं ("Intermediaries"), को कोई धनराशि advance, loan या investment के रूप में नहीं दी गई है–चाहे वह उधार लिए गए धन, share premium या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धन से हो–इस समझ के साथ कि Intermediary प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा पहचाने गए किसी व्यक्ति या संस्था ("Ultimate Beneficiaries") को धन उधार देगा या निवेश करेगा अथवा उनके पक्ष में कोई guarantee, security या इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करेगा।

(b) प्रबंधन ने यह भी प्रतिनिधित्व किया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कंपनी को किसी व्यक्ति/संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं ("Funding Parties"), से कोई धनराशि इस समझ के साथ

प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से Funding Party द्वारा पहचाने गए किसी व्यक्ति या संस्था ("Ultimate Beneficiaries") को धन उधार देगी या निवेश करेगी अथवा उनके पक्ष में कोई guarantee, security या इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करेगी।

(c) हमारे द्वारा किए गए ऑडिट procedures के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित एवं पर्याप्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हमें विश्वास हो कि Rule 11(e) की उपर्युक्त representations में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

(v) Dividend

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान पिछले वर्ष घोषित अंतिम dividend का भुगतान, अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत जहाँ तक dividend के भुगतान से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं, उसके अनुरूप है।

हालाँकि, कंपनी ने dividend की राशि को अधिनियम की धारा 123(4) में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अलग बैंक खाते में transfer नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि वित्तीय विवरणों के **Note 40** में बताया गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए final dividend प्रस्तावित किया है, जो कंपनी की आगामी Annual General Meeting में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है।

प्रस्तावित dividend की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, जहाँ तक declaration of dividend से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं, के अनुरूप है।

(vi) Audit Trail

हमारी जाँच, जिसमें test checks भी शामिल थे, के आधार पर कंपनी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु accounting software का उपयोग किया है।

इस software में audit trail (edit log) रिकॉर्ड करने की सुविधा उपलब्ध थी और संबंधित software में दर्ज सभी relevant transactions के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष संचालित रही।

हालाँकि, क्रय अभिलेखों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सॉफ्टवेयर में एप्लिकेशन स्तर पर लेखापरीक्षा अनुक्रम (ऑडिट ट्रेल) की सुविधा पूरे वर्ष सक्षम नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, ऑडिट के दौरान उपर्युक्त स्थिति के अधीन, हमें उस अवधि के संबंध में audit trail सुविधा से छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला, जिस अवधि में audit trail सुविधा संचालित थी।

साथ ही, जहाँ तक audit trail enabled था, कंपनी ने statutory requirements के अनुसार audit trail को सुरक्षित रखा है।

3.

Companies Act, 2013 के Part XXIA की Section 378ZG के अनुसार, हम **Annexure C** में उस section में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

For S N Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 000050N/N500045

Vinesh **Jain**
Partner
Membership No.: 087701
UDIN:

स्थान: Gurugram

दिनांक: XX अगस्त, 2026

Annexure A

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

यह Annexure उसी तारीख की Independent Auditor's Report के "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" अनुभाग के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में है, जो Muktaa Mahila Milk Producer Company Limited के सदस्यों को 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में दी गई है।

(i) Property, Plant and Equipment तथा Intangible Assets

(a)

(A) कंपनी ने Property, Plant and Equipment के पूर्ण विवरण, जिसमें quantitative details एवं उनकी स्थिति शामिल है, दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(B) कंपनी ने intangible assets के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(b)

Property, Plant and Equipment का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारी जाँच के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण discrepancy नहीं पाई गई।

हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

(c)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जाँचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के पास कोई immovable property नहीं है, सिवाय ऐसी संपत्तियों के जिनमें कंपनी lessee है और lease agreements विधिवत रूप से lessee के पक्ष में निष्पादित हैं।

अतः Order की Clause 3(i)(c) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(d)

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने Property, Plant and Equipment एवं intangible assets का revaluation नहीं किया है।

(e)

कंपनी के विरुद्ध Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए Rules के तहत benami property रखने के संबंध में कोई proceeding शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) Inventory

(a)

प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर inventory का physical verification किया है।

Goods-in-transit को छोड़कर, goods-in-transit वर्ष समाप्त होने के बाद प्राप्त हुए हैं।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा किए गए audit procedures के आधार पर हमारी राय है कि प्रबंधन द्वारा किए गए verification की coverage एवं procedure उचित है।

Physical verification के दौरान किसी भी inventory class में book records की तुलना में **10% या उससे अधिक की कोई material discrepancy** नहीं पाई गई।

(b)

हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से current assets की security के आधार पर aggregate रूप से ₹5 करोड़ से अधिक की working capital limit sanctioned नहीं हुई है।

अतः Order की Clause 3(ii)(b) लागू नहीं होती।

(iii) Loans, Investments, Guarantees और Securities

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी company, firm, LLP या किसी अन्य party को कोई investment नहीं किया है, कोई guarantee या security प्रदान नहीं की है और कोई loan अथवा loan की प्रकृति का secured या unsecured advance नहीं दिया है।

अतः Order की Clause 3(iii)(a) से (f) लागू नहीं होती।

(iv)

कंपनी ने कोई loan नहीं दिया, investment नहीं किया तथा कोई guarantee या security प्रदान नहीं की।

अतः Order की Clause 3(iv) लागू नहीं होती।

(v) Deposits

कंपनी ने कोई deposits स्वीकार नहीं किए हैं और हमारी राय में कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई ऐसी राशि भी नहीं थी जिसे deemed deposit माना जाए।

वर्ष के प्रारंभ में कोई unclaimed deposit भी नहीं था।

अतः Order की Clause 3(v) लागू नहीं होती।

(vi) Cost Records

केंद्र सरकार ने Companies Act की Section 148(1) के अंतर्गत कंपनी के products/services के संबंध में cost records बनाए रखना निर्दिष्ट नहीं किया है।

अतः Order की Clause 3(vi) लागू नहीं होती।

(vii) Statutory Dues

(a)

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यतः लागू statutory dues, जिसमें GST, provident fund, income tax एवं अन्य महत्वपूर्ण statutory dues शामिल हैं, संबंधित authorities के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

वर्ष के अंत में ऐसी कोई undisputed राशि बकाया नहीं थी जो payable होने की तारीख से छह महीने से अधिक समय से outstanding हो।

हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी के operations से customs duty, excise duty, service tax, value added tax एवं sales tax की कोई liability उत्पन्न नहीं हुई।

(b)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त statutory dues में से कोई राशि dispute के कारण संबंधित authorities के पास जमा नहीं की गई है, सिवाय निम्नलिखित मामलों के:

कानून	बकाया का प्रकार	राशि (₹ लाख)	Protest के तहत भुगतान (₹ लाख)	अवधि	मामला लंबित	टिप्पणी
Income Tax Act, 1961	Income Tax	19.42	19.42	Assessment Year 2020-21	Income Tax Appellate Tribunal	IT Department द्वारा 23 अगस्त 2022 के Assessment Order के अनुसार demand
Income Tax Act, 1961	Income Tax	13.27	Nil	Assessment Year 2022-23	Income Tax Appellate Tribunal	IT Department द्वारा 5 मार्च 2024 के Assessment Order के अनुसार demand

(viii) Previously Unrecorded Income

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान Income Tax Act, 1961 के तहत tax assessments में ऐसी कोई previously unrecorded income नहीं मिली जिसे surrender या disclose किया गया हो।

(ix) Loans and Borrowings

(a)

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी lender को loans या अन्य borrowings अथवा उन पर interest के repayment में कोई default नहीं किया है।

(b)

हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी को किसी bank, financial institution, government या government authority द्वारा wilful defaulter घोषित नहीं किया गया है।

(c)

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई term loan नहीं लिया है। अतः Clause 3(ix)(c) लागू नहीं होती।

(d)

वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच के आधार पर हमारा मत है कि short-term basis पर प्राप्त धनराशि का prima facie long-term purposes के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(e)

कंपनी की कोई subsidiary, associate या joint venture नहीं है। अतः Clause 3(ix)(e) लागू नहीं होती।

(f)

कंपनी की कोई subsidiary, associate या joint venture नहीं है। अतः Clause 3(ix)(f) लागू नहीं होती।

(x) Issue of Securities

(a)

कंपनी ने वर्ष के दौरान Initial Public Offer (IPO) या Further Public Offer (FPO), जिसमें debt instruments भी शामिल हैं, के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई।

अतः Clause 3(x)(a) लागू नहीं होती।

(b)

वर्ष के दौरान कंपनी ने shares या convertible debentures का कोई preferential allotment या private placement नहीं किया।

अतः Clause 3(x)(b) लागू नहीं होती।

(xi) Fraud

(a)

हमारी जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कोई fraud तथा कंपनी पर कोई material fraud वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(b)

हमारी जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 के Rule 13 के अनुसार Central Government के पास Form ADT-4 में अधिनियम की Section 143(12) के अंतर्गत कोई report दाखिल नहीं की गई है।

(c)

प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए representation के अनुसार वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को कोई whistle-blower complaint प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) Nidhi Company

कंपनी Nidhi Company नहीं है।

अतः Clause 3(xii)(a) से (c) लागू नहीं होती।

(xiii) Related Party Transactions

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जहाँ लागू है, सभी related party transactions Companies Act की Section 188 के अनुरूप हैं।

संबंधित विवरण लागू Accounting Standards के अनुसार वित्तीय विवरणों में disclosed किए गए हैं।

कंपनी एक private limited company है, इसलिए Companies Act की Section 177 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) Internal Audit

(a)

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास उसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप internal audit system मौजूद है।

(b)

हमने audit period से संबंधित कंपनी द्वारा जारी किए गए internal audit reports, जो आज तक उपलब्ध हुए हैं, पर विचार किया है।

(xv) Non-Cash Transactions with Directors

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने directors या directors से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई non-cash transaction नहीं किया है।

अतः Companies Act की Section 192 लागू नहीं होती।

(xvi) RBI Act

(a)

कंपनी को Reserve Bank of India Act, 1934 की Section 45-IA के तहत registered होने की आवश्यकता नहीं है।

अतः Clause 3(xvi)(a) लागू नहीं होती।

(b)

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई non-banking financial या housing finance activity नहीं की है।

(c)

कंपनी RBI regulations में परिभाषित Core Investment Company (CIC) नहीं है।

अतः Clause 3(xvi)(c) लागू नहीं होती।

(d)

Group में कोई CIC नहीं है।

(xvii) Cash Losses

कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में कोई cash loss नहीं हुआ है।

(xviii) Resignation of Statutory Auditors

वर्ष के दौरान कंपनी के statutory auditors ने इस्तीफा नहीं दिया है।

(xix) Ability to Meet Liabilities

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा financial ratios, ageing एवं financial assets की expected realization dates और financial liabilities के payment, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, Board of Directors की हमारी जानकारी तथा management plans और assumptions को support करने वाले evidence की हमारी जाँच के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि audit report की तारीख तक कोई material uncertainty मौजूद है कि कंपनी Balance Sheet की तारीख पर मौजूद अपनी liabilities को उनके due होने पर Balance Sheet की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं होगी।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की viability की assurance नहीं है।

हमारी reporting audit report की तारीख तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम यह guarantee या assurance नहीं देते कि Balance Sheet की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय होने वाली सभी liabilities कंपनी द्वारा उनकी due dates पर चुकाई ही जाएँगी।

(xx) Corporate Social Responsibility

Companies Act की Section 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते।

अतः Order की Clause 3(xx)(a) एवं (b) के अंतर्गत reporting लागू नहीं होती।

(xxi) Consolidated Financial Statements

कंपनी की कोई subsidiary, associate या joint venture नहीं है और कंपनी को consolidated financial statements तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः Order की Clause 3(xxi) लागू नहीं होती।

For S N Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain
Partner
Membership No.: 087701
UDIN: **26087701VHPYUN7039**

स्थान: Gurugram

दिनांक: 20 अगस्त, 2026

Annexure B

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

Muktaa Mahila Milk Producer Company Limited के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर Independent Auditor's Report के Annexure B के रूप में।

Companies Act, 2013 की Section 143(3) की Clause (i) के अंतर्गत Financial Statements के संदर्भ में Internal Financial Controls पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

यह रिपोर्ट हमारी उसी तारीख की Audit Report के "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" अनुभाग के पैराग्राफ 2(g) के संदर्भ में है।

हमने 31 मार्च 2026 की स्थिति में Muktaa Mahila Milk Producer Company Limited ("कंपनी") के financial statements के संदर्भ में internal financial controls का audit किया है और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के financial statements के audit के साथ इसे किया है।

Internal Financial Controls के संबंध में Management एवं Governance की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का Board of Directors financial statements के संदर्भ में internal financial controls स्थापित एवं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

ये controls कंपनी द्वारा स्थापित criteria तथा ICAI द्वारा जारी **Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting** में बताए गए internal control के आवश्यक components को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं।

इन जिम्मेदारियों में कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन, कंपनी की policies का पालन, assets की सुरक्षा, fraud एवं errors की रोकथाम एवं पहचान, accounting records की accuracy एवं completeness तथा समय पर reliable financial information तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए adequate internal financial controls का design, implementation एवं maintenance शामिल है।

Auditor की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी audit के आधार पर कंपनी के financial statements के संदर्भ में internal financial controls पर राय व्यक्त करना है।

हमने ICAI के Guidance Note तथा अधिनियम की Section 143(10) के अंतर्गत निर्धारित Standards on Auditing के अनुसार, जहाँ तक वे financial statements के संदर्भ में internal financial controls के audit पर लागू होते हैं, अपना audit किया है।

इन Standards एवं Guidance Note के अनुसार हमें ethical requirements का पालन करना तथा audit की योजना एवं कार्यान्वयन इस प्रकार करना आवश्यक है कि पर्याप्त assurance प्राप्त हो सके कि financial statements के संदर्भ में adequate internal financial controls स्थापित एवं maintained हैं और सभी material respects में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारे audit में internal financial controls की adequacy एवं उनकी operating effectiveness के संबंध में audit evidence प्राप्त करने के लिए procedures करना शामिल है।

हमारे audit में internal financial controls को समझना, material weakness के risk का assessment करना तथा assessed risk के आधार पर internal controls के design एवं operating effectiveness का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है।

चयनित procedures auditor के judgment पर निर्भर करते हैं, जिसमें financial statements के material misstatement के risk का assessment शामिल है, चाहे वह fraud या error के कारण हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो audit evidence प्राप्त किया है वह financial statements के संदर्भ में internal financial controls पर हमारी audit opinion के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

Financial Statements के संदर्भ में Internal Financial Controls का अर्थ

कंपनी के financial statements के संदर्भ में internal financial controls एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे financial reporting की reliability तथा generally accepted accounting principles के अनुसार external purposes के लिए financial statements तैयार करने के संबंध में reasonable assurance प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

इसमें ऐसी policies एवं procedures शामिल हैं जो:

11. ऐसे records बनाए रखने से संबंधित हैं जो कंपनी के assets से संबंधित transactions एवं dispositions को पर्याप्त detail में सही एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

2. यह reasonable assurance प्रदान करते हैं कि transactions को इस प्रकार record किया जाता है कि generally accepted accounting principles के अनुसार financial statements तैयार किए जा सकें तथा कंपनी की receipts एवं expenditures केवल management एवं directors द्वारा अधिकृत किए गए अनुसार किए जाएँ;

3. कंपनी की assets के अनधिकृत acquisition, use या disposal को रोकने या समय पर पता लगाने के संबंध में reasonable assurance प्रदान करते हैं, जिसका financial statements पर material effect हो सकता है।

Internal Financial Controls की अंतर्निहित सीमाएँ

Internal financial controls की inherent limitations के कारण, जिसमें collusion या management द्वारा controls को override करने की संभावना शामिल है, fraud या error के कारण material misstatements हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता।

इसके अलावा, future periods के लिए internal financial controls के किसी भी evaluation का projection इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण internal financial controls अपर्याप्त हो सकते हैं या policies के compliance का स्तर कम हो सकता है।

Opinion

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी material respects में financial statements के संदर्भ में पर्याप्त internal financial controls हैं और ऐसे internal financial controls **31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे**।

यह राय कंपनी द्वारा स्थापित financial statements के संदर्भ में internal financial controls के criteria तथा ICAI के Guidance Note में बताए गए internal controls के आवश्यक components पर आधारित है।

For S N Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain
Partner
Membership No.: 087701
UDIN: **26087701VHPYUN7039**

स्थान: Gurugram

दिनांक: 20 अगस्त, 2026

Annexure C

Independent Auditor's Report का संलग्नक

यह Annexure उसी तारीख की Independent Auditor's Report के "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" अनुभाग के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में है, जो Muktaa Mahila Milk Producer Company Limited के सदस्यों को 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में दी गई है।

(i)

Goods एवं services की बिक्री से संबंधित debts की राशि वित्तीय विवरणों के **Note 13** में disclosed है।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी debt recovery के संबंध में doubtful नहीं माना गया है।

(ii)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास वर्ष के अंत में कोई cash on hand नहीं है।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई investment securities भी नहीं हैं।

(iii)

31 मार्च 2026 की स्थिति में assets एवं liabilities का विवरण कंपनी के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।

(iv)

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई transaction नहीं किया है जो Companies Act, 2013 के Part XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।

(v)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपने directors को कोई loan नहीं दिया है।

(vi)

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई donation या subscription नहीं दिया है।

For S N Dhawan & CO LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 000050N/N500045

Sd/-

Vinesh Jain
Partner
Membership No.: 087701
UDIN: **26087701VHPYUN7039**

स्थान: Gurugram

दिनांक: 20 अगस्त, 2026

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
31 मार्च, 2026 तक आर्थिक चिट्ठा

	नोट नं.	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
		रु./लाख	रु./लाख
शेयरधारकों का कोष			
1. सपता एवं दायित्व			
अ. इक्विटी शेयर पूंजी	3	265.75	281.28
ब. संचित एवं अधिशेष	4	281.02	250.24
		546.77	**531.52**
2. आंवटन हेतू लंबित शेयर आवेदन राशि	38		2.57
3. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	437.43	557.50
4. गैर-चालू दायित्व			
अ. दीर्घकालीन प्रावधान	9(ए)	23.15	17.26
		23.15	**17.26**
5. चालू दायित्व			
अ. व्यापारिक देनदारियां	6		
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया		36.36	35.38
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया		294.66	307.13
बी। अप्रयुक्त अनुदान	8	-	-
सी। अन्य चालू दायित्व	7	237.22	181.79
डी। अल्पकालिक प्रावधान	9(बी)	1.39	0.47
		569.63	**524.77**
कुल		**1,576.98**	**1,633.62**
बी। संपत्तियाँ			
1. गैर चालू संपत्तियाँ			
अ सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	10.1	513.60	599.72
बी। अमूर्त संपत्ति	10.2	0.94	5.51
पूंजीगत कार्य-प्रगति	10.4	15.00	-
सी। स्थगित कर परिसंपत्तियां	11	6.19	5.82
डी। दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	12	27.70	34.87
ई. अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	17	1.81	257.79
		565.24	**903.71**
2. चालू संपत्तियाँ			
अ व्यापारिक लेनदारियाँ	13	260.99	316.58
बी। स्टॉक	14	100.96	119.51
सी। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	15	472.72	129.25
डी। अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	16	7.64	6.92
ई. अन्य चालू संपत्तियाँ	17	169.43	157.65
		1,011.74	**729.91**
कुल		**1,576.98**	**1,633.62**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण संख्या 000050N/N500045

Sd-
विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 20 अगस्त, 2026

निदेशक मंडल की ओर से
मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड

sd/-
नमो नारायण मौर्य
मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10656422

sd/-
रूपवती कुर्मी
अध्यक्ष
डीआईएन:08652621

sd/-
मेघा जैन
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F10161

स्थान: सागर
दिनांक: 20 अगस्त, 2026

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

		नोट नं.	वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ
			रु./लाख	रु./लाख
1.	व्यवसाय से आय	18	10,037.97	10,116.11
2.	अन्य आय	19	48.82	40.67
3.	**कुल राजस्व (1+2)**		**10,086.79**	**10,156.78**
4.	व्यय			
	अ उपयोग की गई सामग्री की लागत	20	-	-
	बी। स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	21	8,581.35	8,651.75
	सी। व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन व्यापार का कुल माल	22	13.24	(24.01)
	डी। खरीद व्यय	23	476.49	530.17
	ई. वित्त लागत	24	- -	
	एफ। कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	25	248.15	260.28
	जी। मूल्य ह्रास लागत	10.3	14.46	12.56
	एच। अन्य खर्चों	26	693.69	696.06
	कुल व्यय		**10,027.38**	**10,126.81**
5.	**कर पूर्व लाभ (3-4)**		59.41	29.97
6.	**कर व्यय:**			
	एक। चालू कर - न्यूनतम वैकल्पिक कर		17.36	7.86
	बी। MAT क्रेडिट पात्रता (नोट 40 देखें)		(8.09)	(3.18)
	सी। स्थगित कर (जमा)		(0.37)	(0.04)
	डी। पिछले वर्षों से संबंधित कर		0.04	0.91
	शुद्ध कर व्यय		**8.94**	**5.55**
7.	**वर्ष के लिए लाभ (5-6)**		**50.47**	**24.42**
8.	**प्रति समता शेयर आय:**	31		
	(अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर)			
	(ए) मूल		18.75	9.56
	(बी) डायल्यूटेड		18.75	9.47

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण संख्या 000050N/N500045

Sd-
विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 20 अगस्त, 2026

निदेशक मंडल की ओर से
मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड

sd/-
नमो नारायण मौर्य
मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10656422

sd/-
रूपवती कुर्मी
अध्यक्ष
डीआईएन:08652621

sd/-
मेघा जैन
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F10161

स्थान: सागर
दिनांक: 20 अगस्त, 2026

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2026	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025
	रु./लाख	रु./लाख
अ. **विशिष्टियाँ व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहः**		
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	59.41	29.97
समायोजन के लिये:		
व्याज से आय	(23.26)	(15.24)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर लाभ	0.15	(1.68)
मूल्यह्रास	14.46	12.56
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**50.76**	**25.61**
कार्यशील पूंजी में संचलन के लिए समायोजन:		
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन:		
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	3.14	(5.43)
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	(0.67)	1.31
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(0.72)	3.26
व्यापारिक लेनदारियाँ	55.59	40.94
सूची	18.55	(22.70)
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(8.40)	(3.82)
परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन:		
व्यापारिक लेनदारियाँ	(11.49)	11.29
दीर्घकालीन ऋणों में प्रावधान	5.89	(7.32)
अल्पकालीन ऋणों में प्रावधान	0.92	(0.19)
अन्य चालू दायित्व	46.01	11.68
व्यवसाय से उत्पन्न रोकड़	**159.58**	**54.63**
शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया)/वापसी	(4.91)	3.64
व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (अ)	**154.67**	**58.27**
बी। निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहः		
बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	(0.81)	(64.04)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	2.27	1.68
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(53.89)	(11.88)
प्राप्त ब्याज	19.52	15.04
निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (ब)	**(32.91)**	**(59.20)**
सी। वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाहः		
ईक्विटी शेयर पूंजी जारी करने से आय (शुद्ध)	(18.10)	17.54
शेयर आवेदन हेतू प्राप्त राशि	(17.65)	-
लाभांश का भुगतान	-	2.57
प्राप्त ब्याज आय	-	-
राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(उपयोग) (स)	**(35.75)**	**20.11**
रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+ब+स)	**86.01**	**19.18**
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड तल्य	50.36	31.18
वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	**136.37**	**50.36**
रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
बैंकों के पास शेष:		
चालू खातों में	18.46	4.58
जमा खातों में (3 महीने से कम की परिपक्वता)	117.91	45.78
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	**136.37**	**50.36**

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले संलग्न नोट्स देखें

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण संख्या 000050N/N500045

sd/-
विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 20 अगस्त, 2026

निदेशक मंडल की ओर से
मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड

sd/-
नमो नारायण मौर्य
मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10656422

sd/-
रूपवती कुर्मी
अध्यक्ष
डीआईएन:08652621

sd/-
मेघा जैन
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F10161

स्थान: सागर
दिनांक: 20 अगस्त, 2026

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1 कंपनी के बारे में

मुक्ता महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की स्थापना 1 अगस्त, 2017 को कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यतः सदस्यों के दूध और दुग्ध उत्पादों के संग्रह, क्रय और प्रसंस्करण का व्यवसाय चलाना, प्रजनन, आहार/चारा, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएँ प्रदान करना, ताकि सदस्यों के लाभ के लिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा या उससे संबंधित गतिविधियाँ संचालित की जा सकें। कंपनी सागर और छतरपुर ज़िले के गाँवों में मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (MPP) के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और डेयरियों को बेचती है। कंपनी पशु आहार का भी व्यापार करती है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("नया अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय GAAP) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति और नकदी और नकदी समकक्ष में उनकी प्राप्ति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू-गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने का निर्धारित किया है।

2.2 अनुमानों का उपयोग

भारतीय GAAP के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशियों और रिपोर्ट की गई आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

2.3 रोकड़ प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, 'नकदी प्रवाह विवरण' पर लेखांकन मानक (एएस) 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसके तहत असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और पिछले या भविष्य के नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, नकदी में हाथ में मौजूद नकदी और बैंकों के पास माँग जमा शामिल हैं। नकदी समतुल्य अल्पकालिक शेष राशियाँ (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली), अत्यधिक तरल निवेश होते हैं जिन्हें आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

2.4 आय का निर्धारण

बिक्री को रिटर्न और व्यापार छूट के बाद, खरीदारों को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है. जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

2.5 अन्य आय

सदस्यों से प्राप्त जमा राशि और प्रवेश शुल्क पर ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त आस्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त आस्तियों की लागत में उनका क्रय मूल्य, किसी भी व्यापारिक छूट और रियायत, अन्य करों (कर प्राधिकारियों से बाद में वसूल किए जाने योग्य करों के अलावा), आस्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर होने वाला कोई भी प्रत्यक्ष व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और योग्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित उधार पर ब्याज, उस तिथि तक शामिल होता है जब तक कि आस्तियों को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं कर दिया जाता। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर उसकी खरीद के बाद किए गए व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी आस्तियों से भविष्य में होने वाले लाभों में उसके पिछले मूल्यांकित प्रदर्शन मानक से अधिक वृद्धि हो।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर:

जिन परियोजनाओं के अंतर्गत मूर्त अचल परिसंपत्तियां अभी तक अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर चलाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और देय ब्याज शामिल होते हैं।

2.7 मूल्यह्रास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है, जिसमें परिसंपत्ति की प्रकृति, प्रबंधन द्वारा अनुमानित परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन, परिसंपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव सहायता आदि को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	1 से 10 वर्ष
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	1 और 3 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	1, 5 और 10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	1, 3 और 5 वर्ष
ट्रेडमार्क	5 साल
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1 और 3 वर्ष

टिप्पणी:
तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दी गई उपयोगी अवधि उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है जिसके दौरान प्रबंधन इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग C में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न है।

2.8 स्टॉक

इन्वेंटरी में व्यापारिक वस्तुएँ (दूध और पशु चारा) शामिल होती हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन, जहाँ भी आवश्यक हो, अप्रचलन और अन्य हानियों को ध्यान में रखते हुए, लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का निर्धारण "फर्स्ट इन फर्स्ट आउट" (FIFO) पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। लागत में इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाले सभी खर्च शामिल होते हैं। छोटे औजार, रसायन, भंडार, पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएँ, खरीदते समय उपभोग के लिए चार्ज की जाती हैं।

2.9 अनुदान

अनुदान और सब्सिडी तब मान्यता प्राप्त होती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यह्रास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुदानों को आस्थगित अनुदान माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, अर्थात ऐसे अनुदानों से प्राप्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास शुल्क आस्थगित अनुदान से लिया जाता है और कम मूल्यह्रास शुल्क के माध्यम से लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिनके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है।

2.10 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

मैं। परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर आवश्यक अंशदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि विवरण में इसे शामिल किया जाता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ:

कंपनी की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण को परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। ऐसी परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में मान्यता देता है और अंतिम दायित्व बनाने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। दायित्व को अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त छूट दर, बैलेंस शीट की तिथि पर सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है। बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

iii. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि उस वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त होती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में वेतन, मजदूरी, बोनस और कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन शामिल हैं, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है। अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति की लागत का लेखा इस प्रकार किया जाता है:

एक संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो भविष्य में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति । के उनके अधिकार को बढ़ाती हैं; और

बी। क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के संचय न होने की स्थिति में, जब अनुपस्थिति घटित होती है।

iv. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद नहीं है, को बैलेंस शीट की तारीख पर परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटा दिया जाता है, यदि कोई हो, जिसमें से दायित्वों का निपटान होने की उम्मीद है।

2.11 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिमों और प्रतिफलों की प्रकृति और आंतरिक संगठन एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। परिचालन खंड वे खंड हैं जिनके लिए अलग-अलग वित्तीय जानकारी उपलब्ध है और जिनके लिए कार्यकारी प्रबंधन द्वारा संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन के आकलन हेतु नियमित रूप से परिचालन लाभ/हानि राशि का मूल्यांकन किया जाता है।

2.12 प्रति शेयर आय:

कंपनी लेखांकन मानक, AS-20, प्रति शेयर आय के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर मूल और तनुकृत आय की रिपोर्ट करती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की गई है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ परिणाम तनुकृत-विरोधी हो।

2.13 आय पर कर

आयकर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर देयता, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों की लागू कर दरों और प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

कर कानूनों के अनुसार चुकाया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), जो भविष्य में आयकर देयता के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ प्रदान करता है, को एक परिसंपत्ति माना जाता है यदि इस बात के पुख्ता प्रमाण हों कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना हो कि इससे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

आस्थगित कर को समय के अंतरों पर मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य आय और लेखा आय के बीच का अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक अनुवर्ती अवधियों में उलटा हो सकता है। आस्थगित कर की गणना कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर लागू या मूल रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय के अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और अग्रेषित हानियों के अलावा अन्य मदों के समय के अंतरों के लिए केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें वसूल किया जा सके। हालाँकि, यदि अनवशोषित मूल्यह्रास और हानियों का अग्रेषण और पूंजीगत हानियों से संबंधित मदें हैं, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की वास्तविक निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों को वसूल करने के लिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसी मदें समान नियामक कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हों और कंपनी के पास ऐसे समायोजन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उनकी वसूली योग्यता के लिए समीक्षा की जाती है।

2.14 संपत्ति की हानि

यदि हानि का कोई संकेत मौजूद हो तो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों/नकदी उत्पादक इकाइयों के अग्रणीत मूल्यों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है।

यदि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए हानि को मान्यता दी जाती है। हानि को लाभ-हानि विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर अग्रणीत न किया गया हो। ऐसी स्थिति में, पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति की किसी भी हानि को उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन में कमी के रूप में माना जाता है, जहाँ तक उस परिसंपत्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि उपलब्ध है।

वसूली योग्य राशि, शुद्ध विक्रय मूल्य और उनके उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग मूल्य की गणना भविष्य के नकदी प्रवाहों को उचित छूट कारक के आधार पर उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर की जाती है।

जब यह संकेत मिलता है कि किसी परिसंपत्ति (पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्ति को छोड़कर) के लिए पूर्ववर्ती लेखा अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है, तो हानि के ऐसे प्रत्यावर्तन को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, उस सीमा तक जितनी राशि पहले लाभ-हानि विवरण में अंकित की गई थी। पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामले में ऐसे प्रत्यावर्तन को मान्यता नहीं दी जाती है।

2.15 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

प्रावधान तब माना जाता है जब कंपनी पर अतीत की घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि उस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और इन्हें बैलेंस शीट की तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट्स में किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

2.16 पट्टे

ऐसी पट्टा व्यवस्थाएँ जहाँ किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और लाभ मुख्यतः पट्टाकर्ता के पास निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के अंतर्गत पट्टा किराया, पट्टा अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त होता है।

2.17 संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों/गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकदी या नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

3 ##

	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	की संख्या शेयरों	मात्रा रु./लाख	की संख्या शेयरों	मात्रा रु./लाख
एक। अधिकृत शेयर पूंजी				
100 रुपये प्रति समता शेयर	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00
बी। जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी				
100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	2,65,755	265.75	2,81,284	281.28

नीचे नोट (i) से (vii) देखें

नोट्स:

I कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है और जिनका सममूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट का अधिकार कि सदस्य ने कम से कम 200 दिनों तक, यानी वर्ष में कम से कम 500 लीटर दूध डाला हो।

ii. सदस्य कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान:

	31 मार्च 2026 तक		31 मार्च 2025 तक	
	की संख्या शेयरों	मात्रा रु./लाख	की संख्या शेयरों	मात्रा रु./लाख
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	2,81,284	281.28	2,47,933	247.93
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	45,043	45.04	72,528	72.53
वर्ष के दौरान रद्द/समर्पित किए गए शेयर	60,572	60.57	39,177	39.18
वर्ष के अंत में शेष राशि	**2,65,755**	**265.75**	**2,81,284**	**281.28**

iv. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के अंतर्गत 'उत्पादक कंपनी' के रूप में पंजीकृत है तथा इसका कोई भी सदस्य कंपनी की 5% या उससे अधिक शेयर पूंजी नहीं

वी कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, यदि बोर्ड को यह विश्वास हो जाता है कि कोई सदस्य सदस्य के रूप में योग्यता बनाए रखने में विफल रहा है, तो बोर्ड उस सममूल्य पर या बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अन्य मूल्य पर कंपनी को शेयर समर्पित करने का निर्देश देगा। समर्पित इक्विटी शेयर कंपनी की संपत्ति माने जाएँगे और बोर्ड समझे जाने पर उन्हें सदस्यों को बेचा जा सकता है या अन्यथा रद्द किया जा सकता है।

vi. वित्तीय वर्ष के दौरान या उससे ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद/बैंक या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

vii, प्रमोटर द्वारा धारित शेयर*

	प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक		
		धारित शेयरों की	% होल्डिंग	धारित शेयरों की	% होल्डिंग	% परिवर्तन
1	रजनी रजक	16	0.01%	16	0.01%	5.84%
2	रूपवती कुर्मी	75	0.03%	75	0.03%	5.84%
3	लक्ष्मी लोंधी	14	0.01%	11	0.00%	34.71%
4	रबीना घोसी	13	0.00%	13	0.00%	5.84%
5	राजकुमारी यादव	-	0.00%	6	0.00%	-100.00%
6	सलेखरानी घोषी	-	0.00%	7	0.00%	-100.00%
7	रान यादव	13	0.00%	11	0.00%	25.09%
8	प्राण यादव	28	0.01%	28	0.01%	5.84%
9	नीरज कुमारी	21	0.01%	21	0.01%	5.84%
10	जयंती	27	0.01%	8	0.00%	257.22%
11	आरती यादव	63	0.02%	-	0.00%	100.00%
12	कृष्णा बाई तिवारी	18	0.01%	-	0.00%	100.00%
13	सोमवती यादव	10	0.00%	-	0.00%	100.00%
14	तलसा यादव	30	0.01%	-	0.00%	100.00%
15	सरोज पटेल	5	0.00%	-	0.00%	100.00%

*यहां प्रमोटर का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है।.

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रु./लाख	रु./लाख
4 संचित और अधिशेष		
सामान्य संचय		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	230.55	225.82
जोड़ना:		
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	-	4.73
वर्ष के अंत में शेष राशि	**230.55**	**230.55**
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	19.69	-
जोड़ना:		
वर्ष के लिए लाभ	50.47	24.42
कम:		
सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित*	-	4.73
	50.47	**19.69**
	281.02	**250.24**

* लाभ और हानि खाते में उपलब्ध अधिशेष तक सीमित

5 स्थगित अनुदान (Deferred Grant)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	557.50	686.74
वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजी अनुदान	-	-
घटाएँ: पूंजी अनुदान से अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास	116.34	129.24
घटाएँ: बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्ति से संबंधित उलटी गई राशि	3.73	-
	437.43	**557.50**

437.43

पिछले वर्ष		554		3.03
चालू वर्ष		437		0

13,412
331
13,743

#REF!
#REF!
#REF!

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रु./लाख	रु./लाख
6 व्यावसायिक देनदारियाँ		
एक। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नीचे नोट देखें)	36.36	35.38
बी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया	294.66	307.13
	331.02	**342.51**

नोट्स:

1 व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2026 तक	**उपार्जन (बिना बिल वाला)**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(मैं) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	36.36	-	-	-	36.36
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	8.22	286.02	0.32	0.10	-	294.66
(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-
	8.22	**322.38**	**0.32**	**0.10**	**-**	**331.02**

31 मार्च 2025 तक	**उपार्जन (बिना बिल वाला)**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(मैं) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	35.38	-	-	-	35.38
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	3.35	303.68	0.10	-	-	307.13
(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-
	3.35	**339.06**	**0.10**	**-**	**-**	**342.51**

नोट: उपरोक्त आयु की गणना लेनदेन की तिथि से की जाती है।

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रु./लाख	रु./लाख
ii) व्यापार देय राशि की उपरोक्त राशि में उसके संबंधित पक्षों को देय राशि भी शामिल है (नोट 34 देखें)।	0.72	0.08
iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित निम्नलिखित विवरण नोटों में प्रकट किए जाएंगे:-		
एक। प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाएगा)		
- मूलधन *	36.57	51.25
- ब्याज *	1.09	1.09
बी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
सी। भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
डी। प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि; और	-	-
ई. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्षों में भी देय और बकाया ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	-	-

* इसमें 0.25 लाख रुपये की मूल राशि (पिछले वर्ष 10 लाख रुपये) शामिल है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के लिए देय है और उस पर शून्य रुपये का ब्याज (पिछले वर्ष 1.09 लाख रुपये) नोट 7 में दिखाया गया है)।

यह जानकारी इस सीमा तक निर्धारित की गई है कि ऐसे पक्षों की पहचान कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है।

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रु./लाख	रु./लाख
7 अन्य वर्तमान देनदारियां		
एक। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के लिए देय	7.63	0.25
बी। वैधानिक बकाया	4.67	4.78
सी। प्राप्त व्यापार / सुरक्षा जमा	151.46	148.74
डी। सरेंडर किए गए शेयरों के बदले देय राशि	30.12	5.05
ई. ग्राहकों से अग्रिम रकम लेना	0.57	0.17
एफ। एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर देय ब्याज	1.09	1.09
जी। कर्मचारियों को देय	39.64	21.71
	237.22	**181.79**
8 अप्रयुक्त अनुदान		
एक। परिचालन/पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान (नीचे नोट 'i' देखें)	-	-
	-	-
। परिचालन/पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान-चरण II		
वर्ष के आरंभ में शेष-वसूली योग्य अनुदान/(अप्रयुक्त अनुदान)	145.18	145.18
अनुदान देयता में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
अनुदान पर ब्याज आय (नोट 19 देखें)	-	-
अनुदान का उपयोग		
घटाएँ: वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया (नोट 5 देखें)	-	-
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया (नोट 19 देखें)	-	-
अप्रयुक्त अनुदान का अंतिम शेष	-	-
वसूली योग्य अनुदान का समापन शेष (नोट 17 में शामिल)	**145.18**	**(145.18)**

ii. अनुदान की शर्तें:

	फेस II मात्रा रु./लाख
एक अनुदान की कुल स्वीकृत राशि	1,562.39

बी। अनुदान की अवधि: प्रारंभ में अगस्त 2020 से मार्च 2023 तक, जिसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है

सी। **अनुदान का उद्देश्य:**

अनुदान का उपयोग विशेष रूप से नीचे दिए गए उद्देश्यों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य सागर और छतरपुर जिले में दुग्ध उत्पादकों को संगठित करके एक सदस्यीय स्वामित्व वाली दुग्ध उत्पादक कंपनी (एमपीसी) का गठन करके डेयरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि

- प्रस्तावित दुग्ध उत्पादक कंपनी के हितधारकों की क्षमता को शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से सुदृढ़ करना

- सदस्यों के लाभ के लिए दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए दुधारू पशुओं के प्रजनन, पोषण देखभाल और प्रबंधन के क्षेत्रों में तकनीकी इनपुट सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना।

डी। **अनुदान की चुकौती**

अनुदान अवधि की समाप्ति के पश्चात उपार्जित, वास्तविक ब्याज सहित अप्रयुक्त पड़ी कोई भी धनराशि, एमपीआरएएफ के अधिकारियों द्वारा उस समय अधिसूचित निर्धारित तरीके से, समापन की सहमत तिथि से एक माह के भीतर मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मंच ('एमपीआरएएफ') को वापस/चुकाई जाएगी।

iii. अनुदान उपयोग

एक **पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान**
पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है (नोट 5 देखें) जिसे बाद में व्यवस्थित आधार पर अनुदान से प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिशोधन व्यय के साथ समायोजित किया गया है।

बी। **परिचालन व्यय के लिए अनुदान**
विशिष्ट व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को अनुदान के उपयोग तक देयता के रूप में मान्यता दी गई है, जब कंपनी द्वारा किए गए व्यय को 'अन्य आय' के अंतर्गत मान्यता दी गई।

iv. इन अनुदानों के साथ कोई भी ऐसी शर्त या आकस्मिकताएं नहीं जुड़ी हैं, जिनके पूरा न होने की प्रबंधन को अपेक्षा हो।

वी 31 मार्च, 2025 तक प्राप्त अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	फेस II मात्रा रु./लाख
वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ:	
-2020-21	643.76
-2021-22	-
-2022-23	586.81
-2023-24	195.08
-2024-25	-
वह वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान पर टीडीएस काटा जाता है:	
-2020-21	10.00
-2021-22	-
-2022-23	11.74
-2023-24	3.70
-2024-25	-
31 मार्च, 2025 तक अनुदान प्राप्त	**1,400.21**

* इसमें चरण I से हस्तांतरित अप्रयुक्त अनुदान की राशि शामिल है, जो 10.10 लाख रुपये की वापसी योग्य है।

9 प्रावधानों

	31 मार्च, 2026 तक रु./लाख	**31 मार्च, 2025 तक** रु./लाख
एक। दीर्घकालिक प्रावधान		
i. अनुपस्थिति मुआवजे हेतु प्रावधान	9.39	9.30
ii. ग्रेच्युटी का प्रावधान	8.25	7.96
iii. आउटसोर्स किये गए मैनपावर की लगत के लिए प्रावधान	5.51	-
	23.15	**17.26**
बी। अल्पकालिक प्रावधान		
i. अनुपस्थिति मुआवजे हेतु प्रावधान	0.31	0.32
ii. ग्रेच्युटी का प्रावधान	0.16	0.15
iii. आउटसोर्स किये गए मैनपावर की लगत के लिए प्रावधान	-	-
	1.39	**0.47**

490301
89120
30087
609508

10.1 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

	फर्नीचर और फिक्सचर	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	कार्यालय उपकरण	कुल
	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख
सकल लागत					
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	65.14	1,115.08	29.63	18.08	1,227.94
जोड़िये	-	1.93	0.18	-	2.12
व्यवस्था	-	1.87	-	-	1.87
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**65.14**	**1,115.14**	**29.81**	**18.08**	**1,228.19**
जोड़िये	-	45.76	0.52	-	46.28
व्यवस्था	13.29	16.30	-	0.01	29.60
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**51.85**	**1,144.60**	**30.33**	**18.07**	**1,244.87**
संचित मूल्यह्रास					
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	46.86	406.59	28.46	12.05	493.97
जोड़िये	5.81	127.50	0.84	2.22	136.37
व्यवस्था	-	1.87	-	-	1.87
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**52.67**	**532.22**	**29.30**	**14.27**	**628.47**
जोड़िये	5.54	118.16	0.55	1.98	126.23
व्यवस्था	13.29	10.13	-	0.01	23.43
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**44.92**	**640.25**	**29.85**	**16.24**	**731.27**
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**12.47**	**582.92**	**0.51**	**3.81**	**599.72**
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**6.93**	**504.35**	**0.48**	**1.83**	**513.60**

टिप्पणी:पूंजी अनुदान से खरीदी गई तथा उपरोक्त अनुसूची में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

	फर्नीचर और फिक्सचर	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	कार्यालय उपकरण	कुल
	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख
सकल लागत					
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	59.82	1,063.66	28.85	15.07	1,167.40
जोड़िये	-	-	-	-	-
व्यवस्था	-	1.87	-	-	1.87
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**59.82**	**1,061.79**	**28.85**	**15.07**	**1,165.53**
जोड़िये	-	-	-	-	-
व्यवस्था	12.77	11.91	-	-	24.68
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**47.05**	**1,049.88**	**28.85**	**15.07**	**1,140.85**
संचित मूल्यह्रास					
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	45.34	402.27	28.33	10.79	486.73
जोड़िये	4.75	119.29	0.48	1.67	126.19
व्यवस्था	-	1.87	-	-	1.87
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**50.09**	**519.69**	**28.81**	**12.46**	**611.05**
जोड़िये	4.75	107.08	0.01	1.47	113.31
व्यवस्था	12.77	8.17	-	-	20.94
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**42.07**	**618.60**	**28.82**	**13.93**	**703.42**
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**9.73**	**542.10**	**0.04**	**2.61**	**554.48**
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**4.98**	**431.28**	**0.03**	**1.14**	**437.43**

10.2 अमूर्त संपत्ति
(स्वयं उत्पन्न के अलावा)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ट्रेडमार्क	कुल
	रु./लाख	रु./लाख	रु./लाख
सकल लागत			
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	15.40	4.26	19.66
जोड़िये	-	-	-
व्यवस्था	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**15.40**	**4.26**	**19.66**
जोड़िये	-	-	-
व्यवस्था	-	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**15.40**	**4.26**	**19.66**
संचित मूल्यह्रास			
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	6.95	1.77	8.72
जोड़िये	4.58	0.85	5.43
व्यवस्था	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**11.53**	**2.62**	**14.15**
जोड़िये	3.72	0.85	4.57
व्यवस्था	-	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**15.25**	**3.47**	**18.72**
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**3.87**	**1.64**	**5.51**
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**0.15**	**0.79**	**0.94**

टिप्पणी:पूंजी अनुदान से खरीदी गई तथा उपरोक्त अनुसूची में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
सकल लागत	रु./लाख	रु./लाख
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	10.39	10.39
जोड़िये	-	-
व्यवस्था	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**10.39**	**10.39**
जोड़िये	-	-
व्यवस्था	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**10.39**	**10.39**
संचित मूल्यह्रास		
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	4.31	4.31
जोड़िये	3.05	3.05
व्यवस्था	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**7.36**	**7.36**
जोड़िये	3.03	3.03
व्यवस्था	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**10.39**	**10.39**
शुद्ध वहन राशि		
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**3.03**	**3.03**
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**-**	**-**

10.3 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

	वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ
	रु./लाख	रु./लाख
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	126.23	136.37
अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास	4.57	5.43
	130.80	**141.80**
घटाएँ: अनुदान पर अर्जित परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास		
(नोट 5 देखें)		
-संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर	113.31	126.19
-अमूर्त संपत्तियों पर	3.03	3.05
	116.34	**129.24**
	14.46	**12.56**

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रु./लाख	रु./लाख
11 स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		
(i.) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर संपत्तियाँ का हिस्सा है		
अ अनुपस्थिति मुआवजा और ग्रेच्युटी का प्रावधान	5.94	6.20
	5.94	**6.20**
(ii) आस्थगित कर देयताओं का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
अ पुस्तक शेष और कर शेष के बीच अंतर पर अचल संपत्तियां	(0.25)	0.38
	(0.25)	**0.38**
शुद्ध स्थगित कर परिसंपत्ति	**6.19**	**5.82**

12 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम
(असुरक्षित,उचित माने गयें)

एक। वापसी योग्य आयकर (प्रावधानों को छोड़कर)	5.99	10.02
बी। विरोध के तहत करों का भुगतान किया गया	19.42	19.42
सी। अग्रिम कर	2.29	5.43
	27.70	**34.87**

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रु./लाख	रु./लाख
13 व्यावसायिक प्राप्तियां		
एक। सुरक्षित, उचित माने गयें	-	-
बी। असुरक्षित, उचित माने गयें	260.99	316.58
सी। संदिग्ध	-	-
	260.99	**316.58**
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
एक। सुरक्षित, उचित माने गयें	-	-
बी। असुरक्षित, उचित माने गयें	-	-
सी। संदिग्ध	-	-
	-	**-**
	260.99	**316.58**

व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2026 तक

	बिना बिल वाला	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - उचित माने गयें	-	260.99	-	-	-	-	**260.99**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माने गयें है	-	-	-	-	-	-	**-**
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - उचित माने गयें	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माने गयें है	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	**260.99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**260.99**

31 मार्च 2025 तक

	बिना बिल वाला	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(मैं) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - उचित माने गयें	-	357.52	-	-	-	-	**357.52**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माने गयें है	-	-	-	-	-	-	**-**
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - उचित माने गयें	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माने गयें है	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	**357.52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**357.52**

नोट: उपरोक्त आयु की गणना लेनदेन की तिथि से की जाती है।

#REF!
#REF!
#REF!

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	#REF!	#REF!
14 इन्वेंटरी		
(जैसा कि लागत पर प्रबंधन द्वारा लिया गया, प्रमाणित और मूल्यवान)		
i. **तैयार माल-घी**	-	5.26
ii. व्यापारिक वस्तुएं		
एक। थोक दूध	35.36	25.76
बी। कच्चा थोक दूध - पारगमन में	28.21	32.24
	63.57	**58.00**
सी। मवेशी चारा और खनिज मिश्रण	28.35	41.90
iii. उपभोग्य वस्तुएं	9.04	14.35
	100.96	**119.51**
15 नकदी और बैंक बैलेंस		
एक नकद और नकद के समान		
(i) बैंकों के पास शेष:		
ए) चालू खातों में	18.46	4.58
बी) सावधि जमा खाते में - मूल परिपक्वता 3 महीने से कम	117.91	45.78
एएस 3 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष - नकद प्रवाह विवरण (ए)	**136.37**	**50.36**
बी। अन्य बैंक बैलेंस		
(i) सावधि जमा खाते में - मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक	334.01	78.89
(ii) निर्दिष्ट खाते में भुगतान न किये गए लाभांश खाते	2.34	-
कुल-अन्य बैंक शेष (बी)	**336.35**	**78.89**
कुल नकदी और बैंक शेष (ए+बी)	**472.72**	**129.25**
16 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		
(असुरक्षित, उचित माने गयें)		
एक पूर्वदत्त व्यय	7.64	6.92
	7.64	**6.92**
17 अन्य परिसंपत्तियां		
(असुरक्षित, उचित माने गयें)		
i. गैर वर्तमान		
एक अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जसाओं पर देय नहीं	1.81	1.14
बी। (अ) अर्जित ब्याज परन्तु बैंक जसाओं पर देय नहीं (परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक)	-	256.65
	1.81	**257.79**
ii. मौजूदा		
एक। बैंक जमा पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	4.53	1.15
बी। अनुदान वसूली योग्य (नोट 8 देखें)	145.18	145.18
सी। अन्य वसूली योग्य	17.97	10.09
डी। सरकारी अधिकारियों के साथ संतुलन	1.75	1.23
	169.43	**157.65**

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

	वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ
	रु./लाख	रु./लाख
18 व्यवसाय से आय		
एक। उत्पादों की बिक्री (नीचे नोट देखें)	10,036.46	10,109.31
बी। अन्य परिचालन आय	1.51	6.80
	10,037.97	**10,116.11**
टिप्पणी:		
उत्पाद की बिक्री में शामिल हैं:		
निर्मित/प्रसंस्कृत माल		
i. घी	-	0.43
ii. अन्य दूध उत्पाद	-	-
	-	**0.43**
व्यावसायिक माल		
i. थोक दूध	9,536.60	9,788.98
ii. पशु आहार और अन्य	499.86	319.90
	10,036.46	**10,108.88**
	10,036.46	**10,109.31**
अन्य व्यवसायिक आय		
i. ए.आई आय	1.51	6.80
	1.51	**6.80**
19 अन्य आय		
एक। ब्याज आय		
i. बैंकों में जमा राशि पर (नीचे नोट देखें)	22.90	14.68
ii. आयकर रिफंड पर	0.36	0.56
बी। बव्यवसायिक आय-अन्य गैर		
i. प्रवेश शुल्क	1.21	1.32
ii. विविध आय	-	-
सी। प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण की विक्री पर मुनाफा (नेट)	-	1.68
डी। विविध आय	24.35	22.43
	48.82	**40.67**

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

		वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ रु./लाख	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ रु./लाख
20	**व्यवसायिक माल का क्रय**		
	कच्चा माल		
	एक। कच्चा थोक दूध	8,148.83	8,371.12
	बी। मवेशी चारा और अन्य	432.52	280.63
		8,581.35	8,651.75
		-	-
		8,581.35	**8,651.75**
21	**स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन**		
	एक। **वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी**		
	निर्मित माल	5.26	0.41
	व्यापार का कुल माल	99.90	80.74
		105.16	**81.15**
	बी। **वर्ष के अंत में इन्वेंटरी**		
	निर्मित माल	-	5.26
	व्यापार का कुल माल	91.92	99.90
		91.92	**105.16**
	इन्वेंटरी में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	**13.24**	**(24.01)**
22	**अन्य व्यय**		
	एक। श्रम शुल्क	73.07	68.17
	बी। रसायन और उपभोग्य वस्तुएं	26.04	14.13
	सी। माल अंदर की ओर	297.44	370.82
	डी सहायक प्रोत्साहन	53.87	70.32
	ई. दूध ठंडा करने का खर्च	-	6.73
	जी। कीमत के जरिये प्रोत्साहन	26.07	-
		476.49	**530.17**
23	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	एक। वेतन और मजदूरी	226.38	237.31
	बी। भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	15.13	17.57
	सी। ग्रेच्युटी व्यय	4.79	3.85
	डी। कर्मचारी कल्याण व्यय	1.85	1.55
		248.15	**260.28**

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01100MP2017PTC043863
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

	वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुआ रु./लाख	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ रु./लाख
### अन्य खर्चों		
एक। पॉवर एवं फ्यूल	54.59	50.70
बी। किराया	46.08	40.05
सी। दरें और कर	9.29	7.02
डी। कानूनी और पेशेवर शुल्क	32.53	22.36
ई. अंकक्षकों परीक्षकों को भुगतान (नीचे नोट 'i' देखें)	2.46	2.20
एफ। यात्रा और परिवहन	43.23	40.03
जी। छपाई व स्टेशनरी	9.82	11.19
एच। संप्रेषण व्यय	15.32	12.07
मैं। भाडा और अग्रेषण व्यय	359.10	427.07
जे। बिक्री और वितरण व्यय	21.45	12.60
क. मरम्मत और रखरखाव	44.63	24.79
एल मरम्मत और रखरखाव - अन्य	14.92	12.90
एम। परीक्षण व्यय	1.00	1.36
एन। बीमा व्यय	6.30	5.30
ओ एआई व्यय	1.71	5.45
पी। निदेशक बैठक की फीस	4.55	1.12
क्यू। बैठक और प्रशिक्षण व्यय	7.00	5.25
आर। उपकरण और प्लांट की विक्री पर नुकसान	0.15	-
एस। विविध व्यय	19.56	14.60
	693.69	**696.06**

टिप्पणी:

i. अंकेक्षण को भुगतान में शामिल हैं:

एक। वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	1.95	1.78
बी। कर अंकेक्षण शुल्क	0.51	0.42
सी। सर्टिफिकेशन शुल्क	-	-
	2.46	**2.20**

प्रतिबद्धता और आकस्मिकताएँ:	31 मार्च, 2025 तक रु./लाख	31 मार्च, 2024 तक रु./लाख
25 आकस्मिक देयताएं		
कंपनी के विरुद्ध दावों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ऋण प्रदान नहीं किया गया		
ए आयकर मामले क ।	32.69	32.69
	32.69	32.69

नोट्स:

i. कंपनी उपरोक्त आकस्मिक देनदारियों के संबंध में किसी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा नहीं करती है।

ii. मुकदमे के तहत भुगतान की गई राशि एक आयकर मामले	19.42	19.42
	19.42	19.42

iii. उपरोक्त मामलों के संबंध में भविष्य में नकदी बहिर्वाह केवल विभिन्न मंचों/प्राधिकरणों में लंबित निर्णयों/फैसलों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। कंपनी वर्तमान में उपरोक्त मामलों पर किसी भी नकदी बहिर्वाह की उम्मीद नहीं कर रही है।

26 पूंजी प्रतिबद्धताएं पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों को घटाकर)	**5.00**	**-**

27 कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके कारण कोई भी पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

28 ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

29 कर्मचारी लाभ योजनाएँ

परिभाषित-योगदान योजनाएँ

कंपनी योग्य कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अंशदान करती है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। इन योजनाओं के तहत, कंपनी को लाभों के वित्तपोषण हेतु वेतन लागत का एक निश्चित प्रतिशत अंशदान करना आवश्यक है। कंपनी द्वारा इन योजनाओं में देय अंशदान योजनाओं के नियमों में निर्दिष्ट दरों पर होता है।

भविष्य निधि के लिए कंपनी का योगदान लाभ और हानि विवरण में शामिल है

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए रु./लाख	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रु./लाख
ए भविष्य निधि एवं अन्य निधियो में योगदान क ।	15.13	17.57

परिभाषित-लाभ योजनाएँ

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजना प्रदान करती है। परिभाषित-लाभ योजना के अंतर्गत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मुआवज़े (सेवा से अलग होने से ठीक पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएं वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी और राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की स्थिति को दर्शाती हैं।

i. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन	31 मार्च, 2026 रु./लाख	31 मार्च, 2025 रु./लाख
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8.11	13.20
वर्तमान सेवा लागत	3.65	4.35
पिछली सेवा लागत	1.70	-
ब्याज लागत	0.59	0.89
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.15)	(1.39)
भुगतान किए गए लाभ	(4.49)	(8.94)
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**7.82**	**7.22**

ii. योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	31 मार्च, 2026 रु./लाख	31 मार्च, 2025 रु./लाख
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

-	-

यह योजना वित्तपोषित नहीं है, इसलिए योजना परिसंपत्तियां शून्य हैं।

iii. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

		31 मार्च, 2026 रु./लाख	31 मार्च, 2025 रु./लाख
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य		8.41	8.11
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)		**8.41**	**8.11**
	गैर वर्तमान	8.25	7.96
	मौजूदा	0.16	0.15
		8.41	**8.11**

iv. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	31 मार्च, 2026 रु./लाख	31 मार्च, 2025 रु./लाख
वर्तमान सेवा लागत	3.65	4.35
पिछली सेवा लागत	1.70	-
ब्याज लागत	0.59	0.89
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)	(1.15)	(1.39)
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/(आय)	**4.79**	**3.85**

v. बैलेंस शीट समाधान	31 मार्च, 2026 रु./लाख	31 मार्च, 2025 रु./लाख
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	8.11	13.20
उपरोक्तानुसार व्यय	4.79	3.85
भुगतान	(4.49)	(8.94)
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	**8.41**	**8.11**

vi. प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
छूट की दर	7.25% प्रति वर्ष	6.75% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
औसत आय (वर्षों में)	33.21	31.65
मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया गया	आईएएलएम 2012-14 अंतिम	आईएएलएम 2012-14 अंतिम

छूट दर, दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है।

भविष्य में वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

vii. अनभव समायोजन	31 मार्च, 2026 रु./लाख	31 मार्च, 2025 रु./लाख	31 मार्च, रु./लाख	31 मार्च, 2022 रु./लाख	31 मार्च, 2021 रु./लाख
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	8.41	8.11	13.20	10.59	10.43
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति					
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(1.15)	(1.39)	(0.50)	(0.60)	(7.15)
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि	-	-	-	-	-

क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
छूट की दर	7.25% प्रति वर्ष	6.75% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
औसत उम्र	33.21	31.65
मृत्यु दर तालिका का उपयोग किया गया	आईएएलएम 2012-14 अंतिम	आईएएलएम 2012-14 अंतिम

#REF!
#REF!
#REF!

लीज प्रतिबद्धताएँ

ऑपरेटिंग लीज - पट्टेदार के रूप में

समझौतों के अनुसार भवन परिसर के किराये से संबंधित निरस्तीकरणीय/गैर-रद्दीकरणीय पट्टों के लिए वर्ष के दौरान वसूले जाने वाले पट्टा किराया और दीर्घकालिक गैर-रद्दीकरणीय परिचालन पट्टों पर अधिकतम दायित्व निम्नानुसार हैं:

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
	#REF!	#REF!
लीज का किराया	46.08	40.05

गैर-रद्द करने योग्य लीजों पर दायित्व:-

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रु./लाख	रु./लाख
एक वर्ष से अधिक समय तक देय नहीं	9.97	9.96
एक वर्ष के बाद देय लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं	7.23	9.84
पांच वर्ष से अधिक समय बाद देय	-	-
	17.20	**19.80**

प्रति समता आय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
एक। **बेसिक:**		
i. इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात शुद्ध लाभ (रु./लाख में)	116.42	(268.57)
ii. वर्ष के दौरान बकाया 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या)	2,69,184	2,55,361
iii. प्रति समता शेयर अंकित मूल्य (रु.)	100	100
चतुर्थ. प्रति शेयर आय - मूल (रुपये में)	43.25	(105.17)
डायल्यूटेड		
प्रति शेयर तनु आय की गणना, संबंधित अवधि के लिए शेयर आवेदन राशि के तनु प्रभाव को देने के बाद, इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की गई है।		
i. इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात शुद्ध लाभ (रु./लाख में)	116.42	(268.57)
ii. बेसिक ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,69,184	2,55,361
जोड़ें: शेयर आवेदन राशि का प्रभाव	2,570	2,570
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - डायल्यूटेड ईपीएस के लिए	2,71,754	2,57,931
iii. प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य (रुपये में)	100	100
iv. प्रति शेयर आय - डायल्यूटेड (रुपये में)	42.84	(104.12)

संबंधित पार्टियों

लेखांकन मानक (एएस) 18 - "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

क. संबंधित पक्षों का नाम औरसंबंध की प्रकृति

व्यक्ति का नाम	रिश्ते की प्रकृति
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:	
ईशान मैत्रा	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक (31 मई, 2024 तक)
रजनी राजक	निदेशक
रूपवती कुर्मी	निदेशक
लखमी लोधी	निदेशक (25 सितम्बर 2025) तक
रबीना घोसी	निदेशक
राजकुमारी यादव	निदेशक (25 सितम्बर 2025) तक
आलोक कुमार गुप्ता	निदेशक (25 जुलाई 2025) तक
सुलेखरानी घोषी	निदेशक
रानू यादव	निदेशक
प्राण यादव	निदेशक
श्रीमती नीरज कुमारी	निदेशक (11 जनवरी, 2025 से प्रभावी)
श्रीमती जयंती	निदेशक (24 जनवरी, 2025 से प्रभावी)
संजयकुमार मगनलाल गोवानी	निदेशक (12 जुलाई, 2023 से प्रभावी)
आरती यादव	निदेशक (25 सितम्बर 2025 से प्रभावी)
कृष्णा बाई तिवारी	निदेशक (25 सितम्बर 2025 से प्रभावी)
सोमवती यादव	निदेशक (25 सितम्बर 2025 से प्रभावी)
तुलसा यादव	निदेशक (25 सितम्बर 2025 से प्रभावी)
संरोज पटेल	निदेशक (25 सितम्बर 2025 से प्रभावी)
बसंत चौधरी	निदेशक (09 जुलाई 2025 से प्रभावी)
धर्मेन्द्र कुमार	निदेशक (25 जुलाई 2025 से प्रभाबी)
नमो नारायण मौर्या	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक (०4 सितम्बर 2025 से प्रभावी)

टिप्पणी:

1. 31 मई, 2024 से, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के इस्तीफे के बाद, कंपनी वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के बिना है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378W के तहत आवश्यक है। कंपनी इस्तीफे से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया में है। इस कारण, वितीय विवरणों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

बी. उपरोक्त संबंधित अवधि के दौरान लेनदेन की प्रकृति और मात्रा
पार्टियां इस प्रकार हैं:

रु./लाख

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री ईशान मैत्रा	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	11.01
रूपवती कुर्मी	बैठने का शुल्क	0.52	0.14
रजनी राजक	बैठने का शुल्क	-	0.05
राजकुमारी यादव	बैठने का शुल्क	0.17	0.14
रबीना घोसी	बैठने का शुल्क	0.37	0.14
लखमी लोधी	बैठने का शुल्क	0.17	0.10
सुलेखा रानी घोषी	बैठने का शुल्क	-	0.05
रानू यादव	बैठने का शुल्क	0.37	0.12
प्राण यादव	बैठने का शुल्क	0.37	0.13
श्रीमती जयंती	बैठने का शुल्क	0.47	0.04
श्रीमती नीरज कुमारी	बैठने का शुल्क	0.42	0.04
आरती यादव	बैठने का शुल्क	0.20	-
कृष्णा बाई तिवारी	बैठने का शुल्क	0.20	-
सोमवती यादव	बैठने का शुल्क	0.20	-
तुलसा यादव	बैठने का शुल्क	0.20	-
संरोज पटेल	बैठने का शुल्क	0.20	-
		3.86	**0.95**
लखमी लोधी	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
रबीना घोसी	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
राजकुमारी यादव	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
रजनी राजक	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
ईशान मैत्रा	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.04
सुलेखा रानी घोषी	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
रूपवती कुर्मी	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.02
रानू यादव	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
प्राण यादव	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
श्रीमती जयंती	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
श्रीमती नीरज कुमारी	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
		-	**0.14**

रु./लाख

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
रूपवती कुर्मी	दूध की खरीद	0.11	0.59
रजनी राजक	दूध की खरीद	-	0.46
रबीना घोसी	दूध की खरीद	0.18	0.70
लखमी लोधी	दूध की खरीद	-	0.51
सुलेखा रानी घोषी	दूध की खरीद	-	0.07
रानू यादव	दूध की खरीद	0.75	0.31
प्राण यादव	दूध की खरीद	0.93	0.51
श्रीमती जयंती	दूध की खरीद	0.26	0.43
नीरज कुमारी	दूध की खरीद	0.77	0.91
आरती यादव	दूध की खरीद	3.98	-
कृष्णा बाई तिवारी	दूध की खरीद	0.87	-
सोमवती यादव	दूध की खरीद	0.42	-
तुलसा यादव	दूध की खरीद	1.68	-
सरोज पटेल	दूध की खरीद	0.21	-
		10.16	**4.49**

	पर जैसा 31 March 2026	पर जैसा 31 March 2025
सी। वर्ष के अंत तक बकाया शेष	**रु./लाख**	**रु./लाख**
i. वर्ष के अंत में दूध की खरीद के लिए व्यापार देय		
रजनी रजक	-	0.01
रूपवती कुर्मी	0.14	0.05
लक्ष्मी लोधी	-	0.03
प्राण यादव	0.05	0.03
जयंती लोधी	0.09	0
नीरज कुमारी	0.09	0
रबीना घोषी	0.05	0
रानू यादव	0.05	0
आरती यादव	0.05	-
कृष्णा बाई तिवारी	0.05	-
सोमवती यादव	0.05	-
तुलसा यादव	0.05	-
सरोज पटेल	0.05	-
	0.72	**0.18**

35 वित्तीय अनुपातों का प्रकटीकरण

	विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	विचरण %	विचलन का कारण
एक।	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देयता	1.78	1.39	28%	
बी।	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	इक्विटी शेयरधारक निधि	ना	ना	-	
सी।	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध ऑपरेटिंग आय	कुल ऋण सेवा	ना	ना	-	
डी।	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	शुद्ध आय	इक्विटी शेयरधारक निधि	22%	-57%	-139%	Note 2
ई.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	77.97	79.77	-2%	
एफ।	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	35.03	29.14	20%	
जी।	व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध खरीदारी	औसत व्यापार देयताएं	25.48	25.68	-1%	
एच।	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	22.88	47.88	-52%	Note 3
मैं।	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	1.15%	-2.73%	-142%	Note 2
जे।	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	13.82%	-23.72%	-158%	Note 2
क.	निवेश पर प्रतिफल	निवेश पर कमाई	औसत निवेश	ना	ना	-	

अनुपातों का कार्य

अनुपातों का आधार	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त	अनुपात	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	अनुपात
	रु./लाख		रु./लाख	
एक। वर्तमान अनुपात				
वर्तमान संपत्ति	1,011.74	1.78	729.91	1.39
वर्तमान देयता	569.63		524.77	
बी। ऋण इक्विटी अनुपात				
कुल ऋण (दीर्घकालिक ऋण+अल्पकालिक ऋण+पूंजी पट्टा दायित्व)	-	-	-	-
इक्विटी शेयरधारक निधि (शेयर पूंजी+आरक्षित निधि और अधिशेष)	531.52		473.75	
सी। कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ना		ना	
डी। इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल				
कर के बाद लाभ (पीएटी)	116.42	21.90%	-268.57	-56.69%
इक्विटी शेयरधारक निधि (शेयर पूंजी+आरक्षित निधि और अधिशेष)	531.52		473.75	
ई. इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात				
बेचे गए माल की कीमत	8,594.59	77.97	8,627.74	79.77
औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक इन्वेंट्री+समापन इन्वेंट्री)/2	110.24		108.16	
एफ। व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात				
शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न)	10,116.11	35.03	9,823.12	29.14
औसत व्यापार प्राप्य [(प्रारंभिक देनदार + समापन देनदार) / 2]	288.79		337.05	
जी। व्यापार देय कारोबार अनुपात				
शुद्ध खरीद (खरीद - खरीद रिटर्न)	8,581.35	25.48	8,651.75	25.68
औसत व्यापार देयताएं [(प्रारंभिक व्यापार देयताएं+अंतिम व्यापार देयताएं)/2]	336.77		336.87	
एच। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात				
शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न)	10,116.11	22.88	9,823.12	47.88
कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियां - वर्तमान देनदारियां	442.11		205.14	
मैं। शुद्ध लाभ अनुपात				
शुद्ध लाभ	116.42	1.15%	-268.57	-2.73%
शुद्ध बिक्री (कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न)	10,116.11		9,823.12	
जे। नियोजित पूंजी पर रिटर्न				
ब्याज और कर से पहले की कमाई	137.55	13.82%	-263.02	-23.72%
नियोजित पूंजी = कुल परिसंपत्तियां - वर्तमान देनदारियां	995.16		1,108.85	
क. निवेश पर प्रतिफल	ना		ना	

नोट्स:

1 कंपनी की लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण अनुपात में भी वृद्धि हुई है।

2 वर्तमान अवधि के दौरान, बिक्री में वृद्धि के बावजूद कार्यशील पूंजी में कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप अनुपात में वृद्धि हुई है।

36 अन्य वैधानिक जानकारी

एक। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

बी। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामक द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।

सी। कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो लेखा-बही में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कोई भी पूर्व अलिखित आय नहीं थी और लेखा-बही में कोई अतिरिक्त संपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी।

डी। चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, अग्रिम या ऋण या निवेशित धनराशि (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम) नहीं दी है।

ई. कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है। इसके अलावा, कंपनी को क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से कोई जमा या अग्रिम राशि भी प्राप्त नहीं हुई है।

एफ। बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (समय-समय पर संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

जी। कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था (निधिकरण पक्ष) भी शामिल है, इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी: (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी।

एच। कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगा या निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगा।

मैं। वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई कार्यशील पूंजी सीमा नहीं है, इसलिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास तिमाही स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

जे। कंपनी ने किसी भी कंपनी में कोई और निवेश नहीं किया है, इसलिए कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

क. कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि लंबित नहीं है।

एल कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

37 खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एएस-17 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से दूध और पशु आहार के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में काम करती है और एक भौगोलिक खंड में परिचालन करती है।

38 31 मार्च 2026 तक, कंपनी को कंपनी के 2,570 इक्विटी शेयरों (31 मार्च, 2024 तक 15,809 इक्विटी शेयरों के लिए 2.57 लाख रुपये) के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में 2.57 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसका प्रीमियम ₹0 है (31 मार्च, 2025 तक शून्य रुपये)। आवंटन लंबित रहने तक, धनराशि एक निर्दिष्ट बैंक खाते में रखी जाती है और कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसके बाद, कंपनी ने 19 मई 2025 को 2,570 शेयर आवंटित किए।

39 सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति, इसके संचालन और प्राप्ति के आधार पर, कंपनी ने अपना परिचालन चक्र 12 महीने से कम निर्धारित किया है। तदनुसार, परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 महीने की अवधि को ध्यान में रखा गया है।

40 कंपनी आयकर अधिनियम की धारा 115JB के आधार पर भविष्य की आय पर कर क्रेडिट के लिए पात्र है, जिसकी राशि ₹26.28 लाख है, जैसा कि आयकर रिटर्न में दावा किया गया है। हालाँकि, अनिश्चितता के कारण इस राशि को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें से, ₹16.22 लाख का उपयोग चालू वर्ष के आयकर के विरुद्ध कंपनी को उपलब्ध क्रेडिट की सीमा तक किया गया है।

41 कंपनी ने सीएसआर नियमों, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट की शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए सीएसआर के प्रावधान कंपनी पर लाग नहीं होते हैं।

42 निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 100 रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 7 रुपये (अर्थात 7%) का लाभांश देने की सिफारिश की है। लाभांश भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

43 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एसएन धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का पंजीकरण संख्या 000050N/N500045

Sd-
विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 20 अगस्त , 2026

निदेशक मंडल की ओर से

मुक्ता महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड

नमो नारायण मौर्य
मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10656422

रूपवती कुर्मी
अध्यक्ष
डीआईएन:08652621

मेघा जैन
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या F10161

स्थान: सागर
दिनांक: 20 अगस्त , 2026

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100MP2017PTC043863
पंजीकृत कार्यालय: NRT बिज़नेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल,
मकरोनिया चौराहा, सागर-470004
ई-मेल: info@muktaamilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या

सदस्य कोड

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की दिन मंगलवार, सितंबर, 2026 माह की 29 तरीक को होटल दीपाली मकरोनिया रेलवे क्रॉसिंग, जबलपुर रोड, सागर, मध्य प्रदेश 470002 में 12:30 बजे में होने वाली 10वी वार्षिक आम सभा में मै अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ |

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि का नाम (अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही हो तो)	

(ए) भाग लेने के लिए .....
(बी) भाग लेने एवं वोट करने के लिए .....

अंशधारक/प्रोक्सी के हस्ताक्षर

जो लागू नहीं होता उसे काट दे

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100MP2017PTC043863
पंजीकृत कार्यालय: NRT बिज़नेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल,
मकरोनिया चौराहा, सागर-470004
ई-मेल: info@muktaamilk.com

फार्म संख्या एमजीटी-11
प्रतिनिधि फॉर्म
कंपनी अधिनियम की धारा 105(6) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशाशन नियम 2014 के नियम 19(3) के अनुशरण में)

सदस्या का नाम	
पता	
ई-मेल	
फोलियो संख्या	

मै ..... मुक्ता महिला महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अंशो की सदस्या होते हुए एतदद्वारा

1. श्रीमती .....फोलियो .....
   पता ..... ई-मेल.....
   हस्ताक्षर.....या उनकी अनुपस्थिति में

को कंपनी की मंगलवार, सितंबर, 2026 माह की 29 तरीक को **होटल दीपाली मकरोनिया रेलवे क्रॉसिंग, जबलपुर रोड, सागर, मध्य प्रदेश 470002,** में 12.30 बजे अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 10वी वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने एवं आगे वर्णित प्रस्तावों संख्या _____/ सभी के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ |

दिनांक .....2026 को हस्ताक्षर किये गए |
अंशधारक के हस्ताक्षर:
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्या होना अनिवार्य है |

रूपये एक का रेवेन्यु टिकट लगाये

सहमति फॉर्म

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100MP2017PTC043863

पंजीकृत कार्यालय: NRT बिज़नेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल,
मकरोनिया चौराहा, सागर-470004

ई-मेल: info@muktaamilk.com

सदस्य का नाम :
पंजीकृत पता :
फोलियो संख्या / DPID-Client ID:
ईमेल आई डी :

मैं, कट-ऑफ तिथि यानी 25 अगस्त 2026 को कंपनी के सदस्य के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZN के अंतर्गत निम्नलिखित

प्रस्ताव संख्या	**प्रस्ताव**
1.	प्रस्ताव — मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("मुक्ता") के मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("मालव") में विलय

— हेतु अपनी सहमति एतद्द्वारा प्रदान करती हूं।

सदस्य के हस्ताक्षर: .....

दिनांक:

स्थान :

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01100MP2017PTC043863
पंजीकृत कार्यालय: NRT बिज़नेस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल,
मकरोनिया चौराहा, सागर-470004
ई-मेल: info@muktaamilk.com

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)

फोलियो संख्या

मै.....निवासी..... मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ | मेने कंपनी द्वारा भेजी गयी 10वी वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नको के साथ प्राप्त कर लिया है |

सदस्या के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....